राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ४१ वां दिवस [संख्या ११

मंगलवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजनाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मालमसिंह, भूतपूर्व सदस्य के निधन पर शोक प्रकट एवं श्रद्धान्जलि

श्री अध्यक्ष : श्री मालमसिंह भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के सम्मान में शोक प्रस्ताव।

मुझे यह सूचना मिली है कि श्री मालम सिंह, सदस्य, तृतीय विधान सभा का देहांत २२ व २३ फरवरी, १९६८, की रात को जालोर में हो गया है। वे भीनमाल निर्वाचित क्षेत्र जिला जालोर से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। श्री मालमसिंह विधान सभा की प्राक्कलन समिति एवं याचिका समिति के सदस्य रह चुके थे। इसके अतिरिक्त वे जिला परिषद् के प्रमुख भी रहे थे तथा वे एक अच्छे वकील थे। वे सदैव हंसमुख रहते थे व अपने व्यवहार से सबको प्रसन्न रखते थे। वे एक अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी व वक्ता भी थे। विधान सभा क्लब के गठन व संचालन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मैं इस अवसर पर और अधिक न कहकर अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, पंचायत, राजस्व, सिंचाई, वन, खाद्य, आबकारी, समाज-कल्याण, अकाल सहायता, राजकीय उद्योग व उपनिवेशन विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

तहसील सुजानगढ़ में भूदान में दी गई भूमि का वितरण

२८७. श्री रावतराम (छापर- सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रावतराम)

(१) तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) में भूदान आंदोलन के अन्तर्गत कितनी जमीन किन-किन गांवों में किन-किन खातेदारों ने दान में दी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन भूमिहीन काश्तकारों को वितरित करदी गई है ? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि जिन खातेदारों को भूदान में जमीन दी थी उनके नाम से उक्त जमीन खातेदारी काट कर उनका लगान लेना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) तहसील सुजानगढ़ में जिन-जिन ग्रामों में खातेदारान द्वारा भूदान आंदोलन में भूमि दी गई, उसकी सूची संलग्न है जिसके अनुसार १३३८।)१ बीघा भूमि दिए जाने का वायदा किया जाना रेकार्ड में पाया जाता है ।

(२) उक्त जमीन में से जिन-जिन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दी गई उसका उल्लेख संलग्न सूची के कालम संख्या ५ व ६ में दिया गया है, जिसके अनुसार ५७४)३ बीघा भूमि दी गई है । बाकी जमीन अभी तक खातेदारान स्वयं के ही कब्जे में है, जो अधिकांश वायदा की हुई भूमि को अब देना नहीं चाहते हैं ।

(३) जिन खातेदारान द्वारा भूदान में दी गई भूमि का एलॉटमेंट भूमिहीन काश्तकारों को हो चुका है उनकी भूमि का लगान खातेदारान के नाम से काट कर एलॉटीज से लगान वसूल किया जा रहा है । यह कार्यवाही सन् १९५९ से चालू है जो रकबा अभी तक खातेदारान स्वयं के ही कब्जा काश्त में है, उसका लगान खातेदारान से ही लिया जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रावतराम : यह जमीन कौन से सन् में दी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : १९५९ में ।

श्री रावतराम : यह एलॉटीज को कब एलॉट हुई ।

श्री गंगाराम चौधरी : उसके तुरन्त बाद ही ।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि जो जमीन एलॉटीज को एलॉट हो गई, उसका लगान खातेदारों से नहीं लिया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिनको एलॉट हो गई, उसका लगान एलॉटीज से ही लिया जा रहा है ।

श्री रावतराम : अभी भी जिन खातेदारों की जमीन भूदान में ली गई है और एलॉटीज को एलॉट की गई है तो लगान उन खातेदारों से वसूल की जा रही है । आपने सूची में बताया है कि १३३८।)१ बीघा जमीन दिये जाने का वायदा किया

(श्री रावतराम)

गया तो फिर ५७४) बीघा ही क्यों एलॉट हुई ? तो क्या यह सही है कि बाकी के खातेदारान ने यह लिखकर दिया है कि वे अब जमीन नहीं देना चाहते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : लिखकर नहीं दिया है लेकिन देना नहीं चाहते हैं, उनके कब्जे में पड़ी है।

श्री रावतराम : मैं मानता हूं कि उनके कब्जे में है लेकिन इस बात का पता कैसे चला कि वे नहीं देना चाहते ? सवाल यह है कि आपने इस बात का कैसे पता चलाया कि वह नहीं देना चाहते ? उन लोगों ने भूदान में जमीन दी और इतने साल हो गए बराबर सरकार लगान ले रही है। सरकार का फर्ज है कि जो जमीन ली थी सारी की सारी जमीन लोगों को एलॉट करनी चाहिए थी और उनसे लगान लेना चाहिये था, सरकार वह लगान नहीं काटती है और आप कहते हैं कि देना ही नहीं चाहते, यह सही नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी: जिन लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा है, उनसे लगान ली जा रही है। जिन्होंने कब्जा छोड़ दिया है भूमि एलॉट कर दी गई हैं उनका लगान एलॉटीज से किया जा रहा है।

श्री रावतराम : कब्जा छोड़ने का मतलब क्या है ? लगान बराबर वसूल किया जा रहा है, कब्जा कैसे छोड़ा ? आपने लिखकर दिया कि इतनी जमीन आपके कब्जे से ली जा रही है और उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि हम तो पहले देते अब नहीं देंगे, तब तो सवाल पैदा होता, लेकिन न तो सरकार को जानकारी है, जमीन वैसे की वैसे पड़ी है, लगान वसूल किया जाता है, वे कहते हैं कि भूदान में दे दी है तो लगान बन्द होनी चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी : लोगों ने जमीने दे दी है और उसके बावजूद भी लगान वसूल हो रहा है, ऐसी सूचना राज्य सरकार के पास कोई नहीं है। अगर ऐसी कोई दरख्वास्त या प्रार्थना-पत्र आएगा कि किसी खातेदार ने भूमि दे दी है फिर भी लगान वसूल किया जा रहा है, तो जानकारी की जायगी।

श्री रावतराम : जिन लोगों ने जमीनें देदीं उनसे लगान बन्द होना चाहिए। वे यदि एतराज करें कि हम जमीन नहीं देंगे तब तो सवाल पैदा होता है। उन्होंने लिखित में दे दिया है कि इतनी जमीन भू-दान में दे दी है। फिर भी सरकार यह विश्वास कर लें कि वे नहीं देंगे, इस बात का अन्दाजा आपने कैसे लगाया ? इसलिए जानकारी कराएं और सरकार इस बात का पता लगाए कि वे जमीन देना चाहते हैं या नहीं। यह विश्वास की बात है। देना चाहते हैं तो लगान बन्द होना चाहिए। इस बात की एन्क्वायरी……

श्री गंगाराम चौधरी : जिन खातेदारों ने जमीन दे दी है और कब्जा छोड़ दिया है इसके बावजूद भी लगान लिया जा रहा है, इसकी जांच करायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

यह सही है कि सर्वोदय भूदान के अन्दर जो काश्तकार अपनी जमीन देता है, तो क्या भूदान संस्था राज्य सरकार को इस बात की सूचना देती है कि अमुक काश्तकार ने जमीन भूदान में दी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : भूदान पंचायत इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जानकारी देती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब भूदान संस्था जानकारी देती है तो स्वतः ही जिस किसान ने जमीन दी है उससे लगान लेना सरकार बन्द कर दे। दूसरे क्या यह सही है कि किसानों से भूदान में जमीन लेने के बाद भी लगान लिया है उनको वापस किया जायगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार के पास नहीं पहुंची है। जिन व्यक्तियों ने जमीन दे दी है, कब्जा छोड़ दिया है फिर भी लगान वसूल किया जा रहा है, अगर इस प्रकार की कोई दरखास्त आयेगी तो जानकारी मिलेगी कि बावजूद कब्जा छोड़ने के लगान लिया जा रहा है तो उस सम्बन्ध में जांच करायी जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जा जायगी।

श्री रावतराम : मेरा सवाल है कब्जा उन्होंने छोड़ दिया है या सरन्डर कर दिया है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है, वे जानकारी करेंगे और जानकारी करने के बाद माननीय सदस्य को उसकी सूचना दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!! मैं अलाऊ करूंगा, माननीय सदस्य।

श्री रावतराम : क्या अध्यक्ष महोदय, किसी को अपनी सम्पत्ति का दान करने के बाद उसको वापिस लेने का हक है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो भूदान में जमीनें दे चुके हैं उनके नाम आपके रेकार्ड में इन्द्राज हो चुके हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा कोई ध्यान में अभी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह कुड़ी !

नागौर जिले में अनाज की खरीद

२८८. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) [श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) द्वारा पूछा गया] : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर जिले में किस किस नगर में कितना कितना देशी गेहूं सरकार द्वारा खरीद किया हुआ किस किस माह से स्टॉक में पड़ा है ?

(२) क्या राज्य सरकार द्वारा खरीदे गये गेहूं (देशी) में से किसी गोदाम में गेहूं सड़ जाने के कारण या अन्य प्रकार से खराब हो कर नष्ट हो गये ? यदि हां, तो किस गोदाम में व कितनी मात्रा में ?

(३) ऐसे नष्ट हुए गेहूं की खरीद की व ट्रान्सपोर्ट चार्जेज की उस गोदाम में रखने तक की क्या लागत सरकार को लगी थी ?

(४) इस हानि का जिम्मेदार कौन अधिकारी है एवम् उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (१) नागौर स्थित सरकारी गोदाम में गंगानगर जिले का खरीदा हुआ २६२३ बोरी देशी गेहूं प्राप्त हुआ था, जिसमें से १२५० बोरी गेहूं माह जुलाई, १९६७ से गोदाम में पड़ा है।

(२) जी हां, नागौर स्थित उक्त गोदाम में खपरा लग जाने के कारण उक्त गेहूं में से छीजत स्वरूप ६९ क्विन्टल नष्ट हो गये।

(३) छीजत हुए स्टाक की ट्रान्सपोर्ट चार्जज सहित कुल लागत ५६५६ रुपये ६० पैसे थी।

(४) इसकी जांच जारी है।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या यह सही है कि लोग धान के लिये तरसते हैं और इस तरह की धांधलेबाजी से गेहूं सड़ जाता है। उसके लिये सरकार क्या इन्तजाम कर रही है फ्यूचर के लिये।

श्री रामदेवसिंह : क्या ?

श्री अध्यक्ष : भविष्य के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत के खड़े होने पर)

माननीय सदस्या इसका उत्तर आने दें। प्रथम प्रश्न है।

श्री जयनारायण सांगोदिया (निवाई) : उत्तर आ नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अनाज सड़ जाने से जो नुकसान होता है इसकी जिम्मेदारी खुद मंत्री महोदय पर आती है या राज्य सरकार पर आती है, इसका उत्तर दें ?

श्री रामदेवसिंह : इसकी जांच हो रही है।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जांच तो होती रहेगी, लेकिन अनाज को इस तरह सड़ाया जाय और लोग अनाज के लिये तरसते रहें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कीड़े मारने की दवा को क्यों नहीं काम में लिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह जांच कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री रामदेवसिंह : यह जांच कलक्टर द्वारा की जा रही है।

श्री दौलतराम सारण : इसकी जांच के लिये कब लिखा गया था ?

श्री रामदेवसिंह : १६ दिसम्बर, १९६७ को इसकी जांच के लिये लिखा गया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या का प्रश्न रह गया।

खाद्यमंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि गेहूं खराब न हो। खाद्यान्न के जो स्टोरेजेज हैं, उसके लिये राज्य सरकार ने समय समय पर इस बात के आदेश दिये हैं अधिकारियों को कि गेहूं खराब न हो। जहां ऑफिसर्स की नेग्ली-जेन्सी के कारण नुकसान होता है वहां जांच कराई जाती है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस अलावा और भी कोई गेहूं सड़ने की वजह मालूम है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

नेक्स्ट।

श्री राजवी रूपसिंह !

श्री गंगानगर जिले में तहसीलदारों के तबादले

२८९. **श्री राजवी रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री गंगानगर जिले में दूसरे जिलों से जो तहसीलदारों के तबादले किये जाते हैं वे किन बातों को मद्देनजर रखकर किये जाते हैं और जिनके तबादले गंगानगर जिले से बाहर भेजने के फिर से केन्सिल किये जाते हैं वे किन-किन कारणों की वजह से किये जाते हैं ?

(२) एक तहसीलदार को एक तहसील में कितने वर्षों तक रखने का नियम है ? अगर यह नियम तीन सालों का है तो इससे पहले ही जो तहसीलदारों के तावदले किये जाते हैं वे क्या किसी खास कारण से किये जाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से?

(३) ये तबादले मन्त्री महोदय करते हैं अथवा चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड द्वारा किये जाते हैं।

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) प्रशासनिक कारणों से।

(२) एक तहसीलदार को एक तहसील में दो साल रखने के बाद तबादला किया जाता है, किन्तु किसी सूरत में उसे पांच साल से अधिक नहीं रखा जाता है। परन्तु प्रशासनिक कारणों से जल्दी अथवा देर से भी तबादले किये जा सकते हैं।

(३) यह तबादले चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा किये जाते हैं। प्रशासनिक हित को दृष्टि में रखते हुए मंत्री भी ऐसे स्थानान्तरण के आदेश देने के सक्षम हैं।

श्री राजवी रूपसिंह : मानवीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि राजस्थान में गंगानगर जिला एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है……

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। दूसरा प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : क्या यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : सही है तो भी अलग से प्रश्न है और नहीं है तो भी अलग से प्रश्न हैं। प्रश्न कर्ता !

श्री राजवी रूपसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदारों के तबादले के सिलसिले में एक ऐसी कमेटी मुकर्रर करेंगे जो इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिसर की इन्टेग्रिटी क्या है और वहां पर जाने के बाद अपनी इन्टेग्रिटी को मेन्टेन करेगा।

क्या यह सही है कि गंगानगर डिस्ट्रिकट में आफिसरों के ट्रांसफर्स वहां के विधायक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, काउन्टर लीडर्स व पोलिटिकल लीडर्स की दृष्टि से किये जाते हैं या किसी खास वजह से किये जाते हैं, और अगर ऐसा किया जाता है तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) कमेटी बनाने का प्रश्न नहीं उठता है। तबादले जो किये जाते हैं, काम की खराबी के कारण किये जाते हैं या किसी प्रशासनिक कारणों से किये जाते है या अन्य किसी कारण से भी हो सकते हैं। लेकिन इमानदारी और गैर-इमानदारी का प्रश्न नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं आप किसी एक व्यक्ति को इमानदार मानते हैं, उसको दूसरा व्यक्ति बेईमान मानता है। इसलिए इस प्रश्न में जाने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक ताल्लुकात है। उसके काम को देखते हुए ही ट्रांसफर किया जाता है और उसको दूसरी जगह भेजा जाता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर किये जाते हैं तो एक ही तहसीलदार को एक ही अधिकारी द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो फिर उस ही अधिकारी द्वारा कई बार उसको केन्सिल क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : इसमें जो तीसरे नम्बर का प्रश्न है···

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): यह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाता है, या सब जगह ही ऐसा होता है।

श्री अध्यक्ष : नं० तीन के बारे में प्रकाश डाल दिया गया है। मन्त्री महोदय भी कर सकते हैं और राज्य सरकार व रेवेन्यू बोर्ड भी करता है।

एक माननीय सदस्य : एक का ही शेयर होता है या दोनों का शेयर होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गंगानगर में आज तक इस तरह के ट्रांसफर्स नहीं हुए हैं। और मैंने जो ट्रांसफर किये हैं उसको केन्सिल नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : तहसीलदार के तबादले के पावर्स रेवेन्यू बोर्ड को है या···

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तहसीलदार के तबादले के पावर्स रेवेन्यू बोर्ड के पास है लेकिन मन्त्री भी चाहे तो उनका ट्रांसफर कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहर सिंह मेहता !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने यह अधिकार लेने के लिए रूल्स में अमेंडमेंट किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार के पास ही है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब है कि रेवेन्यू बोर्ड को पावर्स दे रखे हैं तो मंत्री महोदय को पावर्स लेने के लिए कोई रूल्स में अमेंडमेंट किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दोनों को ही पावर्स है।

प्रश्न संख्या २९०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

(अनुपस्थि–तकृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण !

राजस्थान लैंड युटिलाईजेशन एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम

२९१. श्रीदौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान लैंड युटिलाईजेशन एक्ट कब बना तथा कब लागू किया गया ?

(२) इस कानून को जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया था क्या उसके लिए इसके अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) इस कानून को बनाने में कितना व्यय राज्य सरकार को वहन करना पड़ा ?

(४) क्या इस कानून के अन्तर्गत कोई नियम बनाये गये है ? यदि हां तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) (१) राजस्थान लैंड युटिलाईजेशन एक्ट नवम्बर सन् १९५४ में बना और १५ मार्च, १९५८ से लागू किया गया।

(२) जी हां। जिस प्रयोजन के लिए कानून बनाया गया था उसके अनुसार दिसम्बर, १९६० से दिसम्बर, १९६६ के बीच १,५५,००० एकड़ पड़त भूमि में काश्त करवाई गई।

(३) इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करना सम्भव नहीं है।

(४) जी हां, राजस्थान एग्रीकल्चरल लैंड युटिलाईजेशन रूल्स, १९५८ की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : तीन के उत्तर में आंकड़े सम्भव क्यों नहीं है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : किसी कानून के बनाने में कितना खर्चा लगा, यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें तो सेक्रेटरी भी काम करता है, डिप्टी सेक्रेटरी भी काम करता है, स्टाफ काम करता है, असेम्बली काम करती है उसके आंकड़ें कैसे इकट्ठे किये जायं ?

श्री दौलतराम सारण : उसके आंकड़े तो अंधेर गर्दी में चले जायं। कितना खर्चा लगा, कितना स्टाफ लगा, उसकी जानकारी कोई अर्थ ही नहीं रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : असम्भव सी चीज है। कितने दिन उसके लिए असेम्बली बैठी, उसमें तो यह भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष : समय लग सकता है, इसमें।

श्री दौलतराम सारण : यह एक लाख पचपन हजार एकड़ भूमि कहां-कहां दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इनको तो अपने चश्मे के आगे कुछ नहीं दिखता।

श्री दौलतराम सारण : यह जमीन कहां ली गई और कहां दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : जमीन दी ही नहीं गई पड़त जमीन बता दी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

मालेलाव तालाब से सिंचाई

२६२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या गांव गुदोज की कांकड में मालेलाव नाम का तालाब है यदि है तो वह किसकी सम्पत्ति है और उसके खसरे नं० क्या-क्या हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस मालेलाव तालाब से भूतपूर्व जागीरदार अपने खेतों को सिंचित करता है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस तालाब से अन्य काश्तकारों के खेत भी सिंचित होते आये हैं ? यदि हां, तो किन किन के ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें और यह भी बतलावें कि कितनी भूमि किस किस खसरे में सिंचित होती है ?

(४) क्या यह सत्य है कि कई काश्तकारों की जमीन मालेलाव के डूब में आती है ? यदि हां, तो किन किन की और कितनी कितनी।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) गुन्दोज ग्राम में मालेलाव तालाब है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यह भूतपूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति है उसका खसरा नं० ३४१ है।

(२) जी हां लगभग ८-१० साल से।

(३) इस तालाब द्वारा अन्य काश्तकारों के खेत सिंचित नहीं होते हैं।

(४) मालेलाव तालाबमें निम्न काश्तकारों की जमीन डूबती है :

नाम काश्तकार	रकबा
१. रामप्रताप वल्द नाथाराम ब्राह्मण सा० गुन्दोज	४२।३
२. देवीसिंह वल्द रावतसिंह, गोविन्द वल्द प्रतापसिंह कौम राजपूत सा. सापनी	६३।।
३. मोहनसिंह वल्द गोपालसिंह राजपूत सा० गुन्दोज	३५।।।)२
४. भवानीसिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत गुन्दोज	३८।।।
५. हरिसिंह वल्द गोपालसिंह राजपूतसा० गुन्दोज १००)१	१४।।।
६. राजेन्द्रसिंह वल्द हरिसिंह सा० गुन्दोज	१२१।।।
७. बला चिमना पूनमा वल्द भूमा कौम गूजर	८८।।।

श्री मूलचन्द डागा : लिस्ट मांगी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सात नाम बता दिये हैं उनके आगे कितनी कितनी जमीन है वह भी बता दी है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या ये काश्तकार तालाब का पानी ले सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इरिगेशन टैंक है इरिगेशन की लिस्ट पर नहीं है।

मैंने सूचना भिन्न भिन्न विभागों से प्राप्त की हैं उसमें बताया गया है। यह पानी पहले नहीं लेते थे। आठ दस साल से ले रहे है पानी लेना शुरू किया है जागीरदार की निजी सम्पत्ति में है उससे लेते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : काश्तकार जब पानी लेते थे तो निजी सम्पत्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तालाब जागीरदार की निजी सम्पत्ति में है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सूची सदन की मेज पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सात नाम उन्होंने उत्तर के साथ ही बता दिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो जमीन काश्तकारों की है वह पानी के अन्तर्गत है या बाहर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जैसी सूचना मिली है एक्चुअल डूब का एरिया लगता है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसमें नहीं है। जब पानी भर जाता है या अधिक पानी आता है उनकी जमीन जिनके नाम बताये गये हैं उसमें भी पानी फैल जाता है।

श्री **मूलचन्द डागा** : काश्तकारों की भूमि पानी में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शिवनाथसिंह !

उदयपुर वाटी तहसील क्षेत्र के सेल्समैनों की तनख्वाह व कमीशन का भुगतान

२९३. श्री **शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला झुंझुनूं की उदयपुर वाटी तहसील क्षेत्र के कितने सेल्समैन की तनख्वाह तथा कमीशन का भुगतान जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं द्वारा अथवा अन्य किसी कार्यालय द्वारा दिसम्बर १९६७ के अन्त तक करना बकाया था और कितनी अवधि से यह भुगतान बकाया पड़ा है ?

(२) इसी तहसील क्षेत्र के कितने व्यक्तियों तथा सोसाइटियों की अनाज अथवा चीनी के सम्बन्ध की सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम बकाया पड़ी है जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या राज्य सरकार इस स्थिति में है कि कोई तारीख निश्चित की जाकर उस निश्चित अवधि तक कुल बकाया रकम का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार किसको दोषी पाती है ?

उपमन्त्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : उदयपुर वाटी तहसील के निम्न सेल्समैनों की तनख्वाह के बिल जिला रसद अधिकारी कार्यालय के सामने निम्न तिथियों से बकाया हैं :—

१. श्री नथमल सेल्समैन नवलगढ़	५.४.६६
२. श्री गुदरायदास स्वामी उदयपुर	५.४.६६
३. श्री सत्यनारायण शर्मा	५.४.६६
४. श्री भोलाराम जायल	२५.३.६६

(२) इस तहसील के किसी भी रिटेलर की चीनी की सिक्यूरिटी बकाया नहीं है। अनाज के निम्न रिटेलरों के प्रार्थना पत्र सिक्यूरिटी वापसी बाबत पेंडिंग हैं:—

१. श्री रामकरन पुत्र बेगाराम निवासी हुक्मपुरा।

२. श्री रहीमबख्श पुत्र ताजुखां निवासी, पोंख।

३. ग्राम सेवा सहकारी समिति, बसन्तपुरा।

इन सभी रिटेलरों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है जिसके बारे में दिनांक २२ नवम्बर, ६७ व ८ जनवरी, ६८ को उपजिलाधीश, नवलगढ़ को लिखा गया है।

(श्री रामदेवसिंह)

(३) जैसे ही सेल्समैन हिसावात की जांच करवाकर नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देंगे बकाया रकम का भुगतान कर दिया जावेगा, अत: कोई तिथि निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) सेल्समैन स्वयं ही इसके लिये उत्तरदायी हैं।

श्री शिवनार्थसिंह : ६६ से केस पेन्डिग पड़े हुए हैं इसके कारण क्या हैं ?

श्री रामदेवसिंह : नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ।

श्री शिवनार्थसिंह : नो ड्यूज सर्टिफिकेट तो देने की आपके अधिकारी की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है इसमें सेल्समैन का क्या दोष है ?

श्री रामदेवसिंह : उन्होंने हिसाब नहीं दिया होगा।

श्री शिवनार्थसिंह : सेल्समैन ने तो हिसाब वगैरह दे दिया उस पर भी सर्टि-फिकेट नहीं देते हैं तो यह अधिकारियों की गलती है।

श्री रामदेवसिंह : हिसाब बता देते तो दे देते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने का किसका काम है।

श्री रामदेवसिंह : सप्लाई अधिकारी का है।

श्री भैरोंसिंह : झूंझुनूं में तो एस०डी० ओ० है।

श्री रामदेवसिंह : इसमें नवलगढ़ के एस० डी० ओ० का सम्बन्ध है।

(श्री भैरोंसिंह भी पूछने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं भी पूछ लूं उनकी तो है ?

श्री भैरोंसिंह : ये कोई असत्य थोड़े ही बोल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह आपके और इनके रिश्ते पर है।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २९४

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

मद्य निषेध क्षेत्र में शराब की बिक्री

२९५. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन-पोल, जयपुर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में मद्य निषेध क्षेत्र कौन कौन से हैं ?

(२) इस क्षेत्र में किन किन संस्थाओं एव व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र के द्वारा किस किस प्रकार की शराब की कितनी कितनी

Page No. 13

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मात्रा में क्रय एवं विक्रय का अधिकार प्राप्त है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) ऐसे क्षेत्र में कितनी शराब का अब तक क्रय विक्रय हुआ है ?

उपमन्त्री आबकारी (श्री शिवचरण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सामग्री प्राप्त नहीं हुई। अतः इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सामग्री का सवाल नहीं शराब की बोतलों का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : वह भी तो सामग्री है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह सामग्री सिविल लाइन में पहुंच गई है।

श्री अध्यक्ष : इसको पोस्टपोन किया गया।

चर्म उद्योग केन्द्र पोकरण

२६६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चर्म उद्योग केन्द्र पोकरण जिला जोधपुर कब से कार्य कर रहा है और उसमें कितने लड़के प्रशिक्षण ले रहे हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि केन्द्र में जिन मेघवालों के लड़कों को भर्ती किया गया था उनको ६ माह के बाद निकाल दिया गया और केन्द्र बन्द पड़ा है तथा लड़कों को १५ रु. माहवार मिलने वाली छात्रवृत्ति भी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार के यह आदेश हैं कि मेघवालों के लडकों को यह ट्रेनिंग नहीं दी जावे ? यदि हां तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(४) क्या यह सच है कि ट्रेनिंग का सामान चमड़ा, स्टाफ, मकान आदि बेकार पड़ा है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : चर्म उद्योग केन्द्र पोकरण जिला जैसलमेर में विमुक्त जनजाति योजनान्तर्गत अक्टूबर, सन् १९६६ से चल रहा है। छात्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) चूंकि यह केन्द्र विमुक्त जनजातिके लोगों के लिए विशेष रूप से चल रहा है अतः छात्रवृत्ति का लाभ उक्त जनजाति से सम्बन्धित छात्रों को ही दिया जा सकता है। मेघवाल जाति अनुसूचित जाति में आती है उनके लिए अलग केन्द्रों की व्यवस्था है। उक्त केन्द्र मे बगैर छात्रवृत्ति केवल मात्र प्रशिक्षण की सुविधा दी जा सकती है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(३) सरकार ने मेघवालों सहित अन्य अनुसूचित जाति के लड़कों को सिलाई, शूमेकिंग व काष्ठकला में ट्रेनिंग देने के लिए अलग से १२ उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न स्थानों पर चला रखे हैं जिनसे उन्हें ट्रेनिंग का लाभ पहुंचाया जा रहा है ।

(४) जैसलमेर में विमुक्त जाति के लोग चमड़े का काम करना पसन्द नहीं करते । अतः उसे अन्यत्र हस्तान्तरित करने के लिए विभागीय जिला अधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है जहां इसका पूरा उपयोग हो ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : तो फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों को भर्ती क्यों किया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : विमुक्त जाति के लिए हैं बुनियादी तौर पर । वहां के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग इस काम को पसन्द नहीं करते उन्होंने छोड़ दिया ।

श्री जयनारायण सालोदिया : १५ लड़कों को भर्ती क्यों किया गया और उनको कहा गया कि छात्रवृत्ति देंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : काम सिखाने के लिए भर्ती किया छात्रवृत्ति तो यदि वे विमुक्त जाति के होते तो दी जाती ।

श्री जयनारायण सालोदिया : विमुक्त जाति के लिए था तो इनको भर्ती क्यों किया गया उनके छः महीने बेकार क्यों किए गए ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया गया केन्द्र का उपयोग हो सकता था ।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं यह बात गलत कह रहे हैं छात्रों को ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया गया चमड़े की ट्रेनिंग के लिए लेकिन बाद में उनको कहा गया कि तुमको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो उन्होंने छोड़ दिया । जब छात्रवृत्ति नहीं देनी थी तो उनका समय बरबाद क्यों किया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उनको छात्रवृत्ति नहीं दे सकते थे अगर उनका भर्ती करने का कसूर है तो इस कानूनी चीज को देखा जायगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : गवर्नमेंट के आश्वासन पर उन्होंने छः महीने तक ट्रेनिंग ली फिर उनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई यह क्यों किया गया जब कि उन्होंने प्रोपर फार्म पर नाम दिए, आवेदन पत्र दिया, उसके बाद उनको लिया गया इसमें उनका क्या कसूर था ? यदि वे छात्रवृत्ति के लिए योग्य नहीं थे तो उनको भर्ती नहीं करना चाहिये था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वे प्रशिक्षण लेना चाहते थे उस स्थिति में उनको सहूलियत दी गई । स्टाइपेन्ड उनको नहीं मिल सकता था वह विमुक्त जाति के लड़कों के लिए था इसके अन्तर्गत वे नहीं आते थे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब कितने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब तो समाप्त किया जा रहा है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जिनका हर्जा हुआ है उनको हम देखेंगे क्या इस बारे में १५ तारीख तक निर्णय ले लेगी राज्य सरकार ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट २९७ ।

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत संवराद वल्दू सड़क निर्माण कार्य

२९७. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम संवराद, तहसील लाडनूं से ग्राम वल्दू सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था ? यदि हां, तो उसमें कितने रुपये खर्च किए गए ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम बाकलिया से वल्दू सड़क का कार्य शुरू किया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि संवराद से वल्दू नजदीक पड़ता है और बाकलिया से बहुत दूर, इसलिए ग्राम वल्दू में सड़क ले लिये जाने के पहिले वाली सड़क ज्यादा उपयोगी थी । यदि हां, तो दूसरी ग्राम बाकलिया से क्यों शुरू की गई ?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) जी हां, बाकलिया से वल्दू सड़क का कार्य दि. ७-२-६७ से जिला राहत कमेटी के अनुसरण में इस क्षेत्र के अभावग्रस्त लोगों को रोजगार दिलाये जाने हेतु शुरू किया गया था ।

(३) संवराद अभावग्रस्त नहीं था । बाकलिया- वल्दू अभावग्रस्त क्षेत्र में होने के कारण जिला राहत कमेटी के निर्णय के अनुसार यह कार्य शुरू किया गया ।

श्री हरजीराम बुरडक : बहुत से अकाल राहत कार्य चालू किए तो यह संवराद-वल्दू सड़क वाला कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : संवराद और वल्दू के बीच का सारा ही क्षेत्र अभावग्रस्त हीं था ।

श्री हरजीराम बुरडक : यह ३२ मील का टुकड़ा पड़ता है । पहले की सड़क बनी हुई है फिर इसे क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री ललितसिंह ।

श्री हरजीराम बुरडक : इसका उत्तर नहीं आया साहब ।

श्री परसराम मदेरणा : जो गांव फेमीन में नहीं है वहां राहत कार्य शुरू नहीं किए गए ।

श्री हरजीराम बुरडक : वहां पहले से सड़क मौजूद है । वह भी फेमीन में बनी थी ।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित सिंह ।

वन प्राणी संरक्षण केन्द्र

२९८. **श्री ललितसिंह** (बड़ी सादड़ी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कोई वन प्राणी संरक्षण केन्द्र है या नहीं ?

(२) यदि है, तो उदयपुर हवाई अड्डे पर गुजरात राज्य के गिरवन प्राणी संरक्षण केन्द्र का बोर्ड क्यों लगा है ?

(३) क्या सरकार राज्य के वन प्राणी संरक्षण केन्द्रों को इस लायक नहीं समझती कि पर्यटकों में उन केन्द्रों का प्रचार करें ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां है।

(२) यह गुजरात राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के नागरिक उड्यन विभाग की अनुमति से लगाया गया है।

(३) राज्य के विकसित वन्य पशु पक्षी विहारों का प्रचार किया जाता है।

श्री ललितसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र कितने हैं ? इसकी जानकारी नहीं दी।

श्री नारायण सिंह मसूदा : जो सेन्चुरी हैं उनकी एक लिस्ट है । सिरसका है।

श्री अध्यक्ष : नम्बर बता दीजिए।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ९ हैं।

श्री ललित सिंह : अगर नौ हैं तो इनके प्रचार के लिए किसी भी हवाई अड्ड पर बोर्ड नहीं लगाया गया है। बाहर के राज्य तो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के लिए अपने राज्य वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यद्यपि यह प्रश्न दूसरा है...

श्री अध्यक्ष : पर महत्वपूर्ण है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इस विषय में लिट्रेचर भी है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : इसका प्रचारक ललितसिंहजी को क्यों नहीं बना देते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : प्रचार इसका प्रचार केन्द्रों में किया जाता है कि नहीं ? इसका जवाब दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : काफी प्रचार किया जाता है, काफी लिट्रेचर है इसका माननीय सदस्यों ने पढ़ा नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : प्रचार कैसे किया जाता है जब लोगों को मालूम ही नहीं है तो।

श्री अध्यक्ष : प्रचार हो रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आपके आफिस में ही पड़ा होगा बहुत सा लिट्रेचर तो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

भीमसागर व रामसर के तालाबों से सिंचाई

२९९. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीमसागर तालाब, ग्राम तिहारी, कानपुरा तहसील अजमेर की आव को मडलाव ग्रामीणों (किशनगढ़ तहसील) ने बिना सरकार की स्वीकृति के बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो ये आव क्यों बन्द की गई तथा इसके बन्द करने से मंगलाव ग्रामीणों को क्या लाभ पहुँचेगा व सरकार को कितना नफा होगा ?

(२) क्या यह सही है कि भीमसागर तालाब के इन्जीनियर डिक्सन ने सन् १८८८ में बनाते वक्त उपरोक्त आव को नक्शे में देते हुए हुए भीम सागर तालाब में गिराया है ? और भीमसागर के भरने के बाद शेष पानी को रामसर के सरकारी तालाब में जाने का दृष्टिकोण अपनाया था ? अगर हां, तो भीमसागर सरकारी तालाब की आव को रोकने से सरकार को कितना घाटा होगा ?

(३) अब तक भीमसागर व रामसर तालाबों के पूर्ण भरने पर कितनी जमीन की सिंचाई होती थी और आव के रुकने से अब कितनी जमीन बेसिंचाई रहेगी ? क्या सरकार रोकी हुई उक्त आव को तुड़वाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१ से ३) जीहां, ग्रामवासी टिकावड़ा तथा मुंडोलाव वालों ने भीमसागर जाने वाली आव को रोक दिया जिससे वह पानी तालाब मुंडोलाव में चला जाय। इस आव को रोके जाने से मुंडोलाव तालाब में जल क्षमता बढ़ने से ४० एकड़ अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध हो सकती है। सरकार को इससे यह हानि होती है कि उनके भीमसागर तालाब में पानी पूरा नहीं पहुंचेगा और खाली रहेगा जिससे उस तालाब से सिंचित होने वाली भूमि पूरी सिंचित नहीं हो सकेगी एवं सिंचाई शुल्क में भी कमी हो जावेगी। इन्जीनियर डिक्शन द्वारा बनाया हुआ नक्शा तो उपलब्ध नहीं है पर यह सही है कि यह आव भीम सागर तालाब की आव हमेशा से रही है और भीमसागर तालाब के भरने के बाद शेष पानी रामसागर के सरकारी तालाब में जाता है। भीमसागर सरकारी तालाब की आव को रोकने से सरकार को हानि है। इसलिए सरकार ने ग्रामवासियों, टिकावड़ा तथा मुंडोला वालों, द्वारा आव को रोकने के कारण तामीर को तुड़वाने के आदेश दिये और वह तुड़वा दिया गया। इसलिए अब सरकार को घाटा पहुंचने का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत : इस गांव वालों द्वारा इस आव को रोकने से पछली बरसात के अन्दर जो आव रुकी उससे पिलाई नही हुई। इससे कितना घाटा हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन कर दिया यह।

यह ऐसा मामला है जो ७० साल से चल रहा है और अब पिछले वर्ष में भी दो वार आव को बना दी और हमने तोड़ दी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और अभी ६८ के अन्दर आखरी बार तोड़ी है और आइन्दा के लिये कलेक्टर और एस. पी. को इत्तला कर दी गई है कि वहां वे पुनर्निर्माण न होने दें और अब आगे से इसका नुकसान होने की सम्भावना नहीं है।

प्रश्न संख्या ३००

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दीपचन्द छंगाणी।

फलौदी तहसील में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत भूमि का अलॉटमेन्ट

३००. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने फलौदी तहसील में कितनों को १५–१५ बीघा जमीन अलॉट की तथा उनमें से कितने को पटवारियों ने उक्त जमीन माप कर दे दी और कितनी ऐसी जमीन पर गत साल काश्त की गई।

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : तहसील फलौदी में अधिक अन्न उपजाओ के सन्दर्भ में ७०८ भूमिहीन व्यक्तियों को गत वर्ष १५–१५ बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई थी, जिनमें से ६५० व्यक्तियों को भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है और उन व्यक्तियों ने ९७५० बीघा भूमि पर काश्त भी कर ली है। शेष व्यक्तियों को कब्जा देने की कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री पल्लीवाल।

एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से नगरपालिकाओं को दी गई राशि

३०१. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में किस किस जिले से कितना कितना रुपया एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का १९६५-६६ तथा १९६६-६७ के वित्तीय वर्ष में वसूल हुआ ?

(२) किस किस नगरपालिका या नगर-परिषद् को उक्त दोनों वित्तीय वर्षों में एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के मद से कितनी कितनी राशि दी गई और किस किस को कतई नहीं दी गई ?

(३) एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के मद से नगरपालिकाओं को रकम देने का बेसिस क्या है ?

(४) क्या सरकार नगरपालिकाओं को उपरोक्त एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का ५० प्रतिशत से ८५ प्रतिशत तक लौटाने का विचार करती है या नहीं और बेस १९६६-६७ बनाकर दिया जाने के बारे में क्या एतराज है ?

उप मन्त्री, वित्त (श्री प्रद्युम्नसिंह) :(१) मनोरंजन कर शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष १९६५-६६ में रुपया ६६३२९३३) एवं १९६६-६७ में रुपया ७२६७१२४) की आय हुई। जिसका जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(२) विभिन्न नगरपालिकाओं / नगर परिषदों को वर्ष १९६५-६६ व १९६६-६७

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में प्रति वर्ष ८५५४२५) रुपये की धनराशि दी गई जिसका परिषदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में अंकित है । परिशिष्ट "ब" में वर्णित नगरपालिका / नगर परिषद् के अतिरिक्त अन्य किसी नगरपालिका/ नगर परिषद् को कोई राशि इन वर्षों में नहीं दी गई ।

(३) यह राशि राजस्थान मनोरंजन एव विज्ञापन अधिनियम १९५७ की धारा १४ के अन्तर्गत दी जाती है ।

(४) सरकार का अभी कोई ऐसा विचार नहीं है क्योंकि सरकार नगरपालि-काओं को दूसरी सहायता भी देती है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : जब कि नगर-पालिकाओं की आज हालत खराब है तो यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स क्यों नहीं सारी नगरपालिकाओं को सुपुर्द कर देना चाहिए ? क्या सरकार की नीति है यह ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार अभी इस सम्बन्ध में विचार कर रही है । अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप एन्टर-टैनमेन्ट कितना पर्सेन्ट नगरपालिकाओं को देते हैं आज क्या स्थिति है ? आज नगर-पालिकाओं की स्थिति खराब हो रही है और सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वह अच्छी तरह से चल सकें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दौलतराम आगरी ।

गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल को कुर्क करने के मामले

३०२. श्री दौलतराम आगरी (देसुरी सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल को तहसील-दारों द्वारा कुर्क करने व मवेशी चराने के आदेश सरकार द्वारा जारी हुए थे ?

(२) उक्त आदेश से पाली जिले में किस किस तहसीलदार ने कौन कौन से गांव में गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल कुर्क की व मवेशी चराई गई तथा कुर्की व मवेशी चराने की कार्यवाही कौन कौन से गांवों में नहीं की गई ? और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी : (१) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान-सभा पुस्त-कालय में रखी गई ।

श्री दौलतराम आगरी : अध्यक्ष महोदय, क्या ग्राम रानीपुर, कुन्डारिया आदि में

(श्री दौलतराम आगरी)

गोचर भूमि में काश्त की गयी और काश्त करने वालों ने मवेशी नहीं चरने दी ?

श्री गंगाराम चौधरी : समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई इसलिए जहां जहां सूचना भेजी गयी वहां कार्यवाही तुरन्त की जा सकी और अन्य जगह नहीं की जा सकी ।

श्री दौलतराम आगरी : मेरा मतलब है कि मवेशी नहीं चराई गई और फसल की कुर्की नहीं की गई इसका क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : शुरू में यह इन्स्ट्रक्शन्स थीं कि फसल बोई जाये...

श्री दौलतराम आगरी : रानीपुर की गोचर भूमि में काश्त की गई और ग्राम कुन्डारिया में बोई गयी लेकिन फसल कुर्क नहीं की गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो पर्टीकुलर विलेज के बारे में प्रश्न है । इसका इस समय कैसे जवाब दिया जा सकता है ।

श्री दौलतराम आगरी : यह बराबर तहसीलदार, ए० डी० एम० और फिर बाद में कलेक्टर के द्वारा यह आर्डर आया कि मवेशी चराई जाये लेकिन मवेशी नहीं चराने दी गई और ए० डी० एम० ने फसल को वापिस सरपंच को दे दी इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो पर्टीकुलर इंसटांस आप दे रहे हैं इसकी जानकारी करके मैं बता दूंगा ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या गवर्नमेंट की पालिसी है कि कोई खेती कर ले तो उसको वापिस नहीं दे सकते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह गोचर के बारे में नीति है कि जो सार्वजनिक गोचर है उसमें कोई काश्त कर लेता है तो उसको काश्त नही काटने दी जायेगी ।

श्री दौलतराम आगरी : क्या ग्राम कुन्डारिया की गोचर भूमि में अधिकृत रूप से काश्त किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौन सा गांव बताया ?

श्री दौलतराम आगरी : ग्राम कुन्डारिया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में जानकारी की जायेगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मन्त्री महोदय कहते हैं जानकारी प्राप्त करेंगे । मैं जानना चाहूंगा कि यह कब्जा नाजायज तौर पर किया गया है तो फौरन से पेश्तर इसको हटा दिया जायेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस पर्टीकुलर ग्राम के बारे में आप कहते हैं उसकी जानकारी करूंगा और यदि कब्जा गलत और नाजायज है तो हटा दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३०३

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,

पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा स्टेशनरी की खरीद

३०४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा सन् १९६५ से १९६७ के बीच कितने रुपयों की स्टेशनरी खरीदी गयी और उसमें क्या-क्या और कब-कब खरीदी गई ?

(२) उक्त समिति द्वारा उक्त अवधि में कितनी लाग बुक्स खरीदी गई ?

(३) उक्त समिति ने टीन के बाक्स कितने खरीदे, किस भाव पर खरीदे और किस लिए खरीदे ? क्या इसकी खरीद टेण्डर द्वारा की गई ? यदि हां, तो लोएस्ट टेण्डर कितने का था और इससे कितने रुपयों का अन्तर पड़ा ?

(४) क्या उक्त समिति द्वारा इन खरीददारियों में भारी अनियमितताएं की गई जिसकी बाबत आडिट पार्टी ने एतराजात किये ? जांच का क्या नतीजा रहा ?

(५) इन अनियमितताओं के लिए कौन कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पोकरन द्वारा भी इसी प्रकार बक्सों की खरीद में अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामलों की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) १० जीप लाग बुक व १०० कैमरा लाग बुक खरीदी गईं ।

(३) ७० टीन के बक्स ७३.९५ पैसे प्रति बक्स की दर से खरीदे । खरीद टेन्डर द्वारा की गई है । सबसे कम टेन्डर ७०.५० पैसे का था । ६२०.६० पैसे का अन्तर पड़ा ।

(४) जी, हां जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(५) विकास अधिकारी को निलम्बित किया जाकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच करने की कार्यवाही की गई । पंचायत समिति के सम्बन्धित निर्वाचित सदस्यों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए भी जांच की जा रही है ।

जी हां, ऑडिट में ऐसा उल्लेख किया गया है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(७) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन दो वर्षों में पंचायत समिति द्वारा कितने रुपये की स्टैशनरी खरीदने का पंचायत समिति के बजट में प्रावधान था और कितने रुपये की कुल खरीदी गयी ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी जांच जारी है । आडिट रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने परचेजिंग में अनियमिततायें की हैं और उसमें बी० डी० ओ० को स्पेन्ड कर दिया गया है और कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के पास जांच जारी है और मामले को एन्टीकरप्शन को भी दे दिया गया है बी० डी० ओ० के खिलाफ भी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केदारनाथ ।

सीलिंग एक्ट के तहत भूमिहीन किसानों की दरख्वास्तें

२०५. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सीलिंग एक्ट के तहत कितने भूमिहीन किसानों की दरख्वास्तें आई हैं ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : सीलिंग एक्ट के तहत जितने भूमिहीन किसानों की दरख्वास्तें आई हैं तहसीलवार विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार ने सीलिंग एक्ट को लागू करने का फैसला कर लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : सीलिंग एक्ट तो लागू ही है ।

श्री केदारनाथ : तो इन्हीं दरख्वास्तों पर हो जायेगा या नई दी जायेंगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पुरानी दरख्वास्तें हैं और कायदे के मुताबिक हैं उनकी स्क्रुटिनी होकर उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया ।

पंचायत समिति फागी द्वारा सामान की खरीद

३०६. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर द्वारा ११ अगस्त, १९६७ से ३१ दिसम्बर, १९६७ तक क्या क्या सामान खरीदा गया है ?

(२) खरीद के लिए क्या टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो कौनसी पद्धति अपनाई गई थी ?

(३) क्या खरीद के लिये कोई धनराशि किसी को अग्रिम में भी दी गई थी यदि हां,

(श्री लादूराम सुलानिया)

तो क्या उसका उपयोग हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या उसकी वसूली कर ली गई है ?

(४) जो सामान उक्त अवधि में खरीदा गया वही सामान पहले कब खरीदा गया था और क्या वह सामान खरीद से पहले पूरा काम में आ चुका था ?

(५) क्या जो सामान खरीदा गया उसके लिए पंचायत समिति की अथवा स्टेंन्डिग कमेटी की व टेक्निकल स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ?

(६) क्या खरीद के मामलों में कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उस जांच का परिणाम क्या रहा ?

पंचायत मन्त्री(श्री परसराम मदेरणा): (१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सदन की मेज पर रखी हुई सूचना में इसका भी उल्लेख किया हुआ है ।

(३) जी हां, अग्रिम दी गई राशि का उपयोग हो चुका है ।

(४) पहले खरीदे गये सामान के लगभग काम में आ जाने पर ही यह सामान खरीदा गया है ।

(५) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका भी उल्लेख किया हुआ है ।

(६) जांच की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लादूराम सुलानिया : सुची नं० १ में जो आपने खरीद के बारे में बताया है । क्रय विक्रय समिति के द्वारा खरीदा है तो किस समिति से और कितना खरीदा गया है और कब कब और किस भाव से खरीदा है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्रय विक्रय समिति जयपुर से खरीदा है ।

श्री लादूराम सुलानिया : कितना खरीदा ? कब खरीदा और क्या भाव से खरीदा ?

श्री परसराम मदेरणा : ३० क्विंटल ३७ किलो ३०० ग्राम गेहूं खरीदा गया ।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि क्रय-विक्रय समिति से खरीदा । मन्त्री महोदय जानकारी कर लें वह गेहूं गांवों में काश्तकारों से खरीदा है । तो मन्त्री महोदय पहले जानकारी कर लें और बाद में बता दें । दूसरा निवेदन यह है कि आपने सूची नं० २ में बताया है कि ५० रुपये से कम की सामग्री के लिए टेन्डर्स नहीं लेते हैं तो यह कुट्टी की मशीन कितने की थी यह बता दें ।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो स्टेशनरी का मामला है । ५० रुपये स्टेशनरी के बारे में कहा गया है । कुट्टी की मशीन कितने की थी कितने की नहीं यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जो कुछ भी पर–

(श्री परसराम मदेरणा)

चेजेज की उन सब आर्टीकल्स की सूचना आपको दे दी गई है। और आप कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जितनी रेस्पान्सीबिलिटी से आप सदन में कोई बात कहते हैं उतनी ही रेस्पान्सीबिलिटी से राज्य सरकार अपनी बात सदन के अन्दर रखती है। गलत कह कर कोई छुपाने का प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि इत्तला में कोई गलती हो तो ऐसी स्थिति में आप हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जांच कराई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही कहा जा सकता है कि उसमें कोई अनियमितता हुई है या नहीं।

श्री मदनसिंह (दांता) : इत्तला गलत बता रहे हैं आपको नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि वह गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है...

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न पूछें।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैंने यह पूछा है कि कितना गेहूं खरीदा है ? कहां से खरीदा है ? मन्त्री महोदय ने कहा है कि क्रय-विक्रय समिति से खरीदा है और मैंने कहा कि वहां से नहीं खरीदा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पंचायत समिति फागी को फुटबाल बना रखा है। गेहूं जो खरीदा गया है उसमें १॥ लाख रुपया अग्रिम दिया हुआ है। जांच पूरी नहीं करते हैं और आज ८ महीने हो गए और गेहूं पड़ा सड़ रहा है। जानकारी मुझे ज्यादा है और मन्त्री महोदय फिजूल नाराज हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से क्यों नहीं इन्तजाम होता है ? उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मन्त्री महोदय दुबारा जानकारी करके बता दें मैं तो बहुत सन्तोष से पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें स्पेसीफीकली यह पूछा है कि ३१ दिसम्बर १९६७ तक ११ अगस्त १९६७ से लेकर क्या परचेज किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके पहले भी कुछ परचेजेज हुईं थीं जिनमें कुछ व्यक्तियों को सस्पेंड भी किया गया है, आप शायद उनके लिये पूछ रहे हैं। वह दूसरा केस है। आपने जो स्पेसीफिक सवाल किया उसका मैंने जवाब दे दिया।

श्री लादूराम सुलानिया : ३१.१२.६७ तक के लिये पूछा है। गेहूं कब खरीदे गये यह बतलायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन करूं मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

महारावल **श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, गेहूं कब खरीदे गये, यह तो सीधा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सादा प्रश्न है, मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने यह नहीं पूछा कि गेहूं कब खरीदे गये। उन्होंने एक पर्टीक्युलर पीरियड के लिये पूछा है कि क्या खरीदा, वह मैंने बतला दिया कि ३० क्विटल, ३७ किलो और ३०० ग्राम गेहूं खरीदा गया। मैं समझता हूं कि पहले जो दूसरी परचेजेज की थीं माननीय सदस्य उसके लिये पूछना चाहते हैं, उसमें अलग से जांच हो रही है। वे सन् १९६६ की परचेजेज थीं। उनके लिये अगर माननीय सदस्य कह रहे हों तो उनके जो आइटम्स हैं वे मैं अलग से बता दूंगा अगर पूछें तो। बाकी जो आइटम्स उन्होंने इस प्रश्न में पूछे हैं उनका जवाब मैंने दे दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट्, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि ३१ मार्च १९६७ तक क्या सामान खरीदा गया। मैंने १९६७ तक पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को अगर पूरी जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। अगर पूरा बता नहीं दें तो मैं निवेदन करूंगा.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन करूंगा......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अभी कई प्रश्न हैं, सबको मौका मिलना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : अलग से केसेज नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित तो कर देना चाहिये। दिसम्बर १९६७ तक का पूछा है। अवधि बताने के उपरांत भी सरकार की तरफ से जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो मेरे ख्याल से यह अजीब सी व्यवस्था है।

श्री परसराम मदेरणा : स्पेसिफिक पीरियड के लिये पूछा गया है और उसके लिये मैंने जवाब दे दिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : इस पीरियड में गेहूं कितने और कहां कहां से और क्यों खरीदे गये।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि ३० क्विन्टल ३७ किलो और ३०० ग्राम इस अवधि में खरीदा गया।

श्री लादूराम सुलानिया : कौन सी तारीख को खरीदा गया।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार!

जयपुर नगर में राशनकार्डों की जांच

३०७. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या खाद्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कुछ माह पूर्व जयपुर नगर में राशन कार्डों का चैंकिंग किया गया था ? यदि हां, तो चैंकिंग के उपरान्त कितने राशनकार्ड जाली पाये गये और जिस जिस दुकान से राशनकार्ड जाली पाये गये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या इस चैंकिंग के पश्चात् और नवीन राशनकार्ड बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो नवीन राशनकार्ड बनाने से पूर्व राज्य सरकार ने सरकार की ओर से जांच की क्या व्यवस्था की है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने राशनकार्डों की जांच हेतु कोई इन्स्पेक्टर्स नियुक्त कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या वे वास्तविक जांच मौके पर जाकर करते हैं ?

उपमंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (१) जी हां, चैंकिंग के फलस्वरूप १८७८२ राशनकार्ड ऐसे मिले हैं जिनको अभी तक किसी ने हांलिस नहीं किया है। उसमें से कितने राशनकार्ड जाली हैं यह बताना सम्भव नहीं है, कारण इन्हीं कार्डों में से प्रार्थना पत्रों के ग्राधार पर नवीनीकरण भी किया जा रहा है। जांच के दौरान दो दुकानदार जाली राशनकार्डों को रखने के दोषी पाये जाने से उनकी दुकानें बन्द कर दी गई हैं।

(२) जी हां, नये कार्ड सम्बन्धित तथा क्षेत्रीय रसद अधिकारी की जांच रिपोर्ट के ग्राधार पर ही जारी किये जाते हैं।

(३) खाद्य विभाग के क्षेत्रीय इन्सपेक्टर ही मौके पर जाकर जांच करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितनी दुकानें बन्द कर दी गई हैं ?

श्री रामदेवसिंह : दो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या सारे जयपुर शहर में केवल दो दुकानें ही ऐसी मिलीं ?

श्री रामदेवसिंह : दो दुकानों को दोषी पाया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन दुकानों को वापिस चालू करा दिया ?

श्री रामदेवसिंह : वे दूसरी दुकानें हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या कभी राज्य सरकार और उनके अधिकारियों ने यह जानने की भी चेष्टा की है कि जन-गणना के ग्राधार पर जयपुर की कितनी जनसंख्या है ग्रौर कितने राशनकार्ड बने हैं? राज्य सरकार ग्रौर उनके अधिकारियों के दिमाग में कभी यह बात भी आई है ?

श्री रामदेवसिंह : जयपुर शहर की सात लाख......

श्री अध्यक्ष : जनसंख्या है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जांच जो कराई गई वह दफ्तर के अहलकारों से

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कराई गई उनको मजबूर करके कि जांच करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने तो मौके पर जाकर सही जांच की और कुछ ने घर बैठे ही जो मर्जी आई लिख दिया, नतीजा यह हुआ है कि कई लोगों को, जिनको कार्ड नहीं मिले उनकी एक माह की शकर बन्द कर दी गई। अब दूसरी जांच की व्यवस्था चल रही है। उसमें राज्य सरकार के पास इन्सपेक्टर नहीं हैं जो आकर जांच करें। कई बाहर से आने वाले लोग टेम्परेरी राशनकार्ड या परमिट चाहते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इन सबके लिये कोई अच्छा माकूल इन्तजाम करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामदेवसिंह : इसमें अध्यक्ष महोदय निवेदन है कि नये राशनकार्डों के जांच के लिये इन्सपेक्टर्स को काम दिया जायेगा। इसके लिये एक उपभोक्ता समिति भी बनाई गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सारे शहर के लिये कितने इन्सपेक्टर्स हैं ?

श्री रामदेवसिंह : इन्सपेक्टर्स की संख्या मुझे नहीं मालूम। वैसे उपभोक्ता समिति...

श्री अध्यक्ष : इन्सपेक्टर्स की संख्या क्या है ?

श्री मूलचंद डागा : सवाल यह है कि श्री दुर्गालाल बाढ़दार के कार्ड की जांच हुई या नहीं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी हुई कि नहीं ? आप जहां रहते हैं वहां के लिये क्यों नहीं पूछते हैं ? आपको शायद मिल जाता होगा।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं राशनकार्डों की जांच के लिये यह किया गया क्योंकि राज्य सरकार को पता चला कि काफी बोगस राशनकार्ड चल रहे हैं। उनकी जब चैकिंग कराई गई तो १८७८२ राशनकार्ड फर्जी पाये गये। अब कोई जीनुइन कार्ड भी हो सकता है जिसकी ठीक तरीके से चेकिंग नहीं हुई हो और वह भी इसमें आ गया हो। तो दुबारा चैकिंग करके उनको रिन्यु कर दिया जाता है। अब कितने इन्सपेक्टर्स हैं, यह मैं आफ हैंड तो नहीं बता सकता लेकिन एक कन्जुमर्स कौंसिल बनाई गई है कि कोई आदमी नया अगर यहां आये या किसी की जांच ठीक तरह से नहीं हुई हो, तो उनको भी वैलिड कर दिया जाता है।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न तो एक है कि जांच करने की व्यवस्था जो है उसमें इन्सपेक्टर्स की संख्या कम मालूम हुई या नहीं ? आपने बताया कि उपभोक्ता कौंसिल बना दी गई है, यह भी शायद पांच छः दिन से बनाई गई होगी। राशन का मसला तो बहुत अर्से से चल रहा है। मैं तो इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनता को बहुत परेशानी हो रही है, मैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कोई केवल क्रिटिसिजिम करने के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन एक सुझाव दे रहा हूं जनता को सुविधा के लिये कि इन्सपेक्टर्स का पर्याप्त नम्बर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हंसराज।

(१२ मध्याह्न)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो १८ हजार फर्जी राशन कार्ड चेकिंग के माध्यम से सरकार के ध्यान में आये उनमें से किसी एक व्यक्ति के भी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने किसी प्रकार का केस बनाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो राशन कार्ड फर्जी है उनमें से किसके खिलाफ केस बनाया जाना चाहिये यह प्रश्न विचाराधीन हैं। जो दुकानदार फर्जी थे उनकी दुकानें रद्द करदी गई हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कुछ लोगों को राशन लेने में डिफिकल्टी होती है तो माननीय सदस्य के साथ बैठ कर विचार करलें कि कैसे यह डिफिकल्टी दूर की जा सकती है। हमने पहले यह भी कहा था कि विधान सभा के सदस्य सर्टिफाइ करदें तो हम मान लेंगे लेकिन आप लोगों ने कहा कि कहां हम वेरिफाइ करते फिरेंगे इसलिये स्टाफ लगाकर जांच कराने का काम, शुरू किया था और जांच कराई थी। अब जो पद्धति चल रही है उसमें तरमीम करने का सुझाव हैं तो मे आपके साथ बैठ कर बात करने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा यह सूचना प्रसारित हुई कि इतने राशन कार्ड फर्जी हैं इस सम्बन्ध में क्या अन्य शहरों में भी राशनकार्डों की जांच कराई गई जहां पर कि राशन कार्ड पर चीनी, आयातित गेहूं आदि मिलते हैं उनमें से कितने फर्जी हैं...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ज्यादा जयपुर में ही फर्जी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाली से आ गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीशों को इस प्रकार के आदेश दिये गये कि जहां-जहां पर इन्सपेक्टरर्स की व्यवस्था है वहां पर चैकिंग कराया जाना चाहिए छोटे शहरों में यहां तक कि कस्बों में भी स्टाफ लगाकर चैकिंग कराया गया है। में पर्टिकुलरली इस समय तो नहीं कह सकता कि किस जगह कितने फर्जी राशन कार्ड निकले क्योंकि प्रश्न जयपुर के लिये ही था। और जगह के लिये प्रश्न पूछा जाय तो बता सकता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : अजमेर...

श्री अध्यक्ष : आोर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : क्या राज्य सरकार अजमेर में भी।

श्री अध्यक्ष : आोर्डर, प्लीज ओर्डर।

(प्रश्न संख्या ३०८)

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजबल्लभ बोहरा ।

प्रश्न पूछने के लिये खड़े नहीं हुए ।

(कृपया आगे देखिये)

नींदड़ बेनाड़ रेल्वे स्टेशन से जयपुर तक का कच्चा रास्ता

३१०. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) व **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नींदड़ बेनाड़ रेल्वे स्टेशन से जयपुर तक एक कच्चा रास्ता कदीम से था ?

(२) क्या यह भी सही है कि कुछ कतिपय किसानों ने इस रास्ते को जमीन के लोभ में बन्द कर दिया है और डोली लगा ली है ?

(३) क्या यह भी सही है कि रास्ते को खुलवाने के लिये ग्रामवासियों ने जिलाधीश जयपुर के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किया गया था और यदि सरकार का इरादा उस कदीम रास्ते को खुलवाने का है तो इसमें कितना समय और लगेगा ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं । नींदड़ बेनाड़ से जयपुर तक रास्ता ग्राम नहीं था ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सहदेव शर्मा : यह रास्ता नहीं था यह कैसे वेरिफाइ किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : सरकारी रेकार्ड से ।

श्री बृजबल्लभ बोहरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३०९ रह गया इसको ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३०९

कैथून पंचायत द्वारा आबादी की भूमि का बेचान

३०९. **श्री बृजबल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा को पंचायत समिति कैथून को आबादी भूमि बेचने का अधिकार नहीं है और यह भूमि केवल कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा बेची जा सकती है ? ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत द्वारा वर्ष १९६७ में जमीन का बेचान किया गया है ? यदि हां, तो किस किसको कितनी कीमत की जमीन बेची गई है ?

(३) अधिकृत रूप से जमीन बेचने के कारण पंचायत के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री बृजबल्लभ वोहरा)

(४) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों और सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी नहीं।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) मास्टर प्लान के विरुद्ध भूमि विक्रय की उस बारे में जिलाधीश प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बृजवल्लभ बोहरा : जब ग्राम पंचायत को जमीन बेचने का अधिकार है तो ग्राम की आबादी के पास मोटर अड्डे के लिये जमीन न देकर पंचायत ने किराये पर जमीन दी...

श्री परसराम मदेरणा : यह दूसरा प्रश्न है।

ग्राम पंचायत उग्रास द्वारा खाद बीज का वितरण

३११. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम पंचायत उग्रास, पंचायत समिति दूदू को सन् ६० से ६६ तक पंचायत समिति दूदू से खाद बीज दिया गया है ?

(२) अगर हां, तो किस किस तारीख को कितना दिया गया ?

(३) प्राप्त करने वाले सरपंच का क्या नाम था ?

(४) क्या यह खाद बीज नगद से नहीं देकर उधार दिया था ? अगर हां, तो कितने पैसे का दिया गया ?

(५) क्या खाद बीज किसानों को दे दिया गया है ? अगर हां, तो क्या कीमत वसूल करली है ?

(६) क्या यह सही है कि आज तक दिये गये खाद बीज की रकम पंचायत समिति में जमा नहीं हुई है ?

(७) क्या सरपंच ने इस रकम को अपने घरू कार्य में खर्च कर दिया है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां।

(२) सूचना सदन की मेज रखी गई

(३) सदन की मेज पर रखी गई नई सूचना में यह भी अंकित किया हुआ है।

(४) जी हां. कुल १,६०६.२६ पैसे का दिया गया।

(५) खाद बीज किसानों में बांटा गया है, कीमत वसूल नहीं हुई है।

(६) कुल रकम जमा हुई है।

(७) कीमत वसूल ही नहीं हुई है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सुवालाल : यह प्रश्न संख्या ३२५ प्रश्न पर लिखा है लेकिन वास्तव में ३११ है इसके उत्तर के भाग (५) में लिखा है कि खाद बीज किसानों में बांटा गया है उसकी कीमत वसूल नहीं हुई यह गलत है। सारे किसानों से कीमत ले ली गई है। सरपंच कांग्रेस का था। पैसा वसूल करके मकान में लगा दिया एक भी पैसा किसानों में बाकी नहीं है। भाग (६) में लिखा है कि कुछ रकम जमा हुई हैं यह कुछ कितनी एक पैसा, दो पैसा या रूपया दो रूपया कितनी जमा हुई। यह पैसा सरपंच ने अपने मकान बनाने में काम में ले लिया यह वाकई सही बात है। क्या सरकार इस पर पुन: विचार करेगी। १६०० रुपये पंचायत के रेकार्ड में जमा नहीं हुए हैं। पंचायत समिति ने जवाब भेज दिया उसके आधार पर सरकार कहती है कि किसानों से पैसा वसूल नहीं हुआ लेकिन मैं कहता हूं कि यह पैसा वसूल हो गया। क्या सरकार उनसे दुबारा वसूल करेगी ? किससे वसूल करेगी। क्या सरपंच खाकर मर गया तो उनके खानदान से या सम्बन्धियों से वसूल करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास सूचना आई है उसके अनुसार हमारे पास यही इन्फारमेशन है कि अब तक किसी से खाद बीज वितरण के पैसे की वसूली नहीं हुई। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके आधार पर मैं जांच करा लूंगा। राज्य सरकार को जिसने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ आवश्यक कदम उठायेंगे।

आलनियां, परवन व काली सिंध सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत खेती

३१२. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि काली सिंध पिक अप वेयर से धान की खेती के लिए सांगोद व खानपुर तहसील के अनेकों काश्तकारों ने पानी की मांग की है और उनको पानी नहीं दिया गया है ?

(२) आलनिया, परवन व काली सिंध सिंचाई योजनाओं से अलग अलग तहसीलों में कुल कितनी कितनी जमीन में धान की फसलें की गई हैं ? पिछले ३ साल के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि में योजनाबद्ध तरीके से धान की खेती नहीं बढ़ाई जा सकने के क्या कारण हैं व आगे धान की खेती को प्रोत्साहन देने या बढ़ाने की क्या योजना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील सांगोद और खानपुर के काश्तकारों ने काली सिंध पिक अप वेयर के पानी से धान की फसल...

श्री जुझारसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है। दुबारा पढ़िये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) तहसील सांगोद और खानपुर के काश्तकारों ने काली सिंध पिक अप वेयर के पानी से धान की फसल बोने हेतु कोई पानी की मांग नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की ओर न ऐसे प्रोजेक्ट्स पर धान की फसल को प्रोत्साहन देना उपयुक्त ही समझा गया।

(२) पिछले तीन वर्षों में आलनिया परवन व काली सिंध बांध द्वारा धान फसल निम्न प्रकार हुई :

नाम गांव	तहसील
आलनिया	लाड़पुरा सांगोद
परवन	अटरू सांगोद
कालीसिंध	सांगोद खानपुर

वर्षवार	धान की फसल	एकड़ों में
६४.६५	६५.६६	६६.६७
१,३३,००	१६६.००	२०५,००
—	—	—
—	३३,००	१७.००
—	——	——
—	——	——
—	——	——

(३) कालीसिंध व परवन पर तो पिक अप वेयर है जो परवन कालीसिंध नदियों के शीतकालीन जल के स्तर को ऊंचा करके मुख्यतया रबी में सिंचाई करते हैं सर्दी के मध्य से ही इनमें पानी का बहाव प्रायः बन्द हो जाता है जिससे धान की नरसरी तैयार नहीं हो सकती और इसी कारण इस पर धान की फसल को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। आलनिया पर धान की खेती पिछले सालों से बढ़ रही है मई, जून में बांध में पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए जिस अवधि में नर्सरी के लिए पानी की आवश्यकता होती है उस अनुपात में उपलब्ध जल क्षमता से धान का रकबा अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। धान के लिए काश्तकार अक्टूबर, नवम्बर में भी पानी मांगते हैं। जिससे रबी के लिए नहर साफ नहीं हो पाती। आलनिया पर धान में पानी की खपत एक एकड़ पर लगभग १ एस. सी. एफ. टी. हुई है जो गेहूं से लगभग आठ से दस गुनी तक है इस फसल पर पानी बहुत खर्च होता है जो रबी में अधिक फायदे से इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः धान का अधिक प्रोत्साहन ऐसे प्रोजेक्ट्स पर उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

श्री जुझारसिंह : क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि खरीफ की फसल में दूसरी फसलों को पानी देने का प्रावधान है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मूलतः यह प्रोजेक्ट रबी का है। खरीफ में पानी देना नहीं सोचा गया था। पानी की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कभी कभी खरीफ में दे देते हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या रबी में तीन चार पानी नहीं दे पा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब तक इन सारे प्रोजेक्टस् की स्थिति को देखें तो कई ऐसे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं जो ग्रब तक एक या दो बार ही पूरे भर पाये हैं। एक तरफ आपके हिसाब से पानी की कमी हुई फिर धान को पानी देना संभव नहीं हो सकता।

श्री जुझारसिंह : जी नहीं। मेरी जानकारी में यह है कि बरसात के टाइम में नदी का पानी वैसे ही बह जाता है इसलिए निवेदन किया था कि बरसात के टाइम में चूंकि पानी बहुत होता है उस पानी को वैसे ही बहने दिया जाय उसके बजाय यदि वह पानी धान में देने के काम ग्राये तो क्या हर्ज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्यालसे कोई पानी बरबाद नहीं होता है।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए, स्थगित प्रश्न, श्री हरलाल मीणा।

स्थगित प्रश्न

२६-१-६८

देवगढ़ रेंज में कत्थे का ठेका

१४८ **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़)** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के रेन्ज देवगढ़ के ब्लाक नालवा २ हांडी व नकोर टीला ५० हांडी के कत्थे का ठेका दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों से ठेकेदार ने सैकड़ों ग्रधिक हांडियों द्वारा कत्था तैयार किया? अगर हां, तो नालवा में कितनी ग्रौर नकोर टीला में कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने उक्त दोनों ब्लाकों में तीन सौ हांडी द्वारा कत्था निकालने एवं राजस्व विभाग के वन में कत्ये के वृक्ष काटने की जांच करने के बाद चीफ कन्जरवेटर को सूचना दी।

(४) क्या यह भी सत्य है कि ठेकेदार के पिता एवं दोनों भाई वन विभाग की ब्लेक सूची में हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से व ठेका किसके नाम से दिया गया ?

(५) क्या डी० एफ० ग्रो० चित्तौड़गढ़ ने किसी व्यक्ति की शिकायत पर कलेक्टर की जांच के दो दिन पूर्व यह रिपोर्ट दी थी कि उक्त जंगलों में ठेके पर दी गई हांडियों से ग्रधिक हांडियों द्वारा कत्था तैयार नहीं किया जा रहा है ?

(६) क्या यह भी सही है कि चीफ कन्जरवेटर ने इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवाई थी ? यदि हां तो जांच के बाद क्या रिपोर्ट दी ?

वनमन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :
(१) जी हां।

(२) जांच रिपोर्ट के आधार पर कम से कम ५६ हांडियां अधिक लगी होनी चाहिये जो टीला मुकाम पर थी। ग्रन्य स्थानों हांड़ियां जांच रिपोर्ट में पाया जाना साबित नहीं होता। नालवा में कत्था का एवरेज १६ मन १४ व नकोर में १४ मन ११ सेर प्रति हांडी बनाया गया।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(३) जी नहीं।

(४) पिता श्री खान मोहम्मद को छोटी सादड़ी रेंज के भैरवी कत्था कूप १९५५-५६ का ठेका लेकर कार्य नहीं करने के कारण फरवरी, १९५७ में ब्लैक लिस्ट किया गया है। भाई ब्लैक लिस्ट में नहीं है।

(५) जी नहीं।

(६) रिपोर्ट के आधार पर निम्न स्थिति पाई गई।

(१) ठेकेदार ने जंगल की सीमा से बाहर निकट के जंगल से नाजायत तौर पर पेड़ काटे।

(२) ठेकेदार ने नाजायज तौर पर कत्था बनाया.

(३) ठेकेदार ने चोरी से कत्था निकास किया।

(४) ठेकेदार ने ठूठों की ड्रेसिंग नहीं की।

(५) ठेकेदार ने कटाई व तैयारी माल मियाद बाद की।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : क्या यह सत्य है कि २७-२८ अप्रेल को डी० एफ० ओ०, चित्तौड़ ने जहां कत्था बन रहा था उसकी जांच की तो क्या रिपोर्ट दी ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : (मन्त्री महोदय के कागज तलाश करने पर) क्या यहां हांडियों की तलाश हो रही है ?

श्री रोशनलाल : डी० एफ० ओ०, चित्तौड़ ने २७ व २८ अप्रेल को जहां कत्था बन रहा था वहां जाकर जांच की तो उनकी जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : २७-२८ अप्रेल डी० एफ० ओ० वहां... ...

श्री अध्यक्ष : गये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उससे पहले वहां गये।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पहले का नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या २७-२८ अप्रेल डी० एफ० ओ०, चित्तौड़ वहां गये थे और उन्होंने वहां जांच की थी तो क्या रिपोर्ट दी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, आर्डर ! आर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डी०एफ०ओ० ने जो अभी तक जांच की है उस जांच के आधार पर अतिरिक्त हांडियां कत्थे की बनाये जाने की शिकायत सही नहीं पाई गई ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : डी०एफ० ओ० वहां गये हैं और उन्होंने जांच की है और उन्होंने जो जांच की है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि १५ चैकिंग पार्टियां १-५-६७ को वहां भेजी तो १५ हांडियां जलती हुई आग पर रखी हुई पाई गई जिनमें ताजा चिप्स भरी हुई थी और उनमें

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

से भाप निकल रही थी और ४१ हांडियां जिनमें चिप्स भरी हुई थी गरम थीं....

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इसके पूर्व भी डी०एफ०ओ० ने जांच की है और इस बात को गलत पाया गया है कि अतिरिक्त हांडियां कत्थे की निर्माण की जा रही थीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : डी० एफ० ओ० को बारम्बार शिकायत हुई है और एक दफा वे वहां गये जिसके पहले उनको ए० सी० एफ० से जांच रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार कोई जायद कत्थे की शिकायत नहीं थी, लेकिन जब वे १-५-६७....

श्री भैरोंसिह : ठीक है, ठीक है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : को यानी मई के महीने में वहां पर गये उस समय उनको मालूम पड़ा कि इस तरह से जायद हांडियां थी।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय ने सदन में पिछले सत्र में इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि अतिरिक्त हांडियां कत्थे की नहीं बनाई गई थीं और वह इन्हीं डी० एफ० ओ० के उत्तर के आधार पर जवाब दिया था ?

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री महोदय की स्मृति में है कि इस तरह का उत्तर दिया गया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इतना याद नहीं है कि अतिरिक्त कत्था बनाया गया यह मैंने कहा या नहीं कहा। अतिरिक्त कत्था जो कुछ भी बनाया गया है उसकी मैंने आपको जानकारी दी है।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस मामले को लेकर डी० एफ० ओ० को और रेन्जर को सरकार द्वारा मोअत्तिल किया गया था ? और मोअत्तिल करने के बाद उनको बहाल किन कारणों से किया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह सही है। यह सब शिकायत आई तो उसके ऊपर वन-मंडल अधिकारी को एक रेन्जर को इसलिए मोअत्तिल किया गया कि एन्क्वायरी स्पष्ट रूप से वहां पर हो सके। इसके बाद वन-मंडल अधिकारी का तबादला कर दिया गया और रेन्जर को बाद में भी मोअत्तिल रखा गया। जब तबादला कर दिया गया तब उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया और एक पत्र सेक्रेटरी को भी लिखा था...

श्री अध्यक्ष : उसके बाद ले लिया गया।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर रहा था उसके अनुसार वन-मंडल अधिकारी ने यह बताया कि समय समय पर उनको इस बात की रिपोर्ट मिलती रही और वे जांच करते रहे और सुपरवाइजरी राल के अन्दर कोई उन्होंने नुक्स नहीं रखा, इसलिए उनकी मोअत्तिली हटाई गई।

श्री अध्यक्ष : That is all. Next.

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा और है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता आर्डर प्लीज ! श्री मीणा !

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि ठेकेदार मयाद के बाद भी कत्था बनाता रहा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि १-५-६७ की रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार की स्थिति पाई गई है।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि ठेकेदार के यहां हांडियों की तादाद ज्यादा निकली ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह भी सही है।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि डी० एफ० ओ० ने ठेकेदार का माल जाने से रोक दिया था उसके बाद चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट ने निकासी बाहर टूर पर रहते हुए दी और यदि दी तो किन कारणों से दी और रोका तो किन कारणों से रोका था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वन मंडल अधिकारी की नजर में जब ६-५-६७ को इस प्रकार की बात आई तो उन्होंने ठेकेदार को यह आदेश जारी किया—

"ठेकेदार ने अपने कत्थे की हांडियों के आसपास नालियां बनाकर हांडियां लगाई हैं जो पत्री मौके की ५-५-६७ से स्पष्ट है। अतः लेख है कि जिस कदर ठेकेदार को कूप व डेरे पर चैक किया था उसकी निकासी न होने दी जाय जहां तक अन्य आदेश न पहुचें।"

इस प्रकार के आदेश उन्होंने दिये और वन-मंडल अधिकारी ने यह सूचना टेलीफोन द्वारा भी मुख्य कार्यालय को दी। ये सब कार्य हुए हैं।

श्री रोशनलाल : मेरा प्रश्न तो यह ही है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि वन-मंडल अधिकारी ने तो कत्थे की निकासी पर चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट ने बगैर जानकारी दिये ही माल का निकास करने के लिए ठेकेदार को आज्ञा टूर पर होते हुए भी दे दी, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री सोहनलाल।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ी गड़बड़ी हो रही है और इस मामले में बहुत गड़बड़ है और वनमंत्री महोदय, जो जवाब दे रहे हैं वह स्पष्ट नहीं है। यह मामला मामूली नहीं है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विषय में जांच की गई और जांच आज भी खुली हुई है और उसके...

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट ने......

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को कहने दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो भी जांच की गई थी उसके आधार पर मैं निवेदन कर

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

चुका हूं कि ५६ हांडियां अधिक निकलीं । उसका आश्रय लेकर उसके अनुसार ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है और उस पर जुर्माना भी किया गया है । १७,९३५) रु० तो अतिरिक्त वन–कटाई के लिए और ७१,२०८) रु० विशेष हांडियां बनाने पर ।

श्री अध्यक्ष : फिर क्यों खोलते हैं और प्रश्न पैदा हो जायेंगे ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार उस पर ९१,०३२) रु० का जुर्माना भी किया गया ।

श्री रोशनलाल : मेरा प्रश्न यह है....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जवाब दे सकेंगे कि सी सी एफ के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है या नहीं ?

श्री रोशनलाल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । मेरा प्रश्न पहला है । मैं जानना चाहता हूं कि डी एफ ओ ने माल रोका...

श्री अध्यक्ष : दोनों के साथ उत्तर दे दीजिये ।

श्री रोशनलाल : उसके जो कारण बताये । मंत्री महोदय ने यह कहा कि माल अधिक हांडियों से निकाला इसलिए रोका । तो सी सी एफ ने उस माल की निकासी के लिए दौरे पर होते हुए आबू रोड से आदेश दिये हैं उसके क्या आधार हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह जानकारी हैं माननीय मंत्री महोदय ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जानकारी में है ।

श्री रोशनलाल : सब जानकारी में है । सब बातें जानकारी में हैं । क्या जानकारी में नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दीजिये । और प्रश्न भी हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक प्रश्न मेरा भी है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : उत्पन्न नहीं होता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय ने बताया कि ९१ हजार का जुर्माना किया, उसके आदेश क्यों नहीं इश्यू हुए अभी तक ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जिस वक्त वन मंडल अधिकारी ने पाया कि इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है तो उसने माल को जब्त करने के आदेश दिये । उसके पश्चात् ठेकेदार ने सी सी एफ को रिप्रेजेन्ट किया कि उसका माल बिगड़ रहा है क्योंकि माल की निकासी को रोक दिया है और यह सब कार्यवाही हुई है तो सी सी एफ ने वन मंडल अधिकारी को आदेश दिया...

श्री अध्यक्ष : जमानत ले ली जाय ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कि जमानत ले ली जाय उसके बाद में उसको माल दे दिया जाय, माल लौटा दिया जाय। जून में, ३–६–६७ को पीछे यह आदेश दे दिये गये कि कत्था लौटा दिया जाय, माल ले जाने दिया जाय। यह आदेश इस बिना पर दिया गया कि बिल की रकम का दस पर्सेन्ट, जो करीब दस हजार थी, उसके अलावा आठ हजार नकद और उसके अलावा निजी तौर पर जमानत एक लाख के करीब की ली और यह कार्यवाही वन मंडल अधिकारी ने कर दी।

इस जमानत को पर्याप्त समझा गया, यह सोचा गया कि चोरी की रकम जितनी निकलेगी उसको जमानत की रकम में से वसूल कर लिया जाय। इस आधार पर इजाजत दी गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया है। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि आपने जो जुर्माना ६१ हजार कुछ बताया है उस जुर्माने की रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में अब तक आदेश जारी क्यों नहीं किये गये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे......

श्री रोशन लाल : आदेश जारी किये हैं उनका नीचे के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के सी सी एफ को चोरी के माल को जमानत के ऊपर छोड़ने के अधिकार रूल्स के अन्तर्गत नहीं हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कानूनी मामला है।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : यह कानूनी मामला है। इसमें जो अधिकारियों ने उचित समझा वह कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मीणा। आर्डर प्लीज। आर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कृपा करके इस बारे में जानकारी दे सकेंगे, यह ठेके जो देते हैं यह स्टेन्डर्ड आफ एग्रीमेंट के अन्तर्गत देते हैं या नहीं देते हैं ? यदि स्टैन्डर्ड फार्म आफ एग्रीमेंट के अन्तर्गत ठेके देते हैं तो क्या यह एग्रीमेंट के खिलाफ कार्यवाही की है, इस तरह मनमाने तौर पर चोरी के माल की अगर निकासी करने के लिए कर्मचारी ही इजाजत दें तो क्या यह ठीक है या नहीं ? माल जो चोरी का है की निकासी करने के सम्बन्ध में पैनल्टी के तौर पर ठेके को कैंसिल करने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान एग्रीमेंट में है या नहीं कृपा करके इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यद्यपि यह प्रश्न अलग से है, फिर भी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि स्टेन्डर्ड फार्म आफ एग्रीमेंट के अनुसार ठेके दिये जाते हैं और उसके अनुसार ही यह यह सारी कार्यवाही होती है। सब अधिकारियों को अलग अलग अधिकारों का विभाजन हुआ है और उनके अन्तर्गत ही वह अलग अलग कार्यवाही करते हैं। इस विषय में जो कत्थे के ठेके का सवाल हैं, एग्रीमेंट की धारा १२ है उसके अन्दर कुछ अधिकार मुख्य वन संरक्षक को हैं और उसके आदेश से जो रूल्स बने हुए हैं, उनके रूल ४० के मुताबिक जो विशेष हांडिया लगाई जायं या दूसरी लगाई जायं उसका सवाया लिया जा सकता है और उससे अधिक भी लिया जा सकता है। इस प्रकार के रूल्स हैं और........

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : चोरी की व्यवस्था को लीगेलाइज करते हैं क्योंकि पीनल क्लाज, आपके एग्रीमेंट के अन्तर्गत यह प्रावधान नहीं है कि चोरी वह करे तो उसका ठेका कैंसिल हो। मेरे ख्याल यह कोई एग्रीमेंट नहीं है सरकार का। सरकारी माल का मनमाने तौर पर, वह खुल्लमखुल्ला चोरी करे और पीनल क्लाज, इवोक करने के लिए इतना प्रावधान नहीं कर सकें कि ठेके को कैंसिल कर सकें तो इस तरह सब प्रोसेज लीगेलाइज कर रहे हैं चोरी का और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि खास खास कन्डीशन्स में, खास खास वजूहात में चोरी करने की इजाजत दी जाय और उसके ऊपर अमुक जुर्माना करके सारे प्रोसेज को लीगेलाइज कर लिया जाय। यह तो दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। यह कोई अरेन्जमेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा नहीं है. यह तो उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने सिम्प्लीफाई करके लम्बा उपदेश फर्मा दिया वह तो मैं मानता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि पीनल क्लाज है, उसके अन्तर्गत ठेका रद्द हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार जो कुछ विशेष वहां पाया गया, इस केस में सवाये का हिसाब लगाकर जुर्माना किया गया है, उसकी राशि भी मैंने बताई है, वह ९१ हजार के करीब राशि आती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यानि ठेके में चोरी करायें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह सही नहीं है कि इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, या कानून नहीं है, रूल्स नहीं हैं। सब कुछ हैं और उन्हीं के अनुसार चोरी पकड़ी जा सकती है, चोरी पकड़ी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : एक इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है कि जुर्माने की रकम में कत्थे की रकम कुल कितनी है और एक्चुअल पैनल्टी कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार विश्लेषण कर सकेंगे ?

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : मैं निवेदन कर दूं........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह एग्रीमेंट इस सिद्धान्त को लेकर बनाया गया है कि जो चोरी करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। कृपा करके स्टेन्डर्ड फार्म ग्राफ एग्रीमेंट को ग्राप सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : में निवेदन कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : कर दीजिये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : नाजायज तौर पर वृक्षों से लिये कत्थे के ऊपर वन मण्डल ग्रधिकारी ने निर्धारित जुर्माना वसूल किया उसकी रकम आती है १७१०४.२० नये पैसे ठूंठों की ड्रेसिंग नहीं करने के लिए और इत्यादि के लिए भी जुर्माना किया गया, ग्रौर मियाद के बाहर जो हांडियां लगाई गई हैं उनके लिए भी जुर्माना किया गया। ५६ हांडियां हमारे ग्रनुमान से होती हैं, उसके हिसाब से ७१६०० रुपये उन हांडियों का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं है सवाल। यह बतायें कि ५६ हांडियों के लिए जो ७१ हजार रुपये का जुर्माना लिया गया उसमें कत्थे की कीमत शामिल है....

श्री नारायण मसूदा : वह सवाया जुर्माना है।

श्री जयनारायण सालोदिया : है क्या कीमत ?

श्री रोशनलाल : ग्रध्यक्ष महोदय, सवाल यह है......

श्री जयनारायण सालोदिया : सवाये के आधार पर यह है तो क्या इसमें कीमत शामिल है ?

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : आपने कहा कि ७१ हजार है तो क्या ६० हजार कीमत हुई ? ७१ आपने जो सवाया लगाया है, क्या इसमें ६० हजार तो कीमत के वसूल किये हैं ग्रौर ६० हजार कीमत होती है उस पर दस-ग्यारह हजार जुर्माने के हो गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय..........

श्री रोशनलाल : जो कत्था आपके कब्जे में है उसकी कीमत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं व्यवस्था देता हूं.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय को आप कहिये कि तैयार होकर ग्रायें।

श्री रोशनलाल : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।

श्री ग्रध्यक्ष : में प्रश्न को स्थगित करता हूं ग्रौर अन्य स्थगित प्रश्नों को भी स्थगित करता हूं।

प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगित प्रश्न

(२९–१–६८)

ग्राम पंचायत जुगराजपुरा में भूमि का एलॉटमेंट

१२७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) ग्राम पंचायत जुगराजपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर में भूमि एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा १६-७-६६ की बैठक में किन किन भूमिहीन किसानों को भूमि एलॉट की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि भूमि उन व्यक्ति को भी एलॉट करदी गई जिनके पास पहले से ही भूमि थी ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कितनी कितनी भूमि थी और उनके क्या नाम हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित एस. डी. एम. के पास इस एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध मे यह शिकायत की गई है कि पहले जिन व्यक्तियों का उक्त बैठक में भूमि दी गई थी उनके प्रार्थना-पत्र ही बाद में गायब कर दिये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एस. डी, एम. ने क्या कार्यवाही की है ?

(पुनः स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(३०–१–६८)

सिंचाई कार्यों में अवाप्त की गई भूमि

१८३. **श्री दौलतराम ार** (डूंगरगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक नहरों, बन्धों, तालाबों आदि सिंचाई के कार्यो के लिए कितनी, कृषि योग्य भूमि अवाप्त की गई या नहरों, बन्धों, तालाबों आदि के निर्माण में काम में आई है ?

(२) इस उपरोक्त कृषि योग्य भूमि के कृषि कार्यों के उपयोग में न आने के कारण कितने कृषि-उत्पादन की हानि होने का अनुमान है ?

(३) उपरोक्त समय में कितनी कृषि योग्य भूमि बन्धों, तालाबों के निर्माण से डूब में आ चुकी है ?

(पुनः स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२०–१–६८)

भरतपुर शहर व तहसील में ईंटों के भट्टे

१८६ **श्री नत्थीसिह** (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर व तहसोल में ईंटों के कई भट्टे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से कई भट्टे बिना मंजूरी लिए लगाए हुए हैं ?

(श्री नत्थीसिंह)

यदि हां, तो ऐसे भट्टों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या इनमें से किन्हीं ने ब्रिक क्लिन रूल्स के अन्तर्गत कोई पेनल्टी चार्जेज अदा किए हैं? यदि हां, तो कितने और किस किस ने ?

(४) उपरोक्त भट्टों में सुभाष चन्द्र मटोली राम व रामस्वरूप राजेन्द्र प्रसाद के नाम से भी भट्टे थे या नहीं? यदि हां, तो कब से ?

(५) क्या यह सही है कि कलेक्टर भरतपुर ने इन भट्टों को अनधिकृत रूप से चलाने के कारण बन्द करने का कोई हुक्म दिया और क्या इस बारे में राजस्थान सचिवालय की रेवेन्यू शाखा से रेवेन्यू सचिव अथवा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के जाली हस्ताक्षरों से कोई जाली स्टे-आर्डर कलेक्टर भरतपुर व तहसील भरतपुर के नाम से भेजे गए थे? यदि हां, तो उनकी तामील की गई?

(६) क्या यह सही है कि उन जाली आदेशों में एक आदेश रामस्वरूप राजेन्द्र प्रसाद के नाम से एक भट्टे को १९ या २० हजार की जमानत पर चालू रखने संबंधी था और क्या यह सही है कि उक्त जमानत लेकर उक्त भट्टे को चालू रखने की इजाजत दी।

(पुनः स्थगित किया गया)

श्री सतिशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको हिदायत दीजिये कि यह तैयार होकर आयें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इनके सीधेपन का फायदा उठाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आगे मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वह स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : फिर कब आयेगा, पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : आ जाएगा।

श्री दौलतराम सारण : बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न आज स्थगित किये गये हैं उनको प्रॉयोरिटी दी जाय।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में आयातित अनाज

२९०. **श्री मनोहरसिंह मेहता** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सन् ६२ से दिसम्बर सन् ६७ तक किस-किस वर्ष में कितना अनाज बाहर से आया?

(२) आयातित अनाज की तादाद उत्तरोत्तर कम हो रही है या बढ़ रही है?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई पर व्यय

२६४. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की प्रथम द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के निमित्त मेजर, मीडियम व माइनर वर्क्स पर प्रत्येक योजनाकाल में कितना अलग अलग खर्च किया गया ? यह खर्च प्रति व्यक्ति क्या पड़ता है ?

(२) इन तीनों योजनाओं में अलग अलग काल में जो लक्ष्य मेजर, माइनर, व मीडियम साइज वर्क्स के बाबत निर्धारित किये गये थे, क्या वे प्राप्त हो गये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) इन तीनों योजनाओं के दौरान जो धनराशि राज्य ने इन वर्क्स के लिये निर्धारित की थी, क्या वह सब काम में आई अथवा कुछ ऐसी है जो काम में नहीं ली जा सकी ? अगर हां, तो उसका क्या कारण है व कितनी धनराशि किस योजना में बची ?

(१) उत्तर प्रत्येक योजनाकाल के खर्च की सूची संलग्न है। यह खर्च प्रति व्यक्ति लगभग १७ रुपये पड़ता है।

(२) निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में कुल कमी रही जिसके मुख्य मुख्य कारण वर्षा का कम होना किसानों द्वारा सिंचाई के जल का उपयोग ठीक से न करना साथ ही बांधों में आशा के विपरित आव क्षेत्र से कम जल प्राप्त होना आदि संलग्न सूची में लक्ष्य व पूर्ति के आंकड़े अंकित है।

(३) जी हां, मूल प्रावधानों के अतिरिक्त भी व्यय हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

अलवर रेन्ज में सालर के पेड़ों का ठेका

३०३ **श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में राज्य सरकार ने अलवर रेन्ज से सालर के पेड़ों का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है ? यदि हां, तो यह ठेका किसको दिया है, किन शर्तों पर दिया है और कब दिया है ?

(२) उक्त ठेका देने से पूर्व क्या कोई सार्वजनिक सूचना निकाली गई थी और आम लोगों को ठेका लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो यह सार्वजनिक सूचना कब और कहां प्रकाशित हुई थी ?

(३) क्या उक्त ठेका लेने के लिये किन्हीं और लोगों ने भी दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां, तो किस किस ने और कब कब ?

(४) क्या उक्त ठेका देते समय इन दरख्वास्त देहन्दान को भी सूचित किया गया था और उनकी दरख्वास्तों पर भी विचार किया गया था ?

उत्तर

(१) ठेका २६।३०-८-६८ को नीलाम करने पर सर्वाधिक बोली श्री अमरलाल की

(श्री वन मन्त्री)

प्राप्त हुई किन्तु अभी ठेका स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः ठेकेदार को दखल नहीं दिया गया।

(२) नीलामी की सूचना २७-३-६७ के राजस्थान राजपत्र भाग ७ (ख) में प्रकाशित हुई।

(३) अन्य कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

३०८. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में क्या क्या उद्योग-धंधे चलाए जा रहे हैं और कहां कहां पर ?

(२) इन उद्योगों में कितने श्रमिकों को रोजी मिल रही है ?

(३) राजस्थान में आगामी वर्ष क्या-क्या उद्योग-धंधे सरकारी क्षेत्र में चलाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(१) सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में निम्नलिखित उद्योग चलाये जा रहे हैं:—

१—लवण उद्योग-डीडवाना व पचपदरा।

२—सोडियम सल्फेट वर्क्स-डीडवाना।

३—सोडियम सल्फेट प्लान्ट-डीडवाना।

४—सोडियम सल्फाइड प्लान्ट-डीडवाना।

५—राजकीय ऊनी मिल-बीकानेर।

६—पलाना लिग्नाईट खान-पलाना।

७—गंगानगर शुगर मिल्स-गंगानगर।

८—हाईटेक ग्लास फैक्ट्री-धौलपुर।

(२) निम्नलिखित उद्योगों में निम्नलिखित मजदूरों को रोजी मिल रही है:—

१—लवण उद्योग, डीडवाना व पचपदरा। इस उद्योग में १०० मजदूर कार्य कर रहे हैं। करीबन ३००० आदमी नमक बनाने का कार्य करते हैं।

२—गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर। इस उद्योग में ४५० मजदूर स्थाई तौर पर व ११०० मजदूर अतिरिक्त चीनी के उत्पादन काल में।

३—पलाना लिग्नाईट खान, पलाना। इस उद्योग में ५० मजदूर कार्य कर रहे हैं।

४-सोडियम सल्फेट वर्क्स, डीडवाना। खुदाई का कार्य ठेके से होता है, जिसमें २०० आदमी काम करते हैं।

५—सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना। इस उद्योग में ८६ मजदूर कार्य कर रहे हैं।

६—सोडियम सल्फाइड प्लान्ट, डीडवाना। इस उद्योग में ३५ मजदूर कार्य कर रहे हैं।

(श्री राजकीय उपक्रम मन्त्री)

७-हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर । इसमें ५०० मजदूर कार्य कर रहे हैं लेकिन इस समय फैक्ट्री चालू नहीं है ।

८—राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर । इस मिल में १५० मजदूर कार्य कर रहे हैं । (३) सरकार लैदर टैनेरी का उद्योग चलाने व मौजूदा सोडियम सल्फेट प्लान्ट का विस्तार करने का इरादा रखती है । रासायनिक खाद के निर्माण की योजना भी विचाराधीन है । इन उद्योगों को उपक्रम विभाग के अधीन चलाये जाने की योजना है । अन्य उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं विभाग से जानकारी प्राप्त की जावे ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति

८३. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन—पोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के प्रशासक श्री सुखलाल मंत्री को ५५ वर्ष की आयु होने के कारण राज्य-सेवा से मुक्त कर दिए जाने के पश्चात् पुनः उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

श्री सुखलाल मन्त्री, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के प्रशासक को ५५ वर्ष की आयु होने के कारण राज्य-सेवा से मुक्त कर दिया गया था, किन्तु बाद में उनको इसी पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए थे पर बाद में पुनर्नियुक्ति के आदेश रद्द कर दिये गये ।

लिपिकों व उच्च लिपिकों की वरिष्ठता सूची

८४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिलाधीश व उसके अन्तर्गत कार्यालयों में कार्य करने वाले लिपिकों की वरिष्ठता सूची जिलेवार तैयार की जाती है या राज्य स्तर पर ? यदि जिला स्तर पर तैयार की जाती है तो नागौर जिले के लघु लिपिकों व उच्च लिपिकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । और राज्य स्तर पर की जाती हो तो राज्य स्तर की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जिलाधीश एवं उसके अन्तर्गत कार्यालयों में कार्य करने वाले लिपिकों की वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर तैयार की जाती है । जिला नागौर से सम्बन्धित वरिष्ठ लिपिकों व कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होते के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

Page No. 46

गंगानगर शुगर फैक्ट्री

८५. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर की शुगर फैक्ट्री में १९६४, १९६५ व १९६६ में कितना कितना मुनाफा हुआ है ?

(२) इस फैक्ट्री में उपरोक्त तीन सालों में क्या खर्चा हुआ है ?

(३) इस फैक्ट्री के मजदूरों को क्या रोजाना मजदूरी दी जाती है ?

(४) किसानों से जो गन्ना लिया जाता है वह ६४, ६५ व ६६ में अलग अलग सालवार किस भाव से लिया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री पर किसानों की गन्ने से भरी हुई गाड़ियां सूबह से शाम तक खड़ी रहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या किसानों की गन्ने की गाड़ियां एक साथ में खाली नहीं कराई जा सकतीं ?

(७) इस फैक्ट्री में हर वर्ष कितने टन चीनी तैयार की जाती है और इस चीनी का वितरण कहां किया जाता है ?

(८) इस फैक्ट्री में सालाना कितने गैलन कौन सी शराब तैयार की जाती है ?

(९) यह शराब किस तरीके से किसकी मारफत किस भाव से बेची जाती है ?

(१०) क्या इस फैक्ट्री की व्यवस्था को देखने के लिए कोई बोर्ड बनाया गया है और क्या उस बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य भी हैं ?

उत्तर

१— इस फैक्ट्री के लाभ-हानि के आंकड़े निम्न दिये जा रहे हैं:—

१९६३-६४	रु.(—)	६,३९,५५०.००	(हानि)
१९६४-६५	रु.(—)	६,५८,७७२.००	,,
१९६५-६६	रु.(+)	८७,४६६.००	लाभ
१९६६-६७	रु.(+)	७०,१५३.००	,,

२—खर्चे के आंकड़े निम्न दिए जा रहे हैं:—

६३-६४	७९,३१,०७३
६४-६५	६५,७८,७१७
६५-६६	१,२४,६३,९६१
६६-६७	१,५६,५२।३४३

उपरोक्त मद में निम्न खर्चे शामिल हैं:—

१-कच्चे माल की खरीद ।
२-स्टोर कन्ड्यूमिड ।
३-फ्यूल और पावर कन्ड्यूमिड
४. एम्पलॉईज रिम्यूनिरेशन
५-आबकारी कर
६-रिपेयर्स एण्ड मैन्टीनेंस ।

(श्री राजकीय उपक्रम मन्त्री)

७-किराया।

८-रेंट्स और टैक्सेस

९-सेलिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग खर्चे

१०-संस्थापन एवं अन्य खर्चे ।

११-ऑडिट फीस व खर्चे

१२-इंश्योरेन्स

१३-डिबेन्चर पर ब्याज

१४-फिक्स कर्जे पर ब्याज।

१५-अन्य ब्याज।

१६-डेवलपमेंट रिबेट रिटर्न आफ।

१७-डेप्रीसियेशन रिटर्न आफ।

१८-फिक्स एसेट्स रिटर्न आफ।

(३) आजकल प्रतिदिन कम से कम एक अनस्किल्ड श्रमिक की मजदूरी ३.५८ आती है। शुगर वेज बोर्ड के अनुसार वेतन दिया जाता है जिसकी वेतन-श्रृंखला संलग्न है।

(४)केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित निम्न दरों पर गन्ना इस फैक्ट्री द्वारा खरीदा गया:—

वर्ष	गेट पर	बाहर के स्टेशनों पर
६३-६४ कीमत की क्विंटल	रु. ५.३५	५.०३
६४-६५	रु. ५.३६	५.०४
६५-६६	रु. ५.३६	
६६-६७:—		
१-२४-११-६७ से		
२६-१२-६६ तक	रु. ५.३६	५.०४
२-२७-१२-६७ से	रु. ५.६८	५.३६

(५) नहीं।

जितना गन्ना पेलने के लिए प्रतिदिन आवश्यकता होती है उतना ही गन्ना मंगवाया जाता है। गन्ने की गाड़ियां सुबह से ही आना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे गाड़ियां गेट पर आती हैं, उनको नम्बर दिया जाता है और उसी नम्बर के मुताबिक इन गाड़ियां को तोला जाता है और तोलने के बाद खाली करने के लिए केन केरियर पर लगा दी जाती हैं, जहां खाली हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी गाड़ी को सुबह से शाम तक खड़ा होना पड़े। सबसे देर में आने वाली गाड़ियां अधिक से अधिक रात के ९-१० बजे तक वापिस चली जाती हैं। ऐसी ही व्यवस्था सारे भारतवर्ष की शुगर मिल्स में प्रचलित है।

(६) यह सम्भव नहीं।

(७) चीनी उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

६३-३४	३६१३.२	मि.टन
६४-६५	३२२६.५	,,
६५-६६	८८१७.६	,,
६६-६७	६३८८.१	,,

(श्री राजकीय उपक्रम मंत्री

इस चीनी का वितरण (बेचान) श्री गंगानगर में होता है। खाद्य विभाग (राजस्थान सरकार) विभिन्न जिलों को एलॉटमेंट करता है। उन जिलों के कलेक्टरों के आदेशानुसार अधिकृत व्यापारियों को वितरण कर दी जाती है।

(८) गंगानगर की शुगर फैक्ट्री में कोई शराब तैयार नहीं की जाती। हां, इस फैक्ट्री के पास लगी डिस्टिलरी में शराब तैयार करने का कोई सालाना कोटा निर्धारित नहीं है। गत दो वर्षों में निम्न प्रकार शराब तैयार हुई :—

	१९६५–६६ (प्रूफ लिटरर्स)	१९६६–६७
(१) रेक्टीफाइड स्प्रिट–	१५,३२,०३८	२१,६०,४८९
(२) देशी शराब–	९,७२,०४६	९,५७,३३९
(३) भारत निर्मित विदेशी मदिरा।	२२,७०६	१,००,८९१

(९) जो शराब तैयार होती है वह आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार को मोलासेस बेस ३.५० प्रति एल० पी० गैलन और गुड़ बेरा ६.८० प्रति एल० पी० गैलन और केसर-कस्तूरी १४.०० प्रति गैलन दी जाती है। आबकारी विभाग निर्धारित इश्यू कीमत पर अपने लाईसेन्स होल्डर्स को वितरण करते हैं। यह शराब आबकारी विभाग से अण्डर बोर्ड वेयर हाउस में स्टोर रहती है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा आबकारी विभाग द्वारा जारी किये गये परमिटों के आधार पर इश्यू की जाती। मदिरा की दरों की तालिका संलग्न है।

(१०) हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

शराब की बिक्री

८६. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर)–क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में वित्तीय वर्ष ६४–६५, ६५–६६ और ६६–६७ में से प्रत्येक वर्ष में शराब की बिक्री कितने रुपयों की हुई ?

(२) इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के माह अप्रेल से मार्च तक प्रत्येक माह की (पृथक पृथक) शराब की बिक्री (पृथक पृथक माह की बिक्री) प्रत्येक जिलेवार कितने कितने रुपयों की हुई।

उत्तर

(१) राज्य में वित्तीय वर्ष १९६४–६५, १९६५–६६ और १९६६–६७ में शराब की बिक्री क्रमश:—

रुपये ५,७०,५६,५८१,

रुपये ७,०७,०१,६७२ व

रुपये ७,४८,०७,१२० की हुई।

(२) मानचित्र संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय को भेज दी गई)

नागौर जिले के शराब के अधिकृत विक्रेता

८७. श्री रामसिंह कुड़ी(जायल) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले में शराब के अधिकृत विक्रेता कौन-कौन हैं?तथा कितने-कितने रुपयों के गारन्टी सिस्टम से ठेके किस-किस समय के लिए किस-किस ठेकेदार को किस-किस क्षेत्र के लिये मुकर्रर किये गये हैं ?

(२) किस-किस ठेकेदार में किस-किस समय का कितना-कितना रुपया बकाया है ? ठेकेदारों के नाम पते, वल्दियत, कौमियत व सकूनत बताने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि गारन्टी सिस्टम में यह शर्त होती है कि यदि कोई ठेकेदार या उसका साझेदार ठेकेदार नाजायज शराब की बिक्री करते पकड़ा जावे या दोषी पाया जावे तो पूरा ठेका रद्द कर दिया जाना लाजमी है ? यदि हां, तो क्या नागौर शहर के ठेकेदारों के साथ इस तरह का सलूक सरकार ने किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी की टंकण की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र

८८. श्री मोतीलाल (रेवदर सु०) : क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज-पत्र भाग ४ (ग) दिनांक १३ जुलाई, १९६७ पृष्ठ संख्या ४२२ क्रमांक २ (बी) में यह प्रकाशित हुआ है कि हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में टंकण की गति ४० शब्द अंग्रेजी या ३० शब्द हिन्दी टंकण में प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण कनिष्ट लिपिक की नियुक्ति ९८) रु० पर की जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की मार्कशीट में सिर्फ प्राप्तांक ही लिखे जाते हैं न कि टंकण की गति ? यदि हां, तो क्या निर्धारित अंक के अनुसार गति निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो कितने अंकों पर अंग्रेजी टंकण की गति किस प्रकार मानी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी, हां।

(२) जी हां।

प्राप्तांक के अनुसार गति निधारित नहीं की गई है।

असिस्टेन्ट फॉरेस्टर के पदों पर नियुक्ति

८९. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या फॉरेस्ट विभाग में फॉरेस्ट गार्ड से असिस्टेन्ट फॉरेस्टर बनाने के नियम हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(२) क्या यह सही है कि झालावाड़ फॉरेस्ट डिवीजन में चार असिस्टेन्ट फॉरेस्टरों की पदोन्नति फॉरेस्ट गार्ड से उक्त नियमों के अन्तर्गत हुई है? यदि हां तो किन किन की?

(३) क्या उक्त पदोन्नति करने में सीनियोरिटी का खयाल रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? और सीनियर व्यक्तियों की पदोन्नति नहीं करने के क्या कारण है?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम १९६३ के अनुसार सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य होने के लिये वन रक्षक की न्यूनतम सात वर्ष की सेवा हिन्दी मिडिल या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र होना चाहिये। जिनके पास हिन्दी मिडिल या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र तथा किसी वन रक्षक विद्यालय में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है वे कम से कम १० वर्ष वन रक्षक के पद की सेवा में होने तथा वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पदोन्नति योग्य व्यक्तियों की योग्यता व अनुभव कार्य कुशलता, निपुणता, योग्यता आदि बातों को देख कर दी जाती है। केवल वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाता।

(२) जी हां, सर्वश्री गोपालसिंह, रामगोपाल, कैलाश चन्द, तथा भगवत सिंह।

(३) पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता, कार्यकुशलता, तथा शिक्षा को ध्यान में रखा गया है तथा ये पदोन्नतियां अस्थाई रूप से एतदर्थ आधार पर हुई है अतः इनसे अन्य वन रक्षक की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती स्थायी प्रबन्ध किये जाते समय नियमानुसार सभी बातों का ध्यान रखा जाकर पदोन्नति दी जावेगी।

बाली तहसील के वन क्षेत्र में आई सम्पत्ति का मुआवजा

९०. श्री पृथ्वीसिंह (बाली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नव घोषित वन में अगर किसी काश्तकार एवं अन्य नागरिक की सम्पत्ति (खेत अथवा घर) आ जावे तो उसको मुआवजा देने का प्रावधान है?

(२) अगर हां, तो बाली तहसील में कितने व्यक्तियों की सम्पत्ति पिछले १० वर्षों में वन क्षेत्र के अन्दर सम्मिलित हुई है और उनमें से किन किन व्यक्तियों को क्या क्या मुआवजा मिला है कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) जी हां, वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा काश्तकार एवं अन्य नागरिक की सम्पत्ति यदि घोषित वन में सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है तो मुआवजा देकर उसका अवाप्त करने की कार्यवाही की जाती है।

(श्री वन मन्त्री)

(२) गत दस वर्षों में बाली तहसील में जिन व्यक्तियों को भूमि वन क्षेत्र के अन्दर सम्मिलित हुई है उन्हें उस सम्पत्ति का उपयोग करने दिया जा रहा है। अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। इन क्षेत्रों का वन बन्दोबस्त अभी पूरा नहीं हुआ है। वन बन्दोबस्त के समय अगर किसी सम्पत्ति को वन क्षेत्र में सम्मिलित करना आवश्यक समझा जावेगा तो उसे नियमानुसार अवाप्त कर उसके मालिक को मुआवजा दिया जा सकेगा।

समाज कल्याण केन्द्र

६१. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान भर में कहां कहां कितने समाज-कल्याण केन्द्र हैं ?

उत्तर

राजस्थान में समाज-कल्याण विभाग द्वारा कहीं भी समाज कल्याण केन्द्र नहीं चलाये जा रहे हैं।

स्थगित प्रश्न

(२९-१-६८)

५१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई सु.) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों को खुले ६ माह हो गये हैं पर अभी तक पूरी ड्रेसें, जूते, पुस्तकें नहीं मिली हैं ? यदि हां, तो क्यों, और कब तक दिलाई जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं। समस्त छात्रावासों में ड्रेसें, जूते और पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं और कुछ छात्रावासों में चमड़े के जूते और इस वर्ष दी जाने वाली अतिरिक्त ड्रेसें टेन्डरो द्वारा उपलब्ध नहीं होने से देना शेष हैं, जो फरवरी माह के अन्त तक उपलब्ध करा दी जावेगी।

(१२.२८ म. प.)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

निम्नांकित सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव.........(विराम) पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सदन के एक माननीय सदस्य मालमसिंह के स्वर्गवास के सम्बन्ध में...

कई माननीय सदस्य : हो गया।

श्री अध्यक्ष : Refer the neighbours :

विधायी कार्य विधेयकों का पुरः स्थापन
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६८ का पुरः स्थापन

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने रखा है प्रस्ताव ? वह मन्त्री महोदय कहां गये ?

श्री अध्यक्ष : हो गया साहब।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करता हूँ।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६८ का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : उदयपुर विश्वविद्यालय।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। इससे पूर्व भी, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसका उत्तर स्थगित रखा गया है कि क्या इस सदन में हिन्दी के राज भाषा घोषित हो जाने के बाद अंग्रेजी में कोई विधेयक पेश किया जा सकता है ? इसका उत्तर स्थगित किया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने। हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप व्यवस्था दें। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक तो हिन्दी में पेश किया है। वह ठीक है लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक है, यह अंग्रेजी में पेश किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे दूंगा। अभी प्रस्तुत करने का मौका दीजिये।

क्या सदन की सम्मति है कि उदयपुर विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,१९६८ को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री शोभाराम: अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन–प्रस्ताव।

निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं:–

(१) श्री आलम अली खां ने जिला सीकर ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर थाना खण्डेला में दिनांक ४-२-६८ को एक राजपूत विधवा महिला के साथ पुलिस हैड कान्स्टेबल द्वारा बलात्कार किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

तथा तत्पश्चात् उस महिला की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री किशनलाल वर्मा, श्री पृथ्वीराज, श्री शंकरलाल व श्री नाथूराम ने श्री हरसहायराम निवासी नया बास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर के साथ डी०एस०पी० व नीम के थाने के इंचार्ज द्वारा मारपीट करने के फलस्वरूप श्री हरसहाय राम के दिल पर सदमा पहुंचा और इससे उनका देहान्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) श्री श्रवण लाल ने हिण्डौन सब-डिवीज़न के एस०डी०एम० के स्थानान्तरण हुए ४ माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी एस०डी०एम० वहां पर न पहुँचने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(४) श्री रामकिशन व श्री श्रवणलाल ने नियुक्ति विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के २२ कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त चारों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाये। इसके अतिरिक्त ये मामले बजट पर होने वाली बहस तथा विभागों से सम्बन्धित मांगों पर किये जाने वाले वाद-विवाद में कटौती प्रस्तावों के जरिए उठाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा प्राप्त हुआ है जिस का सम्बन्ध खेतड़ी प्रोजेक्ट (जिला झुंझुनूं) में दिनांक २३-२-६८ को खेतड़ी प्रोजेक्ट एरिया में ११ मजदूरों की पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के कारण प्रोजेक्ट एरिया में काम करने वाले मजदूरों द्वारा हड़ताल कर देने तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा २४-२-६८ को धारा १४४ लागू कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति से है। इस मामले का संबन्ध राज्य में शान्ति व व्यवस्था कायम करने से है। अतः इसे मैं सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह अवश्य चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में गृहमन्त्री द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य सुविधानुसार आज या कल दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इंजीनियरिंग के छात्रों के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य आलम अली ने रखा है, मेरे ख्याल में जिस हालत में महिला की मृत्यु हुई है, उसको सामने

(श्री विजयसिंह रावत)

रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि क्योंकि इसके कारण वहां पब्लिक में तनाव है। तनाव फैला हुआ है। मैं समझता हूं कि इसको शान्त करने के लिए मन्त्री महोदय वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज,आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में श्री दौलतराम द्वारा प्रस्तुत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा भी एक एडजर्नमेंट मोशन है।

श्री अध्यक्ष : पार्डन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रोजगार देने के सम्बन्ध में जो उदासीनता हुई उसके सम्बन्ध में मेरा भी एडजोर्नमेंट मोशन है।

श्री अध्यक्ष : इसका भी साथ ही माननीय मन्त्री उत्तर दे देंगे।

श्री आलमअली : मेरा जो कटौती प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव नहीं है। वह आ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट सैशन है, इसलिए कहा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सतीशचन्द्र जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में।

श्री आलमअली : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। वह बहुत महत्त्व की बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज,आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री आलम अली : स्थान ग्रहण करता हूं। मैं आप का आदेश मानता हूं लेकिन जनता नहीं मानती है। जनता के साथ न्याय नहीं होता है, और आप कहते हैं, आर्डर-प्लीज, आर्डर प्लीज।

शासकीय वक्तव्य

इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र जी का जो छात्रों की हड़ताल समाप्त करने, उनको रोजगार देने के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव है, उस विषय पर मन्त्री महोदय आज वक्तव्य दे सकेंगे क्या ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : हड़ताल के सम्बन्ध में मैं वक्तव्य दे दूंगा। लेकिन रोजगार के संम्बन्ध में जो है, उसका सम्बन्ध दूसरे मन्त्री से है।

श्री अध्यक्ष : उस पर कल वक्तव्य दे देंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : बेरोजगारी से मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बेरोजगारी का सुखाड़िया जी से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : आप वह वक्तव्य दे दें।

Page No. 55

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही दे रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, कल क्या क्या. वक्तव्य देंगे ? एक तो इंजीनियर बनाने वाले दूसरे इंजीनियरों को बेरोजगार करने वाले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज् ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरे प्रिवि-लेज मोशन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपने आसन को ऐसा केन्द्र मान लिया है, जिससे प्रश्न मुझ से अलग से पूछ जाते हैं। आप चाहते हैं कि उनका जवाब यहां दूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष का प्रश्नोत्तर काल है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज्, माननीय सदस्य !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरे ध्यान आक-र्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज् । श्री शिक्षा मन्त्री !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी दे देंगे बाद में। स्थान गृहण करें । माननीय बाढ़-दार जी आप हमको मदद कीजिये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कुछ व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया, स्थान गृहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम आप से मिल लेंगे इस सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : Thank you । मुझ से मिल लीजिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, केवल मुझे एक निवेदन करना है। ज्यादा नहीं। जो प्रिवलेज मोशन मैंने रखा था, उसके लिए कांग्रेस के एक शिड्यूल्ड-कास्ट मेम्बर ने यह कहा था कि आप प्रिविलेज मोशन रख दें, मैं यादव साहब की खाल खींच दूंगा । आज वह लोग खड़े नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे यह शंका है कि—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज। मैं आपकी बात को नहीं सुन रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ११–२–६८ को अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामा-नन्द जी ने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपने अनुमति अभी देकर इन्जी-नियरिंग कालेज के छात्रों की जो हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए मुझे आदेश दिया है, उस

(श्री शिवचरण माथुर)

सम्बन्ध में मैं अपके समक्ष आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं :—

सन् १९४७ में देश में केवल ४७ स्थानों पर तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत डिग्री स्तर तक के कालेज थे। सन् १९४९-५० वर्ष तक राजस्थान राज्य में तकनीकी शिक्षा देने के लिए सिर्फ एक ही कालेज पिलानी में था।

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् जब देश में आर्थिक विकास में प्रगति लाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई थीं उस समय यह अनुभव किया गया कि तकनीकी शिक्षा के हेतु जो तत्कालीन संस्थाएं योग्यता प्राप्त इंजीनियर उपलब्ध करा सकती थीं उनकी संख्या कृषि एवं उद्योग सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए बहुत कम थी।

एक छात्र को तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर तक की योग्यता प्राप्त करने के लिए ५ वर्ष का शिक्षण आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक था कि भिन्न २ योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ५ साल पहले ही इस बात का पूर्वानुमान लगाया जावे कि कितने योग्यता प्राप्त इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। तकनीकी जन शक्ति के अनुमानों को कई एजेंसिन्यों, कमीशन्स द्वारा तय किया गया था इनमें से साइन्टिफिक मैन पावर कमेटी, आल इन्डिया कोन्सिल फार टैकनिकल एजूकेशन, दी इन्सटीट्यूट आफ अप्लाईड मैन पावर रीसर्च, दी प्लानिंग यूनिट आफ दी इंडियन स्टेटिस्टिकल इन्सटीट्यूट, दी लन्दन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स, प्लानिंग कमीशन के प्रास्पेक्टिव प्लानिंग डिवीजन के सहयोग से तथा राज्य सरकार के वर्किंग ग्रुप इत्यादि हैं। इन्जीनियर्स की संख्या अनेक योजनाओं की प्रगति को देखते हुये बहुत ज्यादा अनुमानित की गई थी इसी को देखते हुये कई नये इन्जीनियर्स कालेज खोले गये तथा मौजूदा संस्थाओं में विद्यार्थियों की भरती संख्या को भी बढ़ाया गया। इसी प्रकार सन् १९५१ में एम. बी. एम. कालेज, जोधपुर में प्रारम्भ किया गया। सन् ५१ से ५६-५७ तक इसमें सिर्फ सीविल इन्जीनियरिंग की डिग्री स्तर तक शिक्षा की सुविधा ही उपलब्ध थी तथा डिप्लोमा व सर्टीफिकेट कोर्स की सुविधायें भी उपलब्ध थीं। इसके पश्चात् सन् ५७-५८ में माईनिंग इन्जीनियर व ५८-५९ में इलेक्ट्रीकल मेकेनिकल की शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध की गई।

इनकी भरती क्षमता समय समय पर बढ़ाई गई जो निम्न प्रकार है :—

एम. बी. एम. इंजीनियर कालेज, जोधपुर

वर्ष	डिग्री डिप्लोमा	सर्टिफिकेट
१९५१-५२	५४ सीविल	५९ सीविल
१९५२-५३	२५ ,,	७ ,,
१९५३-५४	३७ ,,	३३ ,,

Page No. 57

वर्ष	डिग्री	डिप्लोमा	सर्टिफिकेट	
१९५४-५५	३७ सिविल	५८ सिविल १२ इलेक्ट्रिकल १६ मेकेनिकल	१५	
१९५५-५६	३६ सिविल	६३ सिविल ८ इलेक्ट्रिकल ११ मेकेनिकल	११	
१९५६-५७	४१ सिविल	५६ सिविल १२ इलेक्ट्रिकल १२ मेकेनिकल	१०	८०
१९५७-५८	९६ सिविल २६ मेकेनिकल	९० सिविल १५ इलेक्ट्रिकल २६ मेकेनिकल	६	४९

	पार्ट	सिविल	माइनिंग	इलेक्ट्रिकल	मेकेनिकल
१९५८-५९	१	२१	६	७	७
	२	९०	२५	३०	३०
१९५९-६०	१	२९	८	१२	१२
	२	६७	१९	२५	२३
१९६०-६१	१	६०	१६	२२	२२
	२	९०	२५	३०	३०
१९६१-६२	१	९०	२६	३०	३०
	२	९०	२६	३०	३०
१९६२-६३	१	१२३	४४	७०	७५
	२	१०७	४०	६९	६९
१९६३-६४		९०	४०	६०	६०
१९६४-६५		९०	४०	६०	६०
१९६५-६६		९०	५०	६०	६०
१९६६-६७		९०	२५	६५	७०
१९६७-६८		९०	२५	६५	७०

Page No. 58

(श्री शिवचरण माथुर)

इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मालविया रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज ६३-६४ में प्रारम्भ किया गया। यह केन्द्र सरकार के सात क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की योजना में से एक था। इसकी क्षमता प्रगति इस प्रकार रही कि प्रथम वर्ष में ६७ विद्यार्थी पिलानी में गेस्ट स्टूडेन्ट्स के रूप में भर्ती किये गये, जब मालविया रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में शिक्षा प्रारम्भ हुई तो भरती की संख्या क्रमशः १२० व १८० की गई। इसमें इलैक्ट्रिकल में ६०, मैकेनिकल में ६०, सीविल में ३० तथा मैटेलर्जी में ३० विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के लिये इन्जीनियर्स की आवश्यकता को अनुमानित करने के लिये जो वर्किंग ग्रुप गठित किया था उसके अनुसार चतुर्थ योजना काल में लगभग २०६४ स्नातक स्तर के इन्जीनियर्स तथा ३३३६ डिप्लोमा स्तर के तकनिकी व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी। यह अनुमान इस बात को, दृष्टिगत रखते हुए किया गया था कि चतुर्थ योजना का प्रावधान तृतीय योजना के प्रावधान से डेढ़ गुणा होगा। उपरोक्त आवश्यकता के विपरीत राज्य सरकार की विद्यमान संस्थाओं में से २१८८ डिग्री स्तर के, तथा ४४७२ डिप्लोमा होल्डर्स उपलब्ध होंगे (परिशिष्ट बी) परिशिष्ट अ व ब के अनुसार सीविल में ३२४ की कमी और आंकी गई और बाकी ब्रान्चों में हम सरप्लस होंगे। अभाग्यवश योजना की प्रगति जिस गति से आंकी गई थी वह गति नहीं रखी जा सकी, जिसके निम्न कारण हैं :—

(१) भारत व पाकिस्तान का युद्ध

(२) भारत व चीन का युद्ध।

(३) अकाल

(४) उद्योग में शिथिलता इत्यादि।

इनका कुप्रभाव हमारी योजनाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एवं राणाप्रताप सागर एवं जवाहर सागर, माही प्रोजेक्ट व राज० प्लानिंग पर पड़ा। इस कारण तकनीकी शिक्षण प्राप्त व्यक्ति अधिकता में है। यह अधिकता पहले रुड़की इन्जीनियरिंग कालेज के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा नवम्बर १९६७ में प्रदर्शित की गई। इसके पश्चात् यह आन्दोलन चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के विद्यार्थियों ने शुरू किया और यही आन्दोलन २२-१-६८ को इसके फलस्वरूप राजस्थान में भी हुआ।

लेकिन इसके बाद आज जो आम तौर से इस प्रकार के टेक्निकल हैंड्स का अनएम्प्लॉयमेंट नजर आता है इसका मूल कारण हमारे देश में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होने के कारण तथा चीन का युद्ध हुआ उसके कारण योजनाओं में कमी की गई, उन योजनाओं की कमी मुख्य कारण है कि इन्जीनियर्स और टैक्निकल हैंड्स की बेरोजगारी का सवाल हमारे सामने आया। इसके सम्बन्ध में एक निश्चित कदम उठाने के लिये एक समिति का गठन किया गया है, वह समिति इस सम्बन्ध में अपनी राय देने वाली है। उसकी रिपोर्ट आ जाने पर उस

(श्री शिवचरण माथुर)

रिपोर्ट पर विचार करके शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जायगी। यह हमारे यहीं का सवाल नहीं सारे भारतवर्ष का सवाल है।

जहां तक हड़ताल का सवाल है सबसे पहले २२ जनवरी ६८ को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी यहां पर आये और हमारे यहां के विद्यार्थियों से उन्होंने बातचीत की। हमारे यहां के विद्यार्थियों को काफी समझाया गया, प्रिन्सिपल ने काफी समझाया पर समझाने के बावजूद मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज के विद्यार्थी हड़ताल पर चले गये। १२ तारीख को विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला और मैंने उनको समझाया कि जितने विद्यार्थी इन्जीनियरिंग कालेजेज से निकलते हैं और जितने पोलीटैक्नीक से निकलते हैं यदि वे सबके सब नौकरी की तलाश में रहेंगे तो उन सब को नौकरी देना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये मैंने उनको सुझाव दिया कि वे छोटे छोटे उद्योग लगाने की सोचें और काम में लगने की कोशिश करें। तो कोई कारण नहीं कि यह बेरोजगारी का सवाल हल नहीं हो। वे १२ तारीख को मुझसे मिले और १४ तारीख को गृहमंत्री जी से मिले, उन्होंने भी उन लोगों को यही कहा, इसके बाद मुख्य मंत्री जी से भी मिले।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अखिल भारतीय हड़ताल का सिलसिला है, ११ फरवरी से जोधपुर के विद्यार्थी भी हड़ताल पर हैं। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर सरकार विचार कर रही है। जहां अलग-अलग तौर पर काम करने का सवाल है, राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने वाली है और भी कई योजनाओं के बारे में सोचा गया है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये मैंने समिति के गठन का पहले ही निवेदन किया, वह समिति रिपोर्ट देने वाली है, उस उस पर शीघ्र ही विचार करके राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायगा।

मैं यह अपील करना चाहूंगा कि हड़ताल करने से हम समस्या का हल नहीं हो जायगा, इस समस्या के हल के लिये सोचना, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और कोई इसके समाधान के लिये रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हड़ताल से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। इस समस्या के समाधान के लिये एक कदम के रूप में हमें इन कालेजेज की इन्टेक केपैसिटी को रिडयूस करना है, हम दोनों इन्जीनियरिंग कालेजेज में पोलीटैक्नीक में इन्टेक केपैसिटी को घटा रहे हैं। आज जो इन्जीनियर्स की बहुतायत नजर आती है, वह इन्टेक केपैसिटी घटाने से कम होगी, यह भी एक इस समस्या का हल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनटेक केपैसिटी घटाने से यदि समस्या का हल हो सकता है तो कालेजेज और यूनिवर्सिटी को बन्द ही कर दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : यह भी एक हल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई समस्या का हल नहीं हो सकता।

श्री शिवचरण माथुर : बेरोजगारी की समस्या के हल के लिये तो मैंने निवेदन किया

(श्री शिवचरण माथुर)

कि दूसरे उपाय हम लागू कर रहे हैं। आज जो इन्जीनियर्स की बहुतायत नजर आती है।

श्री दौलतराम सारण : इतने दिनों तक टैक्निकल एज्यूकेशन का नारा क्या अन्धे हो कर दिया था ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो आज भी मानता हूं कि आज भी हमारे देश के इन्जीनियर्स और टैक्निकल हैड्स नौकरियों की तलाश के अलावा, दूसरी जगह काम करने का दृष्टिकोण अपनावें तो उनकी बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : शुरू रखिये।

एक माननीय सदस्य : वे तो बैठ रहे हैं साहब।

श्री शिवचरण माथुर : बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह मान बैठी है कि इन्जीनियर कालेजेज और पोलीटेक्नीक से निकलने वाले छात्र हैं उनकी संख्या हमारे देश में, आज हमारे देश को इनकी जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता से कहीं अधिक बन गई है और इसलिये इस समस्या के समाधान के लिये जो उन्होंने तत्कालीन कदम उठाने का सोचा है, वह उनकी संख्या घटाने के लिये इन्जीनियरिंग कालेजेज और इस तरह के इन्स्टीट्यूशन्स की इन्टेक केपैसिटी घटाने का अभी कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यह विचार धारा सरकार की है और इस निर्णय पर यदि सरकार पहुंच गई है तो यह देश के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निश्चय होगा। आज हमारे देश में ऐसे इन्जीनियर्स और टैक्निकल हैंड्स की बहुत बड़ी संख्या में जरूरत है. जिस देश में पहले से ही टैक्निकल लोगों की कमी है, इनके लिये हमारे देश को विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है, जब कि हमारा देश औद्योगिक प्रगति की शुरूआत में से गुजर रहा है, जबकि हमारे देश में कितने ही उद्योग लगाने की आवश्यकता है, जब कि हमारे देश का बहुत तेजी से औद्योगीकरण कर के आर्थिक तौर पर हमें अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे टैक्निकल लोगों की फौज की आवश्यकता है, अभी जब कि हम उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाये हैं, आज आवश्यकता इस बात की थी कि ज्यादा से ज्यादा इन्जीनियर्स और टैक्निकल हैंड्स तैयार करने के लिये ज्यादा से ज्यादा इन्जीनिरिंग कालेजेज और पोलिटैक्नीक इन्स्टीट्यूशन्स खोले जायं और इन्जीनियर्स और ऐसे टैक्निकल लोगों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय उसके विपरीत सरकार शुरूआत में ही अपनी गलतियों के कारण यह कदम उठा लें कि ऐसे लोगों की संख्या को कम करने के लिये इस प्रकार के इन्जीनियरिंग कालेजेज की इस प्रकार के पोलीटैक्नीक इन्स्टीट्यूशन्स की इन्टेक केपैसिटी को घटा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दे तो यह सरकार हमारे देश को इन पीढ़ियों को बहुत ही गलत दिशा में मोड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इससे समस्या का हल नहीं होगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि वास्तव में किन्हीं मानों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिये। तो यह जो हल इस समस्या का सरकार कह रही है, इससे इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। क्या सरकार यह मानती है कि जो फाइव ईयर प्लान्स बनाई थी, उनमें समन्वय नहीं था जिससे कि इन प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक लड़के इन्जीनियर बन कर निकल गये? वास्तविकता यह है कि आपने प्लानिंग एक दम बन्द कर दिया। थर्ड फाइव ईयर प्लान तब तक थी, जब तक नेहरू जिंदा रहे, या उनका प्लान चलता रहा तब तक आपको इन्जीनियर्स की आवश्यकता भी बनी रही और उन इन्जीनियर्स को आप खपाते रहे पर अब आपने प्लानिंग को एक तरह से खत्म कर दिया है, हर साल कहते जा रहे हैं कि अगले साल से प्लानिंग शुरु करेंगे। इसका मतलब यह है कि हजारों करोड़ रुपया प्लानिंग में खर्च किया गया है, यदि आप उन प्लान्स को आगे नहीं चलायेंगे तो हर चीज में आज संकट पैदा हो जायगा।

नहरों की हालत आज यह है कि मुख्य नहर बन गई, बन कर पूरी हो गई पर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनीं हैं। यही हाल बिजली का भी है कि बिजली की हाई टैन्शन लाइन्स खिच कर तैयार पड़ी हुई हैं पर आप दूसरी छोटी-छोटी लाइन्स नहीं खींच सकते। इसी तरह राजस्थान नहर का सैकिण्ड फैज खत्म कर दिया। इसी तरह बिजली में और-और जगह स्टाफ को कम कर रहे हैं, टैक्निकल स्टाफ को कम कर रहे हैं और हमारी प्रगति को उल्टो दिशा में रिवर्स गेअर में ले जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कदम आप उठा रहे हैं वह आपका गलत दिशा में है। शिक्षा के बढ़ते हुए कदम को रोकिये मत, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को रोजगार दिया जा सकता है यदि आप समाजवादी तरीके से देश की अर्थ व्यवस्था को बदलने को तैयार हों तो। इस तरह नहीं कर के सारे देश के पोटेन्शियल को घटाते हैं तो इसका कहीं अन्त नहीं होगा और इसका नतीजा यह होगा कि एक के बाद एक इस तरह के इन्स्टीट्यूशन्स बन्द करते चले जायेंगे। टैक्निकल कालेजेज की इन्जीनियरिंग कालेजेज की इस प्रकार की स्थिति होने वाली है। तो सरकार इस बात पर पुनः विचार करें कि विद्यार्थियों को या जनता को इससे संतोष नहीं होने वाला है। इससे स्थिति आखिर बिगड़ने वाली है।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने जो सदन में वक्तव्य दिया है उससे एक बात तो निश्चित सिद्ध हुई है कि हमारी सरकार पंच वर्षीय योजनाओं में पूर्णतः विफल हुई है। इसके साथ साथ मूल कारण पर मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया। आज यह समस्या राजस्थान तक ही नहीं सीमित है बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की समस्या है। मूल कारण तो यह है कि इस समय हमारी सरकार की फाइनन्शल पोजीशन खराब होने के कारण सरकार ने कुछ ऐसी

Page No. 62

(श्री भैरोंसिंह)

गलत नीतियों पर आचरण करने की चेष्टा की है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिसेशन आया और उसके कारण जो नए इंडस्ट्रियल आइटेम्स खुल सकते थे, इंजनियरिंग कंपनियां खुल सकती थीं, वे बन्द हो गईं। उसके कारण आज इंजनीयर्स बेकार चल रहे हैं। अब उन इंजनीयर्स के बारे में केवल यह कहकर संतोष करना कि हम इंजनियरिंग कालेज बन्द कर देंगे, इनटेक कम हो जायगा, उसके कारण समस्या का समाधान होगा, यह मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। एक बात सरकार को स्वीकार करनी चाहिए कि जो इंजनियरिंग कालेज हमने खोले उस समय खोले जिस समय हमें इंजनियर्स की आवश्यकता थी, जिस समय केन्द्र औद्योगिक विकास का स्वप्न ले रहा था, जिस समय यह समझा था कि भारत की फाइनेंशल पोजीशन इतनी खराब नहीं होगी जिसके कारण औद्योगिक रिसेशन आ सकता है और उद्योग सारे के सारे बंद हो सकते हैं। हमने इस प्रकार से इन्डाइरेक्ट वे में इंजनीयर्स को इस प्रकार की गैरंटी दी कि कालेजेज से निकलने के बाद उनको नौकरी मिलेगी। आज वह इंजनीयर्स, उनको एल०डी०सी० या यू०डी०सी० की पोस्ट मिल जाय, उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, वह भी उनको नहीं मिल पा रही है, जहां जाते हैं उनसे कहा जाता है कि नो वैकेन्सी। यह बात सदन मानकर चलेगा कि आज इंजनीयरिंग कालेजिज में जिन लोगों को एडमिशन मिलता है उनके जब हाई परसेंटेज आफ मार्क्स आते हैं तब ही एडमिशन मिलता है। तो एक प्रकार से ये एजूकेशनल इन्टलेक्चूअल्स हैं। तो उनको हम नौकरी नहीं दें और सिर्फ इनटेक केपैसिटी कम कर दें तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

सरकार यदि सरकारी सेवाओं में डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर पाती तो सरकार इस जिम्मेदारी को अपने पर ले कि हमारी योजनाओं के कारण हमने इन इंजनीयर इन्टलेक्चूअल्स को इंजनियरिंग कालेजेज में एडमिशन लेने के लिए बाध्य किया था, आज इनकी इम्पलाइमेंट की कोई व्यवस्था करें। पिछली बार गोल्डस्मिथ्स का प्रश्न आया था। सरकार ने इंडस्ट्रियल लोन के लिए कहा, जमीन देने की व्यवस्था की और भी कई कई सेक्टर्स में हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार तो बिल्कुल मौन होकर बैठी है। आज जितने भी इंजनियरिंग कालेजेज से विद्यार्थी निकल रहे हैं, आप मानेगें कि राजस्थान इंडस्ट्रियली बैक्वर्ड है, राजस्थान को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने कि कोशिश करें और इन इंजनीयर्स का सहयोग लें और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार इनको ऋण दें, टैक्नीकल असिस्टेन्स दें, कन्सेशनल रेट्स पर जमीन दें, पानी बिजली की सुविधा दें। मैं नहीं मानता कि इंजनीयर्स केवल सर्विस ही करना चाहते हैं, वे राज्य की बहबूदी के लिए नए उद्योग भी स्थापित करना चाहते है। बदकिस्मती यह है कि केवल यह कहकर सरकार मुक्त होती है कि नौकरी नहीं दे सकते और भविष्य में लड़कों की संख्या कम की जायगी। आज सरकारी नीतियों के कारण बेकारी बढ़ी है उसके लिए सरकार उनको बेकारी भत्ता दे, बेकारी मिटाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह)

करे । आप न भत्ता न खाने पीने की व्यवस्था करते हैं बल्कि लड़कों को गलत ढंग से प्रोत्साहित करके एडमिशन दिलाते हैं । अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं देते तो उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सार्वजनिक क्षेत्र में या सरकारी विभागों में एब्जार्ब करें और जब तक उनका किसी प्रकार का रोजगार का इंतजाम नहीं करते उस समय तक बेकार इंजनीयर्स को भत्ता देना चाहिए और भत्ता देकर उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनकी बेकारी की समस्या का समाधान हो पाए ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : आज जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया उसके दो हिस्से थे । एक था इंजनीयर्स की हड़ताल के बारे में । उसके लिए शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया । दूसरा है उनकी बेरोजगारी का । यह देशव्यापी प्रश्न है और राजस्थान में भी है उसके लिए उन्होंने फरमाया कि राज्य सरकार के विचाराधीन है और एक समिति बैठ चुकी है । फैसला होने पर राज्य सरकार इस पर सदन के सामने वक्तव्य देगी और इस बारे में बजट स्पीच के समय राज्य सरकार की पूरी नीति रख दी जायगी ।

श्री मदन सिंह : कालेज बंद होंगे ।

श्री अध्यक्ष : वित्तमंत्री ने कहा है इसलिए अब इस पर अधिक भाषण न हों तो अच्छा है और बजट के समय जैसे वित्तमंत्री ने कहा है, वह इस पर कुछ विश्वासपूर्वक अपनी नीतियों का उल्लेख करेंगे। जहां तक शिक्षा मंत्री का सवाल है वह यदि चाहें तो वक्तव्य दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्तमंत्री ने कहा कि जिस समय ८ मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण करेगी । तो मैं वित्तमंत्री से पूछना चाहूंगा कि जोधपुर का इंजनीयरिंग कालेज बंद है, जयपुर का बंद है, लड़के दिल्ली में प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं । आप सदन में प्रवचन दे रहे हैं, आपने विद्यार्थियों को बुलाकर कहा है कि वे ८ तारीख तक अपनी हड़ताल स्थगित कर दें और प्रदर्शन न हों ? गिरफ्तार लड़कों को आप छुड़वायें, इस सम्बन्ध में लड़कों से आपने कोई बात की है ? प्रेस को स्टेटमेंट दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक जोधपुर कालेज का सम्बन्ध है, मुख्यमंत्री, मैंने और विधि मंत्री ने जोधपुर में लड़कों को एड्रेस किया उनके डिप्यूटेशन से मिले, उनको बताया गया कि कमेटी बैठ चुकी है, जो देखेगी कि इस समस्या का वोल्यूम कितना है, उसके सोल्यूशन के लिए क्या-क्या स्टेप्स भारत सरकार ले रही है, हम क्या करेंगे, इस पर गंभीरता से विचार कर रही है । तब तक मेहरबानी करके हड़ताल मत करें । लेटेस्ट ८ तारीख तक बजट स्पीच के समय वित्तमंत्री नीति स्पष्ट करेंगे, यह उनके प्रतिनिधियों से भी मैंने कह दिया, मुख्यमंत्री और ला मिनिस्टर ने भी कह दिया और डिप्यूटेशन का जलूस भी आया उनसे भी कह दिया । उसके बाद भी यदि वे हड़ताल करते हैं तो....

Page No. 64

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १० फरवरी से पहले ?

श्री मथुरादास माथुर : अब जोधपुर में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब जोधपुर में चीफ जस्टिस आए थे तब आपने उपदेश दिया है, हड़ताल ९-१० फरवरी से हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : सब कमेटी की रिपोर्ट की बात को लेकर वित्तमंत्री ने जो उपदेश दिया है वह कैबीनेट की ही सब-कमेटी है, उसको एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। जहां तक मेरी जानकारी है सब-कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, तो किस पर विचार करने का प्रश्न पैदा होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह आंतरिक मामला है।

श्री भैरोंसिंह : आप कह दीजिए कि रिपोर्ट पेश नहीं हुई। अखबार में।

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट पेश नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : अखबार अखबार है।

(१ म० प०)

श्री अध्यक्ष : शिक्षामंत्री।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षामंत्री) : केवल हड़ताल से......

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से.........

श्री अध्यक्ष : विपक्षी दल के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कोई लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, मैं इस सम्बन्ध में कोई भाषण देने के लिये भी खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन यह जो हड़ताल हो रही है, इसका समर्थन मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक रूप से दृष्टिपात करेंगे तो जो यह हड़ताल हो रही है इसका भी महत्वपूर्ण कारण है। हमारे देश के इंजीनियर्स हैं जो अभी माननीय जनसंघ के नेता ने कहा– Flower of intelligentia.

बुद्धिजीवी लोगों में जो फस्ट डिविजन आने वाले लोग हैं– Flower of intelligentia में इस तरह से असन्तोष पैदा करते हैं तो सरकार की योजना खामी से भरपूर है। आपको यह पता होगा इंजीनियरिंग शिक्षा कितनी मंहगी है और इतनी मंहगी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् हजारों की तादाद में जो लोग हैं, उनको कह दिया जाय कि उनके लिये कोई व्यवस्था ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है और माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि उनको और कोई विचार करना चाहिये। नौकरी नहीं दी जा सकती है- हमारे देश में उनके लिये कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल से राजस्थान में काफी गुंजाइश है। आप जोब्स क्रियेट कर सकते हैं, उनको एम्पलाय कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जोधपुर में मैंने और माननीय मंत्रीजी ने उनको एड्रेस किया। आप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एड्रेस करें, ठीक है। मैं उसका स्वागत करता हूं, यह कोई बुरी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कोई न कोई योजना निर्धारित कर रहे हैं। आप यह योजना कब निर्धारित करेंगे ? इन लोगों की असन्तोष की ज्वाला बढ़ रही है और आपके पास कोई योजना भी उनके लिये नहीं है। आप लोगों को तत्काल उनके बारे में सोचना चाहिये। ऐसे लोग जो पूर्ण शिक्षित हैं—Cream of intelligentia इस तरह से उनके साथ विश्वासघात करें, कोई व्यवस्था उनके लिये नहीं करें यह आपकी प्लानिंग के अन्दर खामी है। मैं इतना तक कहने को तैयार हूं कि हम लोग सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं कि आप इंजीनियर्स को और न बढ़ायें, उसमें कमी करिये लेकिन उनके लिये कोई न कोई व्यवस्था या योजना होनी चाहिये ताकि उस योजना से सब लोगों को पता लगे। सरकार की सब थोथी योजनायें हैं मेरे ख्याल से ये व्यर्थ हैं, घातक हैं, देश के लिये अहितकर हैं ये सब विकास के बदले विनाश करती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। अगर गवर्नमेंट का इस प्रकार का व्यवहार होगा तो असन्तोष और भी बढ़ेगा और सरकार के लिये यह मंहगा सौदा हो जायगा।

श्री दौलतराम सारण : इससे एक बात और स्पष्ट हो गई। अध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार सो रही है या क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमंत्री) : आज से १० दिन पहले ही कर दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप कोई प्रोविजन रख कर चल रहे हैं तो वैसी घोषणा कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : आलरेडी कर दी है, उनके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। एट रेन्डम तो आप भी नहीं बता सकते हैं श्री भैरोंसिंहजी। यह तो पालिसी का सवाल है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो नेशनल प्राबलम है। पार्टी के बेसिस पर निर्णय करना थोथा घमंड है। नेशनल बेसिस पर इसका निर्णय लेने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं। सब जगह आपकी मोनोपोली और विजडम है।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार को जो आप लोगों ने बनाई है, उनको नीति निर्धारित करने का हक है और उसका अप्रूवल विधानसभा के सदस्यों से लेने का हक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका हक है मैं इसमें डिसपूट नहीं करता हूं लेकिन यह तो आपके समझ की बात है, हठधर्मी है। मैं मानता हूँ कि यह मोनोपोली और विजडम है। पालिसी बनाने में आप सक्षम हैं, यह ठीक है। मैं जनमत के आधार पर इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन क्या आपका दिल यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं सोचता है कि इनके साथ विश्वास-घात किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : कत्तई नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : एक बात बहुत स्पष्ट हो गई अध्यक्ष महोदय, कि जो योजनाबद्ध विकास लेकर चल रहे हैं, उसका पर्दाफास हो गया । एक तरफ टेक्निकल एज्यूकेशन का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उन टेक्निकल एज्यूकेशन वालों को रोजगार देने में आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । इसका एक मात्र कारण यह है कि योजनायें गलत तरीके से बनाई गई हैं । योजना में जिस काम को प्राथमिकता देनी चाहिये, उसको तो प्राथमिकता दी नहीं जा रही है और जो काम आज से २० वर्ष बाद करने चाहिये, उसको प्राथमिकता दी जा रही है । हो यह रहा है कि जो काम आज करने चाहिये उनको २० वर्ष या ५० वर्ष के बाद करने की योजना है और जो काम १० वर्ष या २० वर्ष बाद करने चाहिये, उनको बिना योजना बनाये आज कर रहे हैं । शिक्षितों में बेकारी बढ़ती जा रही है । कभी तो आप आबादी बढ़ने का बहाना लेते हैं, कभी अनावृष्टि और अकाल का बहाना लेते हैं । कभी कहते हैं कि टेक्निकल लोग मिलते नहीं है और आज जब टेक्निकल एज्यूकेशन के लोग रोजगार और काम मांगते है तो कहते हैं कि आपके लिये कोई व्यवस्था नहीं है और कोई विचार करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने कालेज क्यों खोले । चौथी योजना के पहले से ही आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये था ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपका ध्यान तो है ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे आप पैदा नहीं हुये थे, उससे पहले से ही ध्यान है । आप तो अभी आये हो ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो बहुत पहले ही आ गया था ।

श्री दौलतराम सारण : बीच में आप छोड़कर चले गये थे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गलत नियोजन का परिणाम शिक्षितों में बेरोजगारी का बढ़ाना है । आपने केवल सरकारी नौकरी को ही योजना का आधार रखा, इसका परिणाम यह हुआ कि आज बेकारी बढ़ रही है इसलिये मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनायें जिससे प्रत्येक व्यक्ति

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

के लिये योजना बने और प्रति व्यक्ति की आमदनी बढ़े और शिक्षितों में बेरोजगारी न फैले ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो यह इंजीनियरिंग कालेज में बेकारी के सम्बन्ध में जिस प्रस्ताव की सूचना सदन में प्रस्तुत हुई है और शिक्षा मंत्री जी को निर्देश दिया है कि वे अपना वक्तव्य दें । माननीय मंत्री महोदय ने सरकार की नीति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के सम्बन्ध में यह कहा कि हम जोधपुर गये थे और वहाँ के इंजीनियरिंग के छात्रों को उपदेश दिया है कि वे हड़ताल न करें। आने वाले ८ मार्च को सरकार की क्या नीति है, उसकी घोषणा करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके उपदेशों से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। आज देश में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भूख जीवन की एक प्राथमिक समस्या है। उस समस्या का समाधान आपके लम्बे चौड़े भाषणों से और आपके थोथे आश्वासन से होने वाला नहीं है। आज अफसोस इस बात का है कि हमारी योजनायें टेक्निशियन्स के अभाव में चल रही हैं दूसरी तरफ नो हाऊ योजना का अभाव है। मैं समझता हूं यह विचित्र नीति और विचित्रता की बात है। उनको जीवन यापन के लिये कोई मौका न मिले, उनको आप एम्पलाय नहीं कर सकें यह बड़े दुख की बात है। उनका भविष्य अन्धकार में है। केवल सदन में आश्वासन देने से कोई बात होने वाली नहीं है। उनको धोखे में रखने के अलावा यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ८—१० फरवरी को जोधपुर और जयपुर के इंजीनियरिंग कालेज बन्द हुए थे। इतने दिन से हड़ताल चल रही है। २० दिन हो गये राज्य सरकार के दो इंजीनियरिंग कालेज को बन्द हुये। वे दिल्ली में डिमोन्सट्रेशन करें और दिल्ली में गिरफ्तार हो जायं, राजस्थान में गिरफ्तार हो जायं। राज्य सरकार अपनी नीति निश्चित न कर सके। समिति की रिपोर्ट जो ७ दिन में आनी चाहिये थी वह समिति की रिपोर्ट न आये और सरकार इस बारे में निर्णय न ले इस बारे में विचार न करे राज्य सरकार के लिये इससे बड़ी कलंक की बात क्या हो सकती है ?

आज इन्जीनियर बेकार हैं ? कल डाक्टर बेकार हो सकते हैं तो क्या आप इसी तरह कालेज बन्द करते रहेंगे क्या यही कांग्रेस सरकार की नीति है। आज राजस्थान के लाखों विद्यार्थी कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आगे जाकर उनकी भी क्या इसी प्रकार दुर्गति होने वाली है। आज कांग्रेस के शासन काल में टेकनिकल एज्यूकेशन पाने वालों की यह हालत है यह जो दुर्गति हो रही है यह बड़ा भारी कलंक है, लोकतंत्र में यह सोचने का सवाल है। मैं इस मौके पर सभी साथियों से जो कांग्रेस में बैठे हुए नवयुवक वर्ग हैं जो नवयुवकों के विकास में दिलचस्पी रखते हैं विद्यार्थियों के प्रति जिनकी हमदर्दी है इस सारे कदम को उनकी हड़ताल को उनके प्रदर्शन को वाजिब मानते हैं वे सब सरकार की इस नीति की कन्डेम करने के लिये हमारा साथ देंगे। उनके आन्दोलन को समर्थन देने के लिये उनके साथ सहयोग प्रदर्शित करने के लिये लोकतन्त्रीय तरीका यह है कि एक दो मिनिट के लिये ही सही सरकार की नीति के विरोध में सदन से बहिगमन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि को नवजवान वर्ग के साथ है जिनकी विद्यार्थियों के साथ हमदर्दी है वे सदन से बहिगमन करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के एक नागरिक के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नाते यह कहना चाहता हूं और दुख के साथ कहना चाहता हूं यह जो आज की सरकार की व्यवस्था है वह क्रान्ति लायगी। ये हमारे सामने जो मन्त्री लोग बैठे हैं बुलेट के शिकार बनेंगे इस तरह के प्रदर्शन होंगे। इसके लिये रोष प्रगट करता हुआ मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिगमन करता हूं।

(जनसंघ एवं स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों का बहिगमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। बहिर्गमन करते हुए ग्राप कुछ नहीं कह सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री ग्रध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री ग्रध्यक्ष : इनके भाषण को एक्सपन्ज किया जाय।

(श्री मनोहरसिंह महता, संसोपा के सदस्य एवं रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

राजस्व. मंत्री (वृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कृष्णकुमार गोयल।

श्री अध्यक्ष : Just wait a minute.

कोटा के श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री वृजसुन्दर शर्मा) : ग्रध्यक्ष महोदय, कोटा के श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में श्री कृष्णकुमार गोयल ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कोटा की मजदूर यूनियन ने हड़ताल करने का नोटिस दिया था उसके बारे में श्रमिकों की यूनियन ने सरकार को १४ फरवरी को लिखा था उस पर सूचना मिलते ही समझौता अधिकारी को भेजा गया और २१-२-६८ को दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर प्रार्थना की कि उनमें समझौता होने की संभावना है ग्रौर बाद में दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिये।

इसके ग्रलावा श्रमिकों ने यह भी स्वीकार किया है कि ब्रिज एण्ड कम्पनी की गलती से मांग पत्र दिया गया था जब कि गुप्ता इन्जीनियरिंग कम्पनी को दिया जाना चाहिये था। श्रमिकों ने हड़ताल से इन कम्पनियों को हुई क्षति पर खेद भी प्रगट किया है तथा तीन श्रमिकों को छोड़कर सभी श्रमिकों को नेशनल इन्जीनियरिंग के पास काम दिला दिया गया तथा ग्रब कोई विवाद नहीं है।

ठेकेदार द्वारा आगे ठेका देने के बारे में जहां तक सवाल है यह एक रोग है जिसका निदान आपरेशन द्वारा करना होगा ग्रौर यह आपरेशन समाज ही कर सकता है। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा।

× × × ग्रध्यक्ष-पीठ के अदेशानुसार निकाले गये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ मैं इसके पूर्व यह निवेदन करूंगा कि बिजनैस बहुत काफी है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि वे कम से कम समय लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री ने उत्तर दिया।

मुझे अत्यन्त खेद है कि आज श्रमिकों के हितों की देखभाल का दम्भ भरने वाली सरकार ही श्रमिकों के बारे में इस प्रकार की नीति लेकर चलती है मालिकों के दबाव में आकर। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से यह रवैया सरकार का आगे भी जारी रहा तो मजदूरों का हित होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ये लगभग ३०० मजदूर जिनको नौकरी से निकाल दिया गया यही इस झगड़े का कारण था। और हड़ताल का प्रश्न नहीं था।

परटीकूलर एक सैक्शन के अन्दर इस फरटीलाइजर कम्पनी ने एक ब्रिज एण्ड कम्पनी को ठेका दिया। इन्कम टैक्स लाज और लेबर लाज से बचने के लिये। अब इस ब्रिज एण्ड कम्पनी ने भी क्या किया कि एक सब कन्ट्राक्ट गुप्ता इन्जीनियर्स नामकी एक फर्म को दे दिया। ये मजदूर काम कर रहे थे गुप्ता इन्जीनियर्स की ओर से। ६ सात आठ नौ और दस इन चार दिनों तक ३०० मजदूरों ने इसके खिलाफ कि मालिकों ने उनको वेतन नहीं दिया, आवाज उठाई तो उनको बिना कारण और बिना नोटिस दिये नौकरी से अलग कर दिया। मजदूरों से दिन रात काम कराने के बाद भी वेतन नहीं दिया। तनखा देनी चाहिये थी, वह नहीं दी जा रही थी इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो उन्होंने ६-७-८-९ इन चार दिनों तक इसके लिये लेबर डिपार्टमेंट को भी अवगत कराया और इसके पश्चात् जब इन तारीखों को वे गेट में जाने लगे तो इनको कम्पनी ने मना कर दिया। इसके बारे में श्रम विभाग का यह रवैया रहा कि यह लेबर विभाग सारी की सारी इसकी जिम्मेदारी गुप्ता इन्जीनियर्स पर डालना चाहती हैं और यही फरटीलाइजर कम्पनी चाहती है।

मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से एजेन्सी और सब एजेन्सी क्रीएट कर लेना और जब जिम्मेदारी का वक्त आवे तो सब एजेन्सी पर डाल देना और श्रम विभाग का भी यह स्थिति मान लेना उचित है। तीन तीन सौ मजदूरों के हक सुरक्षित नहीं। उनको उनकी पगार मिलनी चाहिये, अधिक समय तक काम करें तो उसका भत्ता मिलना चाहिये, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिये तो इसके लिये जिम्मेदार फरटीलाइजर कम्पनी को ठहराया जाना चाहिये। ये अपने एजेन्ट और सब एजेन्ट क्रीएट करके अपनी जिम्मेदारी सब एजेन्सी पर डाल देते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट जो इसके बारे में रुख लेकर चलता है यह उचित नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि अब कुछ को छोड़कर, जो व्यक्ति उनकी मांगों को लेकर अगुआ बने, उनको छोड़कर बाकी को रख लिया गया है। मैं निवेदन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करना चाहूंगा कि वे मजदूर जो बहुत दूर से आकर यहां मजदूरी करते हैं, बिहार और बंगाल के वे मजदूर हैं जो हजारों मील दूर से चलकर कोटा में आये उन ३०० मजदूरों को जब बेकार कर दिया और आज भी जब उनको वापिस रख लिया गया तो उनकी आवाज को उठाने वालों को नहीं रक्खा यह कितनी खतरनाक स्थिति है। क्या इस तरह से वे इन गरीब मजदूरों के हित चाहने वालों को खतम करके इन मजदूरों को चूसना चाहते हैं। क्या श्रम विभाग यही चाहता है कि कोई उनके हकों के लिये बोले नहीं, मालिकों को मनमानी करने की छूट देना चाहता है सरकार का श्रम विभाग। मैं उन ६-७ आदमियों के नाम पढ़कर सुनाता हूं जिनको आज तक वापिस नौकरी पर इसलिये नहीं रखा है कि वे उन मजदूरों की मांगों को लेकर अगुआ बने थे।

उनके नाम हैं।

हरचरणसिह

आर एस पाल

शाहबुद्दीन

नौशाद अली

सत्यनारायण

मदन शाह

गिरिजाप्रसाद

और दीन मोहम्मद

इन आठ को नौकरी पर नहीं रक्खा हैं। उनको इसके विपरीत जलील और परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं ब्रिज कम्पनी के मजदूर श्री ज्योतिचन्द्र दास को दफा १०७ और १५१ की कार्यवाही में फंसाकर सिटी मजिस्ट्रेट कोटा की कोर्ट से गिरफ्तारी के वारन्ट जारी करवाये हैं। यह मजदूरों का विक्टिमाइजेशन है सरासर। आप कहते हैं सुलह हो गई। यह सरासर गलत है। जो लोग उनकी वाजिब मांगों को लेकर आगे आये उनको विक्टिमाइज करके मजदूरों से अलग करने की मैनेजमेन्ट की साजिश है यह, और इसके प्रतिश्रम विभाग पूर्ण रूप से या तो उदासीन है या मैनेजमेंट से मिल गया है। इनको मुकद्दमों में फंसाकर इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है कि वे कोटा छोड़कर चले जावें।

आपने वक्तव्य दिया, श्रम विभाग ने भी कह दिया कि काम नहीं किया। उनकी डिमाण्ड की एप्लीकेशन डिफेक्टिव थी। गुप्ता इन्जीनियर्स के खिलाफ नहीं दिया। ब्रिज कम्पनी के दिया। यह सब मुख्य बात टालने की बात है। आज मैं आपको निवेदन कर दूं कि गुप्ता इन्जीनियर्स का कन्ट्राक्ट कैंसिल करदिया गया है। और दिखावे के लिये गुप्ता इन्जीनियर्स लापता हो गये हैं। श्रम कानूनों से बचने के लिये। पर आज एक बोगस कम्पनी उसी गुप्ता इन्जीनियर्स के मालिक के नाम से काम कर रही है।

तो निवेदन करूंगा कि इस तरह से ये लोग एजेन्सी और सब एजेन्सी क्रीएट करके मजदूरों को चूसते जा रहे हैं। इन पर आप रोक लगावें नहीं तो मजदूरों के हक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे।

(१.२५ म. प.)

श्री केदारनाथ (सभापति पदासीन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, जो विचार श्री कृष्णकुमार गोयल ने व्यक्त किये उसके लिये धन्यवाद।

जो केस ओरिजिनल एग्रीमेन्ट का मैंने वहां से फाइल पर मंगवाया है उसको देखने से मालूम पड़ता है कि जिनके नाम आपने लिये कि निकाल दिये गये, उनके दस्तखत कन्सीलियेशन में शामिल थे उनके नाम मैं आपके सामने अर्ज कर दूं।

फर्स्ट प्रतिनिधि नियोजित पक्ष में आर. एस. पाल, मजदूरों की तरफ से दीनमोहम्मद, शाहनी रामपालसिंह और इन चारों के दस्तखत हुए हैं। ये कन्सीलियेशन में शामिल थे और यह कन्सीलियेशन २१- २- ६८ को हुआ था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : २१ को मैं वहां था। उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, २३ तारीख दी गई थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं २१ तारीख की प्रोसीडिंग्स सुना दूं।

एक माननीय सदस्य : तारीख गलत लगा दी होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं नहीं, २१ के दस्तखत हैं। २१-२-६८ आज दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर बात की। इनमें समझौता होने की सम्भावना है अतः समझौता कराया जावे। अतः आज दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।

संलग्न समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किये।

इसमें चार आदमी मौजूद हैं। उस रोज की प्रोसीडिंग्स में यह २१ तारीख की प्रोसीडिंग है।

दूसरी बात यह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि १४ तारीख के पहले एक चिट्ठी यूनियन की तरफ से आती है कि इस इस तरह झगड़ा है। १५ तारीख को पहुंचते हैं और १६ को कन्सीलियेशन शुरू हो जाता है तो अब इसमें लेबर विभाग ने कौनसी लापरवाही की।

अब फैक्टरियों में क्या होता है, क्या नहीं होता है यह तभी हमारे तो नोलेज में आता है जब या तो कोई हमें लिखता है या कन्सीलियेशन की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती हैं।

यह एजेन्सी सब एजेन्सी यह तो हमारे समाज की एक बुराई है जो समाज ही ठीक कर सकता है। ये एजेन्सी और सब एजेन्सी क्यों कायम होती हैं इसका कारण क्या है आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुद इसके खिलाफ हूं। पर इसके लिये हमें, आपको और केन्द्रीय पार्लियामेन्ट को कानून बनाना पड़ेगा।

वेज बोर्ड ने एजेन्सी सिस्टम बन्द कर दिया है। सीमेन्ट वेज बोर्ड में भी कन्ट्राक्ट नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से सब को मानना पड़ेगा। तो इसमें भी जो कन्स्ट्रक्शन लेबर है, या और किसी तरह का लेबर है उसके बारे में भी कदम उठाये जावेंगे तभी जाकर इस सिस्टम को बन्द करना सम्भव हो सकेगा। वरना तो आज

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

की कानूनी स्थिति ऐसी है कि एजेंन्सी और सब एजेन्सी क्रीएट होती हैं, हो रही है और इसे रोका नहीं जा सकता। यह एक प्रकार का रोग है, इसका निदान करना पड़ेगा। आपरेशन इसका करना पड़ेगा। और इसका आपरेशन समाज को ही करना पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जो नाम मैंने बताये और जो आपने बताये क्या ये सारे के सारे लोग वापिस फैक्टरी के द्वारा ब्रिज एन्ड कम्पनी या गुप्ता इन्जीनियर्स द्वारा वापिस नौकरी पर रख लिये गये हैं और अगर नहीं रखे गये हैं तो क्या आप यह आश्वासन देंगे कि श्रम विभाग इनको रखवाने के लिये कार्यवाही करेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी इन्फोर्मेशन तो है कि तीन के अलावा जिसमें श्री हमीद साहनी पाल, ये तो अपना हिसाब लेकर अलग हो गये हैं। बाकी को रख लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऐसा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप मुझे बतायेंगे तो बात कर लूंगा।

आधे **घण्टे** की चर्चा

ग्राम माल बमौरी तहसील मांगरोल में भूमि की नीलामी सम्बन्धी

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, राजस्थान कोलोनाइजेशन चम्बल प्रोजेक्ट अलाटमेन्ट एण्ड सेल्स रूल्स ५७ के नोटिफिकेशन नम्बर एफ ६।४६५ आर डी ५७ दिनांक १३।११।५७ पब्लिश्ड इन राजस्थान गजट पार्ट ८ सी दिनांक ५।१२।५७ और राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट नम्बर २७ के तहत उसके नियम ५७ के अन्तर्गत इस चम्बल प्रोजेक्ट की जो जमीन नीलाम की जाती है उसको अलाट करने का अधिकार कलक्टर को होता है या उसको होता है जो गजेटेड अधिकारी हो और जिसकी नियुक्ति कलक्टर ने की हो।

पर सभापति महोदय, वहां जो नीलामी हुई है वह प्रारम्भ में ४.११.६५ को हुई २४ हजार की एक हुई और उसका चौथाई का छः हजार रुपया भी जमा करा दिया गया। वह नीलामी रामचन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र को हुई। इसके बाद ८।७।६६ को अपने नाबालिग पुत्र की तरफ से नाथूराम ने बोली लगाई वह नीलामी ३४ हजार में हुई जिसका एक चौथाई ८॥ हजार रुपया जमा करा लिया गया। लेकिन इसके बाद वहां के उप जिलाधीश उस समय के शिवदत्त शर्मा ने उस जमीन का अधिकार उनको नहीं दिया। और इसके बाद बड़े रहस्यमय ढंग से २२।८।६६ को नीलामी का ढोंग रचकर उसे दुबारा नीलाम कर दिया। यह प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से उप जिलाधीश ने, जिसे भूमि नीलामी का अधिकार नहीं अन्ता का नायब तहसीलदार जिसका नाम अजीतसिंह था जिसको नीलाम करने का अधिकार नहीं था नियमों के अन्तर्गत भी जिनमें स्पष्ट है कि जो गजेटेड अधिकारी नहीं है तो वह नीलाम नहीं करा सकता। जब तक कलक्टर उसे अधिकृत न कर दे पर उसने नियमों की पूरी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की पूरी अवहेलना करते हुए उस जमीन को नीलाम दुबारा कर दिया।

न उसने नीलामी का नोटिफिकेशन निकाला गजट में जो भी अनिवार्य था, न नोटिस जारी होने के बाद भूमि का पूरा विवरण लिखा जो लिखा जाना नियमों के अनुसार लाजिमी है, न खसरा नम्बर ही दिया गया। तारीख समय और स्थान भी दिया जाता है। लेकिन इन किन्हीं भी नियमों की उन्होंने खानापूर्त्ति नहीं की। उन्होंने सारे नियमों का उल्लंघन किया।

रूल १९ के अन्तर्गत सब क्लाज (२) में नोटिस सरकारी गजट में शाया किया जाना चाहिये था और उस क्षेत्र के किसी साप्ताहिक पत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिये और इसके बाद ढोल के द्वारा ढिढोरा पीटा जाना चाहिये था। लेकिन जिस तारीख को इस भूमि की नीलामी की गयी उस गांव के अन्दर न तो ढिढोरा पीटा गया और न ढोल ही बजाया गया और न गांव के अन्दर कोई नोटिस जारी किया गया। उस जमीन की नीलामी को जो कि उस गांव के अन्दर होनी चाहिए सभापति महोदय उस जमीन की नीलामी को गांवों में न करके एस० डी० एम० ने, खरीददार ने और नायब तहसीलदार ने जिसका कि मांगरोल तहसील की सब तहसील अन्ता है उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन सभापति महोदय एस०डी०एम० बेईमान है जो कि रिश्वतें खाता है जिसने इस व्यक्ति से ५००० रुपये की रिश्वत ली और नायब तहसीलदार को भी १००० रुपये की रिश्वत दिलाई और मांगरोल का तहसीलदार जो कि रिश्वत नहीं खाता है उसको तो नीलामी के अधिकार नहीं दिये और उस नायब तहसीलदार को दिए गए। जब कि कलेक्टर इजाजत नहीं देता कि वह नीलाम करने का अधिकारी नहीं है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, जिस समय जिस जमीन की नीलामी हो उसके पास में ही नोटिस लगाना जरूरी है। यह नीलामी नियमों के नियम २० के तहत या तो कलेक्टर करेगा या दूसरा अधिकारी जिसको कि कलेक्टर अधिकार देता है वह करेगा। इसके बाद नियम २१ (बी) (१) कोई भी व्यक्ति नीलामी की बोली लगाने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह निर्धारित कीमत का ५ प्रतिशत जमा नहीं करा दे। राज्य सरकार का ऐसा नियम है कि पहले भूमि नीलाम करते हैं उस जमीन का मूल्यांकन करते हैं और जमीन का मूल्यांकन करने के बाद जिस समय भूमि की नीलामी हो तो जो भी नीलामी की बोली लगाता है उसको पहले सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यांकन भूमि का ५ प्रतिशत जमा करवाना चाहिए लेकिन सभापति महोदय इस व्यक्ति ने गोपीलाल छीपा ने जिसको रहस्यमय ढंग से जमीन दी है उसने ५ प्रतिशत रकम जमा नहीं करवाई जब कि नियमों में साफ है कि जब तक ५ प्रतिशत रुपया जमा नहीं कराया जायेगा तब तक उसको बोली लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस नियम का सभापति महोदय उल्लंघन किया गया और उसके बाद में हमारे इन भूमि की नीलामी के रूल्स के अन्तर्गत साफ है कि जो आदमी आखिरी बोली लगाता है उसी समय २५ प्रतिशत जो बोली का है

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उसको उसी समय पर जमा करना आवश्यक है और यदि वह यह २५ प्रतिशत रकम जमा नहीं कराता है—तो उसकी बोली नहीं मानी जायेगी। लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने मेरे प्रश्न का उत्तर २३-१-६८ को दिया था उसमें बताया है कि इस व्यक्ति ने जिसकी बोली २२-८-६६ को हुई थी उसकी ६००० की रकम २२-८-६६ को जमा नहीं हुई लेकिन वह रकम २८-३-६७ को जमा हुई है। सभापति महोदय, जब कि हमारे नियमों में साफ है कि जिसकी आखिरी बोली होगी उसको उसी समय चौथाई जमा करना होगा और यदि वह नहीं कराता है तो उसकी सिफारिश करने का न तो एस. डी. एम. को अधिकार है और न उसकी बोली लगाने की वैधानिकता मानी जायेगी। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब कि चौथाई का ६००० रुपया २८-३-६७ को जमा कराया तो उसको अधिकार कैसे दिया गया और उसकी बोली कैसे मानी गई। सभापति महोदय, जिन दो व्यक्तियों ने चौथाई रुपया ४-११-६५ को २४००० की बोली लगाकर ६००० रुपया जमा कराया और ३४ हजार की बोली लगाकर ८५०० रुपया जमा कराया और तीसरी बोली लगाते समय न तो चौथाई ही जमा कराया और न सूचना दी गयी। मांगरोल तहसील में फर्जी कार्यवाही करके नीलामी कराई गयी है और इस प्रकार से आज तक वह १४।। हजार रुपया इन दो व्यक्तियों का ६५ से से पड़ा है उनको लौटाया नहीं गया और उनको अधिकार भी नहीं दिया गया। आज ाग दे रही है और न मूल रकम ही दे रही है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, यह जो भूमि वितरण का नियम है सब-नियम (एच) के तहत अधिक बोली लगाने के लिए २५ प्रतिशत जमा कराना पड़ता है उसके साथ ही साथ रूल २१ (एफ) में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले का केस राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा और वहां से मंजूरी आने के बाद उसकी स्वीकृति दी जायेगी। याने एस० डी० एम० जिसको जिलाधीश ने भूमि की नीलामी के अधिकार दिये हैं उस उप-जिलाधीश ने इसको स्वीकृति के लिए न तो राज्य सरकार के पास ही भेजा और फिर जब तक उसकी स्वीकृति नहीं ली जाये तब तक उस भूमि का पजेशन देने का उप-जिलाधीश को अधिकार नहीं है। जब उप-जिलाधीश ने राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली उन्होंने उसको पजेशन कैसे दे दिया? सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, रूल १९ सब-क्लाज़ (२) में नोटिस सरकारी गजट ने जो शाया किया जाता है उसके अन्तर्गत सब-नियम (२) के अनुसार बोली लगाने वाला घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता है। जो बोली लगाता है उसको उस घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि मेरे पास इतनी जमीन है और जो नीलामी में जमीनें खरीद रहा है वह इतनी है और दोनों मिलाकर सीलिंग के अन्तर्गत नहीं आती है। लेकिन सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति गोपीलाल से न घोषणा पत्र भरवाया गया कि उसके पास कितनी जमीन पहले थी—यह भी लिखकर नहीं दिया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है। जब इस प्रकार से सारी कार्यवाहियां की जाती हैं और अवैधानिक ढंग से होती हैं तो उसके लिए सरकार को कोई कार्यवाही तो करनी चाहिये। लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जिलाधीश महोदय ने इतना ही काम इसमें नहीं किया है बल्कि सभापति महोदय उक्त उप–जिलाधीश जो कि आजकल झुंझुनूं के अन्दर हैं और जिन्होंने सन् ६४ के अन्दर मांगरोल तहसील के ग्राम रामपुरा के दो किसानों ने एक ५ बीघा जमीन ली और एक किसान जिसका नाम रतनलाल है उसने ५ बीघा जमीन नीलामी में ली और १४०० रुपया जमा कराया। इसी प्रकार से एक धोबी ने ४ बीघा और कुछ बिस्वा जमीन नीलामी में ली और उसकी पूरी रकम १५०० रुपया जमा करा दी। उसने ४ साल तक उस भूमि पर काश्त की लेकिन उप-जिलाधीश ने कुछ लोगों से सांठगांठ करके जिसकी रकम पूरी जमा हो गयी उसकी जमीन केंसिल करके दूसरे व्यक्ति को दे दी। जिलाधीश महोदय कोई कार्यवाही नहीं करते। मैंने इस सम्बन्ध में एक तार राजस्थान सरकार को १५–५–६७ को राजस्थान के मुख्य मन्त्री को, चीफ सेक्रेटरी को और राजस्व मन्त्री महोदय को दिया था जिसमें मैंने लिखा था कि ग्राम छींपा शीशवानी में २ तालाब मावठा मोरी का तालाब की ६५ बीघा जमीन सम्बन्धित अधिकारी ने षड्यन्त्रकारी ढंग से ३६ हजार रुपये में लेकर गोपीलाल छींपा को दे दी। इस प्रकार से इन्होंने घोटाले किये हैं जबकि उस गांव के किसानों ने आज के ५ साल पहले जिलाधीश को ५०० किसानों ने हस्ताक्षर करके एक प्रार्थनापत्र दिया था कि इस तालाब के अन्दर जिसमें आसपास के ७ गांव के मवेशी पानी पीते हैं और इसके आसपास दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां पीने का पानी मवेशियों के लिए मिल सके और जिलाधीश महोदय ने मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज के ४ साल पहले ऐसे आदेश जारी किये थे कि इस तालाब की जमीन को नीलाम नहीं किया जाये .... लेकिन उक्त उप-जिलाधीश ने जो कलेक्टर ने आदेश दिये थे उन सम्बंधित महत्वपूर्ण कागजों को फाइल से निकाल दिया। और इसके साथ साथ मेरे तार देने के बाद राजस्थान सरकार के जो राजस्व अनुभागी अधिकारी हैं........

श्री सभापति : माननीय सदस्य दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन्होंने एक पत्र मेरे तार के आधार पर जिलाधीश कोटा को दिया है जिसमें लिखा है—

"तार दिनांक १५-५-६७ देवीदत्त गाड़िया सदस्य, विधान सभा ग्राम माल बयौसी तहसील मांगरोल में भूमि नीलाम किये जाने के बारे में। उपरोक्त विषय में तार की प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस बारे में आपकी रिपोर्ट तुरन्त इस विभाग को भिजवाई जाय और आगामी आदेश तक तालाबों की नीलामी मन्जूर न की जाय।'

सभापति महोदय, अनुभाग अधिकारी के इस आदेश के बाद भी जिलाधीश ने कोई कार्यवाही नहीं की। जनता के बार बार दबाव देने पर जिलाधीश ने उप-जिलाधीश को एक पत्र लिखा कि इस नीमाल को

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मन्जूर न किया जाय और इनके सुपुर्द न किया जाय । तो उप-जिलाधीश ने फर्जी कार्यवाही करके ३०-३-६७ को जमीन का कब्जा दिया जाना बता दिया । इस प्रकार की यह कार्यवाही की ।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये उप-जिलाधीश झुंझनूं गये तो वहां पर उन्होंने जिलाधीश के आदेशों की खुली अवहेलना की । वहां पर कलेक्टरी के पास एक जमीन है जो कि कृषि भूमि है उस पर किसी को मकान बनाने के लिए इजाजत नहीं दी जायगी, लेकिन, सभापति महोदय, सदन को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि झुंझुनूं जिलाधीश जब छुट्टी पर गये या किसी काम से बाहर गये तो इन्हीं उप-जिलाधीश ने कलेक्टर के आदेशों के उल्लंघन करके उन कागजों को गायब करके उस कृषि भूमि पर रिश्वत लेकर मकान बनाने की इजाजत दे दी ।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मिसयाई एक गांव में ६५० बीघा चरनौट की जमीन थी उस जमीन को वहां श्री शिवदत्त शर्मा तहसीलदार थे उनसे मिल कर और खरीददारों से सांठगांठ कर ६५० बीघा को जो चरनौट की जमीन थी उसका उन्होंने लोगों को एलाट कर दी । मिसियाई गांवा के किसानों ने दरख्वास्त दी और कलेक्टर के पास केस चलाया । मेरे पास, सभापति महोदय, जिलाधीश महोदय का फैसला है और जिलाधीश महोदय ने अपने फैसले में लिखा है कि यह जमीन चरनौट की जमीन है और चरनौट की जमीन को एलाट करने का अधिकार न तो एस० डी० एम० को है और न तहसीलदार को है जब तक कि चरनौट की जमीन को बंजर भूमि में कन्वर्ट न कर ली जाय । इस प्रकार से उनको ताड़ना देते हुए कलेक्टर कोर्ट ने ६-६-६६ को अपना फैसला दिया है कि यह जो एलाटमेंट किया गया है वह चरनौट की भूमि है इसको कैन्सिल किया जाता है और भविष्य में इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही न की जाय इस बात की इनको चेतावनी दी । लेकिन, सभापति महोदय, कलेक्टर के फैसले को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया गया और उस चरनौट की जमीन को आज तक खाली नहीं करवाया गया है उस गांव के लोग चिल्ला चिल्ला कर मर रहे हैं कि उनके मवेशियों के लिए चरने का कोई स्थान नहीं है ।

इस प्रकार ये उप-जिलाधीश महोदय जब तक बारां के अन्दर रहे ७०० बोरी चीनी ब्लेक में बेची गई और कुछ आदमियों को पकड़ा तो इन्होंने छोड़ दिया । इन उप-जिलाधीश पर हजारों रुपये की रिश्वतखोरी के गम्भीर आरोप हैं जिसकी जांच चल रही है लेकिन उनको आज तक निलम्बित नहीं किया गया ।

श्री सभापति : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अन्त में, सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करता चाहता हूं कि यह जो जमीन तालाबों की नीलाम की गई है चम्बल प्रोजेक्ट और नियमों के अन्तर्गत यह सारी की सारी अवैधानिक कार्यवाहियां हैं, और अवैधानिक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कार्यवाही होने के नाते सरकार को यह अधिकार जिन रूल्स के अन्तर्गत हैं मैं सिर्फ यहां बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि बिना कोई कारण बताये वह किसी भी नीलाम को रद्द कर सकती है, वापस ले सकती है और किसी भी समय ऐसा कर सकती है। ऐसे राज्य सरकार को अधिकार है तो मंत्री जी को ऐसे अधिकार हैं और यह मावठा मोरी तक तालाब के नीलाम की कार्यवाही सारी की सारी फर्जी है, लोगों ने पहले बोली लगाई उनको सूचना नहीं दी, ग्राम पंचायत को नोटिस जारी नहीं किया, सरपंच को सूचना नहीं दी, ढिंढोरा नहीं पीटा गया, और गांव के किसानों से जिनके मवेशी वहां पानी पीते हैं और दूसरा कोई स्थान नहीं है उन्होंने शिकायतें की उन पर ध्यान नहीं दिया गया, और सारी फर्जी कार्यवाहियां करके यह भूमि नीलाम की गई है, यह सारी की सारी गैर कानूनी है और नियमों के विरुद्ध है। इसलिए जिस नायब तहसीलदार ने इस भूमि को नीलाम किया है उस नायब तहसीलदार को नीलाम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह गजेटेड अधिकारी नहीं है और कलेक्टर ने उसको नीलाम करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए यह नीलाम जिस माध्यम से हुआ है वह सारा गैर–कानूनी है, इसलिए इसको रद्द किया जाय।

श्री सभापति : मंत्री जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (सिंचाई मंत्री) माननीय चैयरमैन, ग्राम माल बमौरी तहसील मांगरोल में ६५ बीघा १ बिस्वा भूमि का आक्शन किया गया और यह नीलाम ३ बार हुआ। उन नीलामों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए माननीय सदस्य ने यहां कुछ मुद्दे रखे। मैं इस मामले की शुरू से आखीर तक की हिस्ट्री आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बार यह जमीन ३-४ नवम्बर, १६६५ को नीलाम की गई और उस पर २४ हजार की बोली श्री रामकरण मीणा की जो सबसे ऊंची बोली थी वह आई इसलिए उसकी चौथाई रकम जमा कराई गई। उसके बाद श्री प्रहलाद पुत्र श्री मथुरालाल मीणा ने तारीख ७-१२-६५ को यह दरख्वास्त दी कि मैं इसको २६०००) रु० में लेना चाहता हूं और २६ हजार की बोली सबसे नीची बोली मानकर इसको दुबारा नीलाम की जाय और इस वजह से उसका दूसरा नीलाम तारीख ८-७-६६ को किया गया और उस नीलाम के वक्त पहला नीलाम जिसके हक में खत्म हुआ था श्री रामकरण हरिश्चन्द्र मीणा वह भी उपस्थित था। उस वक्त आखरी बोली ३४,०००) रु० को श्री बच्छराज नाबालिग की तरफ से उसके पिता श्री नाथूलाल ने लगाई थी और रामकरण ने जिसकी पहले बोली अन्तिम थी उसने यह जाहिर किया कि वह इससे अधिक बोली नहीं बढ़ाना चाहता है। चूंकि वह आगे नहीं बढ़ाना चाहता था ३४०००)रु. की बोली जो कि २६०००)रु. से अधिक थी और श्री बच्छराज नाबालिग की तरफ से श्री नाथूलाल ने लगाई थी उसको अन्तिम स्वीकार किया गया।

यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमीन की जो रिजर्व्ड प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है उस हिसाब

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

से १६,२९२.५० रु. होता है। पहली बोली २६ हजार रुपये की ग्राई और दूसरी बोली ३४ हजार रुपये की खत्म हुई थी उसके बाद ता. १०.८. ६६ को श्री गोपीलाल, जवाहर ग्रौर श्री देवचन्द ने यह दरखास्त दी कि हम ३६,०००) रु. की बोली लगाते हैं और इसे दुबारा नीलाम किया जाय। इसके बाद ता० २२,८.६६ को नीलाम दुबारा लगाया गया। जब यह दुबारा नीलाम लगाया गया तो ३६०००)रु० गोपीलाल पुत्र राधा-कृष्ण, जवाहर पुत्र रामप्रसाद और देवचन्द इन सब की ऊंची बोली थी ग्रौर उस समय जो दूसरी बोली में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला बच्छराज का पिता नाथूलाल भी मौजूद था और उसके ही सामने ३६०००)रु. की बोली गोपीलाल वगैरह के हक में खत्म हुई। इन्होने उसकी चौथाई की रकम ५०००) रु० १०,८,६६ और ४०००) रु० २८-३-६७ को जमा करा दिये और एस.डी.ग्रो. की तरफ से ३०,३,६७ को ३६०००) रु० की बोली गोपीलाल के नाम से स्वीकार करने की मन्जूरी दे दी।

अब इसके अन्दर दो-तीन मुद्दे उठाये गये हैं, उनमें एक मुद्दा यह उठाया गया कि माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ रिप्रेजेन्टेशन किया और राजस्थान सरकार की ओर से सेक्शन ग्राफिसर ने कोई हुक्म २३-५-६७ को निकाला कि इस जमीन का नीलाम मन्जूर नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी खंड अधिकारी एस.डी.ओ.ने इस नीलामी की मंजूरी दे दी। मैं यह स्पष्टत: निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से २३.५.६७ को आदेश प्रसारित किये गये थे कि नीलामी बंद की जाय। लेकिन एस. डी. ओ. ने ३०.३.६७ को ग्रर्थात् लगभग दो माह पहले नीलामी अंतिम कर दी थी इसलिये नीलामी बंद करने की सरकारी ग्राज्ञा को मंजूर नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता। संबंधित एस. डी. ग्रो. ने कलेक्टर को इत्तला दे दी कि २०.३.६७ को नीलामी अंतिम की जा चुकी है इसलिये जो हुक्म दिया गया है उससे पहले ही नीलामी की मंजूरी दी जा चुकी थी इसलिये एस. डी. ओ. द्वारा हुक्म पाबन्दी नहीं करने का प्रश्न नहीं था या नीलामी मंजूर नहीं करना संभव नहीं था। उसके बाद राज-स्थान की रेवेन्यू अपेलेट ग्रोथोरिटी है उसके सामने इस सेल के खिलाफ अपील या रिवि-जन की गई लेकिन रिवीजन या अपील जो भी समझें वहां से मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज हो गई। इसलिये उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह ग्रख्त्यार की जा सकती है। इस पर उन्होंने आपत्ति की है इसके अलावा ग्रापने बहुत से वैधानिक फैक्ट रखे कि कलेक्टर को ही नीलाम करने का ग्रधिकार है एस. डी. ओ. को नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि नियमों में कलेक्टर को अधिकार दिया है लेकिन यह भी सही है कि दूसरों को भी अधिकार दिये जा सकते हैं, और क्योंकि ज्यादा काम होने के कारण सारे राजस्थान में एस. डी. ओज. को इस प्रकार के अधि-कार दिये गये थे इसलिये यह कहना कि कलेक्टर को ही ग्रधिकार है यह सही नहीं है। कोलोनाइजेशन में ग्राने वाली जमीन के लिये एस. डी. ओज को भी अधिकार दे दिये गये थे ग्रौर नोटिफिकेशन जारी किया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जा चुका था इसलिये एस. डी. ग्रो. को जमीन बेचने का ग्रधिकार था।

अब सवाल यह आता है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार नीलाम नहीं कर सकता। औक्शन करना ग्रौर औक्शन को मंजूर करना यह भिन्न भिन्न ग्रवस्था है। नायब तहसीलदार या तहसीलदार औक्शन करके औक्शन की मंजूरी एस. डी. ग्रो. से ले सकता है। नीलाम करने की कार्यवाही तहसीलदार या नायब तहसीलदार कर सकता है ग्रौर एस. डी. ग्रो. चाहे तो उसको मंजूर करे नहीं चाहे तो मंजूर नहीं करे ग्रौर ऐसी सूरत में वह और कार्यवाही कर सकता है। एस. डी. ओ. ने तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा एलोटमेन्ट नहीं कराया बल्कि औक्शन कराया। उस ग्रौक्शन को कन्फर्म करने की कार्यवाही एस. डी. ग्रो. को ही करनी थी ग्रौर उसने ग्रंतिम बोली वाले के हक में नीलाम को मंजूर किया। एक बार २६ हजार की बोली आई, दूसरी बार ३४ हजार की बोली ग्राई और तीसरी बार ३६००० की बोली आई इसलिये इस बात का भी शक नहीं होता कि उसने नाजायज फायदा उठाने के लिये या राज्य को कम आमदनी दिलाने का कार्य किया हो। जो कानूनी मुद्दे रखे गये हैं उसके संबंध में मैंने क्लेरिफिकेशन किया है। और भी कोई कानूनी पोइन्ट्स हों तो उनकी छानबीन की जा सकती है। लीगल पोजीशन को एक्सप्लेन किया है इसके अलावा और भी कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती हो तो उसे करने का संबंधित पार्टी को अधिकार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: सभापति महोदय मैंने चार्ज लगाया.......

श्री सभापति : ग्राप स्पष्टीकरण के लिये पूछ सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब तक नीलाम की बोली लगाने वाला व्यक्ति जो निर्धारित मूल्य सरकार का है उसका ५ प्रतिशत खजाने में जमा नहीं करा देता तब तक उसको बोली लगाने का ग्रधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ग्राखिरी बोली जितनी रकम पर खत्म होती है उसका २५ प्रतिशत ग्राखिरी बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय जमा कराना होता है। यह बोली १०.८.६६ को लगी थी ग्रौर ग्रंतिम बोली का २५ परसेन्ट ९,०००) होते हैं। ये ९,०००) रु. उसी दिन जमा नहीं कराये। ५ हजार जमा कराये ग्रौर जो ४ हजार बाकी बचे वे २८.३.६७ को जमा कराये। जब कि उसने ९ हजार रुपये उसी दिन जमा नहीं कराये तो आखिरी बोली उसकी मान लेना ग्रवैधानिक है। तीसरी चीज यह है कि नायब तहसीलदार अंता की जुरिडिक्शन मांगरोल में नहीं है फिर भी उसको वहां भेज कर नीलाम कराया तो मांगरोल के तहसीलदार से ही नीलाम क्यों नहीं कराया....

श्री सभापति : ये मुद्दे तो आपने पहले ही उठा दिये थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं। पहली नीलामी ४.११.६५ को की गई और जिसने ग्राखिरी बोली लगाई उसने ६,०००) रुपये उसी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

समय जमा करा दिये थे उसके बाद दूसरी बोली ८.९.६६ को बोली गई उसने भी उसी समय रकम जमा कर दी। इनको अंतिम नीलामी का आखिर अधिकार क्यों नहीं दिया गया ? जिसने २८.३ ६७ को ४०००) रु. जमा कराये उसको अधिकार दे दिया। पहले बोली लगाने वाले दोनों को अधिकार क्यों नहीं दिया गया और उन लोगों को आठ आठ महीनों तक क्यों महरूम रखा। चौथी बात यह है कि कलेक्टर तो नीलाम कराने के लिये किसी गजेटेड अधिकारी को नियुक्त कर सकता है लेकिन एस.डी.ओ. को किसी व्यक्ति के द्वारा नीलाम कराने का अधिकार नहीं है। तीसरी बार नीलाम कराने का इश्तिहार उस गांव में नहीं लगा कर मांगरोल में क्यों लगा और पिछले दोनों व्यक्तियों ने जिन्होंने नीलाम की बोली लगाई थी उनको इत्तला क्यों नहीं दी गई। यह सारी कार्यवाही अवैधानिक है। जब सरकार को पहले की दोनों नीलामियों को कैंसिल करने का अधिकार है तो यह जो तीसरी अवैधानिक नीलामी है उसको केन्सिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये सब मुद्दे आपने पहले भी उठाये थे और उनका जबाब मैं पहले दे चुका हूं। यह नीलाम हुआ है ३०-३-६७ को और आप जो २५ परसेन्ट जमा कराने की बात कहते हैं वह रकम जमा हो चुकी है। ५ हजार रुपये उसी समय जमा हो गये थे और ४ हजार रुपये २८-३-६७ को जमा हो चुके थे। उसमें "इमिडियेटली" शब्द लिखा हुआ है। नीलाम कन्फर्म हुआ उसके बाद इमीडियेटली जमा करा दिये। ऐसा प्रावधान नहीं है कि नीलाम कन्फर्म होने से पहले तक जमा न हो। कन्फर्म होने से पहले चौथाई रकम जमा कराई जा सकती है। वह चाहता तो एक्सेप्ट करता नहीं चाहता तो नहीं करता। उसने एक्सेप्ट कर लिया और सैल कन्फर्म होने से पहले रकम जमा हो गई। इसलिये यह अवैधानिक नहीं है।

दूसरी बात रही तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा ओक्शन करने की। तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा किया गया ओक्शन माना जाता है ऐसे ओर्डर्स पहले दिये जा चुके हैं ऐसा मैंने जबाब भी दिया है, इसलिये यह अवैधानिक नहीं है। तीसरा मुद्दा आपने उठाया कि नीलाम कहां हुआ जैसी मेरी जानकारी है। मांगरोल में नीलाम हुआ है और ५ पर्सेन्ट जमा हुआ या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जमा नहीं हुआ यह मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं है कि किसने ५ पर्सेन्ट जमा कराया और किसने नहीं कराया ये बातें ऐसे तय नहीं हो सकती कानून में बताया गया है उसी तरह

(२ म०प०)

से तय होती हैं और जिनको कानून ने रास्ता बताया हुआ है, प्रोवीजन्स दिये हुए हैं उनके तहत यह कार्यवाही करनी चाहिए, और जो भी सक्षम अधिकारी है वह सक्षम अधिकारी उसकी छानबीन करके आवश्यक निर्णय देगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह है, दो मिनिट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो मिनिट।

प्रश्न यह है कि जो जमीन नीलाम हुई उसके लिए पांच मत्तंवा गांव वालों ने दरख्वास्त दीं कि यह तालाबी जमीन है इसलिए इसको नहीं बेचा जाय, क्योंकि मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कलैक्टर का आदेश हो गया था कि यह तालाबी जमीन है इसलिए इसको नहीं बेचा जाय। तो एक तो कलैक्टर के आदेश का उल्लंघन हुआ है। उसके साथ साथ दो आदमियों ने नीलामी लगाई, उनको सूचना नहीं थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना ही नहीं, वह उपस्थित थे, आर्डर शीट में वह मौजूद लिखे हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं थे। उनको सूचना ही नहीं थी। यह उप जिलाधीश ने आपको गलत सूचना दी है। उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरी नीलामी में पहले का हायर बिडर है उसके दस्तखत हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीसरी नीलामी की बात कह रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिए मैं उसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहता। तीसरी नीलामी में दूसरी नीलामी वाला हायरबिडर मौजूद है, आर्डर शीट में लिखा हुआ है कि दस्तखत करने से इन्कार है नाथूलाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं दावे के साथ कहता हूं कि दूसरे व्यक्ति ने, जो बोली लगाने वाला है, बोली नहीं लगाई। उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। वह मौजूद नहीं था वहां पर।

विधायी कार्य

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६८

परिनियत संकल्प

श्री सभापति : विधायी कार्य।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ इस विधेयक को अस्वीकार करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे श्री सतीश चन्द अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में हम विचार करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है और मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करें कि जो कानून यह विधान सभा पास करने जा रही है वह कहां तक जायज है। सभापति जी, यह जो संकल्प मैंने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसकी भावना यह है कि राज्यपाल महोदय ने २३ अक्टूबर, १९६७ को जो अध्यादेश संख्या ३ राजस्थान मिनिस्टर्स सैलेरीज

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

(अमेंडमेंड) आर्डीनेन्स, १६६७ जारी किया, उसको यह सदन अस्वीकार करता है। इस अध्यादेश के सिलसिले में राज्य सरकार ने विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है जिस पर हम थोड़ी देर के बाद में विचार करेंगे। सभापति महोदय, इस सदन में इस अध्यादेश के मार्फत राज्य सरकार ने जो राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति की, उनकी तनख्वाह, उनके भत्ते, उनके लिए मकान, आवास और प्रवास और सब प्रकार की बातें-सुख-सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में इसमें प्रावधान किया है। सभापतिजी, राजस्थान में पिछले बीस सालों में यह पहला मौका है जब इस प्रकार का संशोधन राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट में इस सदन में प्रस्तुत हुआ है। पिछले बीस सालों में राजस्थान का प्रशासन राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य और उनकी सहायता के लिए नियुक्त उप मंत्रियों के माध्यम से चलता आया है परन्तु यह पहला मौका आया है पिछले बीस सालों में जब इस कांग्रेस सरकार को, जो १६४७ से लेकर आज तक, या सन् १६५२ के आम चुनावों के पश्चात से राजस्थान में अपनी सरकार बनाती आई और सरकार के गठन के पश्चात आज तक कभी भी राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो पिछले साल जब एक तरफ देश के सामने आर्थिक कठिनाईयां थीं, विकास के सारे कामों के लिए आर्थिक साधनों की कठिनाई थी...

(२.३ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

उस समय बिना बहुमत के यह सरकार बनी, उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य मंत्रियों और सचिवों की नियुक्ति करके, उपाध्यक्ष महोदय एक अजीब उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया...

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रावल : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : न चैअरमैन महोदय, न उपाध्यक्ष महोदय हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों के ऊपर। तो अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली साल पांच राज्य मन्त्री, और चार संसदीय सचिव-यह नियुक्त किये गये। १४ मन्त्री हैं, पांच राज्य मन्त्री हैं, और १२ उप मन्त्री हैं और ४ संसदीय सचिव हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर ३५ लोग हैं। हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में विधान सभा के सदस्यों की संख्या के अनुपात में मंत्रियों की इतनी बड़ी फौज भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी...

श्री रामकिशन : फौज मत कहें। फौज का असम्मान नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पल्टन।

श्री जयनारायण सालोदिया : गैंग कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पल्टन कह दीजिये, गैंग कहिये, जिस प्रकार के शब्द का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपयोग करना चाहें उस प्रकार के शब्द का उपयोग करिये....

एक माननीय सदस्य : शिवजी की बारात।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है और जो संविधान को भारत के आजाद होने के बाद हमने बनाया उसमें यह बात सही है कि मंत्रियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस प्रश्न पर विचार करे कि १९३५ में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट बना हुआ था और जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उस गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में है कि सदन के सदस्यों की संख्या का एक बटा दस से ज्यादा मंत्रियों की संख्या हो- यह अच्छा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने इस प्रकार की कानून के अन्दर व्यवस्था की थी ताकि जनता के धन का अपव्यय नहीं हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। किन्तु अब ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी, जो जनता के धन अपव्यय को रोकने के लिए व्यवस्था की थी, जो सही मायने में अच्छी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का पालन करने में आज हिन्दुस्तान की कांग्रेस हुकूमत अंग्रेजों से गयी बीती हुकूमत साबित हुई है जो कि अपने राज्य को कायम रखने के लिए, अपनी कुर्सियों को बनाये रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को तोड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर, परम्पराओं के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को बनाये रखने के आधार पर और लोकतांत्रिक स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण के लिए आवश्यकता इस बात की थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, १९३५ के अनुसार हिन्दुस्तान के किसी राज्य में उस राज्य की विधानसभा या विधान मण्डल के सदस्यों की संख्या के एक बटा दस भाग से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होती। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी बन्धुओं को ऐसा लगता है, मंत्रियों की संख्या की चिन्ता नहीं है, किसको मंत्री नियुक्त करना चाहिए किसको नहीं– इसकी चिन्ता है, मंत्री का आगा पीछा कैसा है इसकी चिन्ता नहीं है, मन्त्री का चरित्र कैसा है-इसकी चिन्ता नहीं है, मन्त्री के एन्टीसियेन्ट कैसे हैं-इसकी चिन्ता नहीं है, चरित्र कैसा है, समझ कितनी है-इसकी चिन्ता नहीं है। इन सारी बातों को बलाये ताक रखते हुए जिस बात की एल. डी. सी. की नियुक्ति के लिए आवश्यकता है, जिस बात की चपरासी की नियुक्ति के लिए आवश्यकता है, उसको करैक्टर सर्टीफिकेट लेना पड़ता है–उस बात की भी चिन्ता नहीं की गई है। इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार और उसके पुराने मन्त्रियों और विशेष कर मुख्य मन्त्री महोदय और बाकी के उनके साथियों ने अपने राज्य सरकार राजस्थान में कायम रखने के लिए और राजस्थान में अपनी कुर्सियां बनाये रखने के लिए और आपाधापी करने के लिए इस प्रकार मन्त्रियों की संख्या में भरमार की है। अध्यक्ष

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जी, मुझे अफसोस इस बात का है, कि इस प्रकार की परम्पराओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, राजस्थान राज्य का बजट कितने खर्चे को बर्दाश्त कर सकता है-इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। मन्त्रियों की नियुक्ति के लिए उनकी प्रशासनिक योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया। मन्त्रियों की नियुक्ति जिस प्रकार की गई है और जिस प्रकार के लोगों की गई है, अध्यक्ष महोदय, उसके सम्बन्ध मे एक एक मन्त्री के सम्बन्ध में निवेदन करने की आवश्यकता नही है और न ही इतना समय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अधिकांश व्यक्तियों के सम्बन्ध में कि उनको किसी प्रकार का प्रशासनिक अनुभव नहीं है, उनको किसी प्रकार का शासन चलाने का अनुभव नहीं है। मैं जानता हूँ, आप यह कह सकते हैं कि शासन चलाने की योग्यता की बात छोड़ दीजिये क्योंकि शासन चलाने का अनुभव शासन चलाने के बाद हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन के जिस प्रारम्भिक ज्ञान की आवश्यकता है, उस प्रकार का प्रारम्भिक ज्ञान भी उनमें नहीं है। इस बात का भी ध्यान नही रखा गया है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को शासन में प्रतिष्ठित करने से जनता की नैतिक भावनाओं को बल मिलेगा, किस प्रकार के व्यक्तियों को शासन में लेने से जनता में प्रजातांत्रिक सुरक्षा की भावना को बल मिलेगा, देश प्रेम की भावना को बल मिलेगा और लोग सोचेंगे कि हिन्दुस्तान और राजस्थान की सरकार है वह अच्छे लोगों से गठित हैं। दुर्भाग्य इस बात का है अध्यक्ष महोदय, कि आज राजस्थान के अन्दर जनता के मन में यह धारणा बन गई है कि कांग्रेस ने अपना राज बनाया तो जिन तौर तरीकों से बनाया यह एक अलग प्रश्न है। मैं सदन का ज्यादा समय इस सम्बन्ध में नहीं लेना चाहता हूं। मैंने पहले कहा था कि इस देश में राजे महाराजों के बारे में, सामन्तों के बारे में अच्छी बुरी बातें कहा करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के समय में इस देश में अपना राज्य बनाये रखने के लिए जलियांवाला बाग जैसा काण्ड हुआ। इसी प्रकार कांग्रेस के आम चुनाव में बहुमत में न आने के बाद किस प्रकार साजिश से और गोली के बल पर राजस्थान में सरकार कायम की है।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने राज्य गोली के आधार पर जीते, जिन्होंने बलुट के आधार पर राज्य जीते, उन्होंने बैलेट के आधार पर अपने राज्य छोड़ दिये लेकिन कांग्रेस ने बैलट से हारी हुई बाजी बुलट से प्राप्त करली है। यह सोचने की बात है, आप हुकूमत में हैं, आप ने राज्य बनाया है, मैं कहता हूं कि राज्य बनते हैं और राज्य बिगड़ते हैं। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें ऐसी बात नहीं कि किसी का राज्य हमेशा चले। पांच साल के बाद सरकार बदल सकती है। एक सरकार चलती है और एक सरकार बिगड़ जाती है। तो लोकतंत्र में सरकार बनती है और बिगड़ती है। यह देश चलता रहेगा। यह जनतन्त्र चलता रहेगा। लेकिन सरकार बनेगी और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिगड़ेगी । तो इस दृष्टि से इस पर विचार करना है कि आज राजस्थान की दृष्टि से, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति कहां तक जायज़ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो अध्या-देश जारी किया गया है, पिछली साल जब ५ सितम्बर ६७ को हमारे राज्य के मुख्य-मंत्री पर जिस प्रकार का दबाव बढ़ने लगा और उनके सामने सरकार बनाने का सवाल खड़ा हुआ तो इस समय सरकार बन रही थी तो दूसरे दलों से लोगों को तोड़ने की चीज खड़ी हुई । अब लोग कैसे तोड़े गये, लोगों को तोड़ने में लोभ-लालच की बात, पैसे धेले की बात मैं नहीं कह सकता लेकिन यह बात सही है कि किसी प्रकार लोगों को सुखाड़ियाजी ने खरीदा । सुखा-ड़ियाजी खरीदने की कला में माहिर हैं, लोगों को खरीदने में वह एक कुशल सौदा-गर हैं । इस बात को कांग्रेस के लोग भी मन ही मन स्वीकार करेंगे कि किस प्रकार लोगों को खरीदने की कला में सुखाड़िया जी माहिर हैं । मैं इस बात को नहीं कहना चाहता । लेकिन कांग्रेस के लोगों के दिल में यह बात है कि करप्शन इज मैने इंड-स्ट्री इन् राजस्थान हैंडेड बाई मोहनलाल सुखाड़िया । यह कहने की बात है कि पिछले १४ साल, २० साल के काल में गलत रास्तों को अपना कर सुखाड़िया जी का शासन काल रहा है । लेकिन आनेवाले इतिहासकार इस बात का इतिहास में सकेंत करेंगे । इस बात को अंकित करेंगे कि राजस्थान में खोई हुई बाजी को प्राप्त करने के लिए, अपनी कुर्सियों को बनाये रखने के लिए, अपने राज्य को प्रतिष्ठित रखने के लिए, कुर्सियों को हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार के ओछे हथकण्डे राजस्थान में अपनाये जिससे वह अपनी सरकार बना सकें । लेकिन आगे आनेवाले समय में सचेत इतिहासकार और भावी पीढ़ी इस बात को नहीं भुला सकेगी कि १६६७ का काल ऐसा था कि जो हिन्दुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायगा कि किस प्रकार ७ मार्च को कांग्रेसी नेताओं ने जयपुर के अन्दर गोलियां चलवा कर राष्ट्रपति शासन राजस्थान में किस प्रकार से लागू कराने की स्थिति पैदा की । वह लागू कराने के लिए जनता का खून खराबा किया गया और किस प्रकार जनता के खून से होली खेली गई । आप के हाथ जनता के खून से सने हुए हैं । भले ही आप कुर्सियों पर बैठे रहें और राज्य चलाते रहें । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का इतिहासकार इस बात के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश जारी किया गया २३ अक्टूबर, १६६७ में ।

श्री मूलचन्द डागा : वेतन के बारे में गोली कहां से याद आगई ।

श्री जुझार सिंह : वेतन का दर्द आप को क्यों हो रहा है ?

श्री विजय सिंह मकराना : आप डिप्टी मिनिस्टरों में कब आनेवाले हैं ?

श्री नत्थीसिंह : यह भूमिका आप के काम में नहीं आ सकती ।

Page No. 86

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस २३ अक्टूबर, १९६७ को जारी किया गया और चार को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और पांच को राज्य मंत्री बनाया गया। अब यह सरकार बन गई, अध्यक्ष जी यहां पर में एक प्रश्न और करना चाहूंगा, संविधान के सम्बन्ध में जानकार माननीय सदस्य और आप भी इस पर गम्भीर विचार करें। हमारे संविधान में राज्य विधान सभा के लिए जिम्मेदार ठहराया है कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को। कौंसिल आफ मिनिस्टर्स राज्य विधान सभा के लिए जिम्मेदार है। उसमें और किसी प्रकार के मन्त्रियों की या पालियामेंटरी सैक्रेटरी की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। कोई भी संसदीय सचिव या राज्य मन्त्री, और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि उपमन्त्री राज्य विधान सभा के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह प्रश्न मैं यहां आज खड़ा कर रहा हूं। इस समय जब इस पर वाद-विवाद हो रहा है उस समय के लिए कोई इस विधान सभा के लिए जिम्मेदार है तो वह मन्त्री परिषद्, मन्त्रिमण्डल। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा किसी की नियुक्ति के लिए व्यवस्था नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : १६४ कहता है, मन्त्री और जो चाहें वह रख लेगें।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : उसको देख लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप १६४ देख लीजिए।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : मैं ने तो देख लिया है। आप देख कर बता दीजिए। आप उसको पढ़ लीजिए।

तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान में जब राज्य विधान सभा के लिए मन्त्रिमण्डल जिम्मेदार है तो मन्त्रियों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति कहां तक जायज है, कहां तक कान्स्टीट्यूशल है ? मैं समझता हूं, यह अवैधानिक है, अन्कांस्टीट्यूशनल है। इनका कोई स्टैटस नहीं है, यह हाउस के लिये जिम्मेदार नही हैं और इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति किसी प्रकार जायज नहीं कही जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने यह अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश जारी करने के कारण सदन की मेज पर रखे गये। अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश जारी करने के कारण सदन की मेज पर रखे गये हैं और जो आध्यादेश जारी किया गया है उसमें ८ धाराएं हैं। जो विधेयक सदन में पेश किया गया है उसनें ११ धाराएं हैं। सदन की मेज पर अध्यादेश जारी करने के जो कारण रखे गये हैं उनमें ११ धाराओं के बारे में कारण लिखे गये हैं। अब अध्यादेश जारी किया गया अक्टूबर में और विधेयक प्रस्तुत किया गया है फरवरी में। प्रकाशित किया गया है जनवरी में। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस समय अक्टूबर में अध्यादेश जारी किया उस समय आप को कैसे इलहाम हो गया कि जनवरी में, फरवरी में जाकर जो विधेयक सदन में प्रस्तुत करने वाले हैं उसमें हम इस-इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार के प्रावधान और करने वाले हैं। अक्टूबर में अगर इस बात का इलहाम नहीं था तो आपने अध्यादेश को जारी करने के कारणों में उनका उल्लेख कैसे किया ? अध्यादेश में दिये गये उद्देश्य और कारण, अध्यादेश देने के कारण, यह दोनों भी एक हैं जब कि अध्यादेश में धारा ६ हैं और इस विधेयक में धारा ११ हैं। ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि इस सरकार के पास अध्यादेश जारी करने के कारण उस समय कुछ नहीं थे, अध्यादेश जारी करने के कारण रखे गये हैं; यह सदन के कानून की पूर्ति करने के लिए, बाद में बनाकर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। नहीं तो अक्टूबर ६७ में अध्यादेश जारी किया गया। उस समय इस अध्यादेश में क्लाज नहीं थे,जो इस विधेयक में हैं वह क्लाज अध्यादेश देश में नहीं थे तो अध्यादेश जारी करने के कारणों में उनका समावेश कैसे हो सकता है जब कि विधेयक अब लाया गया है। आप अध्यक्षजी आप ध्यान से देख लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें धारा, सेक्शन, ६ और ७ जिसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख है और जो क्लाज ७ और क्लाज ८ हैं, इस समय इस विधेयक में, यह क्लाज ७ क्लाज ८ यह आर्डिनेंस में नहीं था और यह जब आर्डिनेंस नहीं था तो जो यह अध्यादेश जारी किया था उस अध्यादेश में इन कारणों का उल्लेख कैसे हो सकता है ? ऐसा लगता है, रीज़न्स और इश्यूइंग दी आर्डिनेन्स, जो सदन की मेज पर रखे हैं यह बनावटी हैं, फ्रूडेलेंट है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन के साथ खिलवाड़ है। आप सदन के साथ मजाक करते हैं। जो अध्यादेश जारी करने के कारण हैं वह सदन की मेज पर रखने चाहिए। यह कानूनी व्यवस्था है, सदन को परम्परा है कि मेज पर रखने चाहिए। लेकिन अध्यादेश जारी करने के कारण किस प्रकार मैन्युफेक्चर किये जाते हैं, किस प्रकार गलत तरीके से रखे जाते हैं इससे इस प्रकार का अनुभव होता है, कि सरकार सदन के साथ खेलती रहती है और यह एक गम्भीर बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है, आर्डीनेन्स जारी किया, इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने का प्रस्ताव मेरा भी था। इस विधेयक को सरकार लाई, इस विधेयक को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जारी किया है, इस विधेयक के प्रावधान रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की सरकार यदि कोई टैक्सेज का मामला होता है तो कहती है कि हाई कोर्ट द्वारा इन टैक्सेज को इन्वेलिड करार दिया गया है, यदि इस आर्डिनेन्स को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इतने इतने लाख का राज्य के खजाने को नुकसान होगा, और हमने उन अध्यादेशों को पारित किया है पर सदन गम्भीरता पूर्वक विचार करे कि इन संसदीय सचिवों की, राज्य सचिवों की नियुक्तियां नहीं की जाती तो क्या आसमान गिर जाता। सरकार ने कारण लिखा है कि राजस्थान विधान सभा का सत्र नहीं हो रहा है और यह अध्यादेश जारी करवाया गया। यह राजस्थान सरकार अध्यादेशों के बूते पर चल रही है। राजस्थान विधान सभा की बैठक बुलाने में राज्य सरकार को क्या गुरेज था ? संविधान की धारा २१३ के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने के अधिकार दिये गये हैं कि यदि कोई लोक महत्व का सवाल हो, राज्य विधान सभा का सत्र नहीं हो रहा हो, और राज्यपाल महोदय को संतोष हो जाय कि यह लोक महत्व का सवाल है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य सरकार पर क्या बिजली गिर रही थी जो यह अध्यादेश जारी करवाया, क्या सेप्टेम्बर में विधान सभा का सत्र नहीं बुला सकते थे ? जब विधान सभा की बैठक बुला सकते थे, क्या अक्टोबर में राज्य विधान सभा का सत्र नहीं बुला सकते थे ? जब विधान सभा की बैठक बुला सकते थे तो यह आर्डिनेन्स जारी करने की क्या आवश्यकता थी ? राज्य विधान सभा के सामने विधेयक आना चाहिये था, उस पर विचार, विमर्श होना चाहिये था और फिर विधेयक पारित कर सकते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि यह सब नहीं करके आर्डिनेन्स जारी किया गया। इन संसद सचिवों की नियुक्ति, राज्य मंत्रियों की नियुक्ति, इनको दी जाने वाली सुख सुविधा के बारे में अध्यादेश जारी करने की जितनी कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जाय उतनी ही माननीय सदस्यों को करनी चाहिये। संविधान में अध्यादेश जारी करने के अधिकार इसलिए नहीं दिये गये हैं कि मंत्रियों की, संसद सचिवों की नियुक्ति और उनको दी जाने वाली सुख सुविधाओं के लिये अध्यादेश जारी किया जाय, यह संविधान द्वारा दिये गये अधिकार का दुरुपयोग है, जो इस मामले में किया गया है !

अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश में मिनिस्टर और राज्य मन्त्री की तनख्वाह ११२५ रु० रखी है...

श्री रणजीत सिंह (औसियां) : बहुत कम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे भाषण का यह सार नहीं है कि इनकी तनख्वाह कम कीजिये। मेरे भाषण का यह सार अगर निकालने जा रहे हैं तो गलत है। हम तो कहते हैं कि इन मंत्रियों के लिये कन्सोलिडेटेड तय कर दीजिये कि कुल मिलाकर ५ हजार मिलेंगे, उसमें बंगला मकान, बिजली, पानी, डेली अलाउन्स कार अलाउन्स, आदि आदि, यह सब कुछ शामिल होगा, यह तय कर लीजिये और इनको कहीं ले जा कर सौगन्द दिला दीजिये कि ये दूसरे खोटे काम नहीं करेंगे। इससे इनका पेट भरने वाला नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न भिन्न प्रकार की सहूलियतें इनको दी जा रही हैं, उन सबको हटा दीजिये, सवा ग्यारह सौ की बजाय तीन हजार कर दीजिये हम स्वीकृति दे देंगे पर उसके बाद दूसरी और और चीजें नहीं कर सकेंगे। पर हाल यह है कि तनख्वाह के अलावा, डेली अलाउन्स, फर्नीचर बागवान्, कारें, मोटर, पैट्रोल, पैट्रोल का तेल.......

एक माननीय सदस्य : पैट्रोल का तेल क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रन्ककाल, बिजली, पानी आदि-आदि सब प्रकार की सहूलियतें दी जाती हैं, टेलीफोन का साल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का ५००० रुपया, मोटरों का सालाना १२००० रुपया, ४०० रुपया माहवार से ऊपर का तो टेलीफोन का खर्चा आता है, १००० ट्रेवलिंग और मेन्टेनेन्स ऑफ कार का, फिर बंगला, डेली अलाउंस, बागवान, मुफ्त का बिजली और पानी है, यह ५००० हजार महिने का खर्चा प्रति मन्त्री प्रति माह आता है।

तो आज यह सदन इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि राजस्थान जैसा राज्य जो हिन्दुस्तान में सब राज्यों से पिछड़ा हुआ है, उसके राज्य के खजाने पर आप इतना बड़ा भार डालें, प्रति मन्त्री प्रति माह ५००० रु० खर्च करें, २२ से २५ लाख का यह खर्चा हो गया, यह तो लिखा हुआ है।

आज हिन्दुस्तान के दूसरे भी राज्य हैं, वहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर मंत्रियों की संख्या को देखिये....

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मध्य प्रदेश की क्या है ?

एक माननीय सदस्य : वहां सदस्यों की संख्या भी कितनी है यह भी देखा है।

श्री भेरोंसिंह : मध्य प्रदेश के वेतन को स्वीकार कर लें, हमें आपत्ति नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ये लोग ५ पैसे का तो काम नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को आज ही पारित करना है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है, मन्त्रियों की संख्या इन्क्लूडिंग स्टेट मिनिस्टर्स एण्ड पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, इन सब की संख्या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट में निर्धारित थी, उसके अनुसार सवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिये, उससे बढ़कर नहीं होनी चाहिए। जब तक संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तब तक संसदीय लोकतन्त्र को चलाते हैं, तो हमें तय करना होगा कि हाउस की संख्या के १।१० से ज्यादा मन्त्रियों की संख्या नहीं होगी। मन्त्रियों से मेरा मतलब स्टेट मिनिस्टर्स और संसदीय सचिवों को मिला कर है। अगर कहीं गैर कांग्रेसी सरकारों में मंत्रियों की संख्या ज्यादा है तो मैं उसकी हिमायत नहीं करता। यह सदन इस प्रकार की व्यवस्था स्वीकार करे। यह सदन भाषण से तो इस प्रकार बात का विरोध करे,जो भारी भरकम मन्त्रिमण्डल बनाया जाता है, उसका विरोध तो सदन के माननीय सदस्य करें। आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ४०० से ऊपर सदस्य संख्या है, मन्त्रियों की संख्या वहां कुल मिलाकर २६, कितने प्रेशर पड़े होंगे, सरकार चली जाय तो परवाह नहीं पर मन्त्रियों की संख्या नहीं बढ़ाई। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि एक बार राजनैतिक दल मिलकर तय कर लें, संविधान के अन्तर्गत या किसी तरह, उसूल निर्धारित करलें कि १।१० से अधिक मन्त्रियों की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संख्या नहीं रखेंगे। वरना प्रेशर तो चलते ही रहेंगे। उप मन्त्री हैं, उनको असन्तोष है कि हमें राज्य मन्त्री क्यों नहीं बनाया। आज खेतसिंह जी हैं, वे बी० एन० जोशी से कम काबिल नहीं हैं, उनके दिल में जलन होना स्वाभाविक है, उसको मिटा नहीं सकते, यह तो निश्चित बात है कि बी. एन. जोशी से खेतसिंह ज्यादा काबिल हैं, उनके दिल में जलन हो सकती है कि मुझे तो उपमन्त्री ही बनाया और उनको राज्य मन्त्री बना दिया। तो असन्तोष है। उपमंत्री हैं उनके मन में यह असन्तोष है कि हमें राज्य मन्त्री क्यों नहीं बनाया और राज्य मन्त्री हैं उनके दिल में यह असंतोष है कि हमें मन्त्री क्यों नहीं बनाया गया। सुमित्रा जी से पूछिये, उनमें किन मंत्रीजी से योग्यता कम है, वे कहती हैं फलां मंत्री महोदय को ले लिया, उनको न बोलने का शऊर है और न सवाल का जवाब देने का, हर रोज उनके सवाल स्थगित होते हैं, मैं फटाफट जवाब देती हूं फिर भी मैं राज्य मंत्री ही क्यों। तो यह जलन स्वाभाविक है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। यह मंत्रियों की टीका टिप्पणी कर रहे हैं या बिल पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब शीघ्र समाप्त करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मंत्रियों में इनको भी शामिल करवा लीजिए, बड़ी चिल्ल पों कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन एक प्रस्ताव पारित करदे, इनके सम्बन्ध में।

श्री दौलतराम सारण : सुखाड़िया जी तो उनको ही कैबिनेट में लेते हैं जो पहले उनकी चिलम भरते हैं और मक्खन लगाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका नम्बर किसमें था ?

श्री दौलतराम सारण : मेरा नम्बर विरोध करने वालों में था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यासजी, आप चिलम नहीं भरते इसलिए शामिल नहीं हुए। सुखाड़िया जी सदन में कब आयेंगे ? प्रश्नकाल में या और वाद विवाद में नहीं आयेंगे, लेकिन गौहाटी के बारे में भाषण देना हो तो आयेंगे, अखबार में छप जायगा, टैक्सों में रियायत करनी हो तो आयेंगे घोषणा करेंगे। सदन में शहंशाह की तरह....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के बहुत से सदस्य हैं जो उनकी खसूसियत को ठीक जाते हैं। पीछे बैठे हुए लोगों का नम्बर नहीं आता है। यह जो....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : और लोग भी बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो आपकी पैरवी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे थोड़ा सा बोलना है। आप इस सम्बन्ध में स्वयं

Page No. 91

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, कि किस प्रकार चतुर आदमियों को सुखाड़िया जी...

श्री अध्यक्ष : मैं अनभिज्ञ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यादेश में व्यवस्था की गई थी कि इस प्रकार नियम बनाए जायेंगे और उनके अन्तर्गत ये सुविधाएं इन लोगों को मिलेंगी। आप कहते हैं कि कानून का राज्य है, लोकतन्त्र कानून का राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि अध्यादेश आपने अक्टूबर १९६७ में निकाला। अक्टूबर १९६७ में क्या कोई नियम इस तरीके के थे कि संसदीय सचिवों या राज्य मंत्रियों को कितनी कीमत का मकान मिलेगा, किस प्रकार से भत्ता मिलेगा, किस प्रकार से सुख सुविधाएं मिलेंगी? उस तारीख से लेकर २१-२-६८ तक कोई नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाए गए जिसमें इस प्रकार का निराकरण हो कि मन्त्रियों को और संसदीय सचिवों को कैसे बंगलोज मिलेंगे, कितनी कीमत का मकान या फरनीचर मिलेगा और बागबान, फर्राश, डेली भत्ता, फोन, वेहीकल्स के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं बनाए गए। नियम राज्य सरकार ने बनाए २२-२-६८ को, इस अध्यादेश के सेक्शन ७ बी २ के तहत बनाये। तो फिर २२ फरवरी से पहले संसदीय सचिवों को किन नियमों के तहत, नियमों की अवहेलना करके मकान दिए गए, बिजली और फोन की सारी की सारी सुविधायें दी गईं नियमों के अभाव में किस कानून के तहत? कोई कह सकता है कि राजस्थान में कानून का राज्य है, कानून को बलाए ताख रख कर, नियमों के अभाव में राज्य के सारे खजाने को लूटते रहे, मकानों में रहते रहे, मोटरों का उपयोग करते रहे २१ फरवरी तक, कौनसा रूल है जिससे फोन, बंगलों और फर्नीचर और बिजली पानी फर्राश इत्यादि सुविधायें आपने उनको दी?

श्री वृद्धिचन्द जैन : आर्डीनेन्स।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: तो फिर रूल्स बनाने की जरूरत है। रूल्स जरूरी हैं तो आर्डीनेन्स पर्याप्त नहीं है। यह कानून का सवाल है, आप थोड़ा बहुत कानून जानते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जानते तो ऐसी बात नहीं करते।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इस अध्यादेश में लिखा है "एज प्रेस्क्राइब्ड बाई दी गवर्नमेंट अंडर दी रूल्स।" जब तक रूल्स में प्रोवीजन नहीं होता तब तक ये सुविधायें नहीं मिल सकतीं। वे कानून की धारायें बेकार हैं जब तक रूल्स में व्यवस्था नहीं होती, हाईकोर्ट का फैसला है। अध्यादेश में व्यवस्था कर दी। पहली बार नियम २२ फरवरी को बनाए तो उससे पहले सारी की सारी सुविधायें किन कानूनों के तहत दी? हुक्म हो गया शंहशाह सुखाड़िया साहब का दे दो सारी चीजें, अध्यादेश निकलता रहेगा, नियम बनते रहेंगे लेकिन सुख-सुविधायें मिलनी चाहिए, सुख-सुविधायें मिलेंगी। आपने उनको मोटरें दे दीं। उनका क्या उपयोग किया?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मंत्री महोदय, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन सरकारी मोटरों के एक्सीडेन्ट्स होते हैं। संसदीय सचिवों को मोटरें मिल रही हैं और उनके भाई चला रहे हैं और एक्सीडेंट्स करते हैं, मोटर टूट फूट गई; नई गाड़ी थी। जैसे मेडीकल फैसिलिटीज में लिखा है कि सारे घर वालों को मिलेंगी, उस तरह से इसमें जोड़ दो कि सारे घर वाले मोटरों का उपयोग कर सकते हैं। सरकारी गाड़ियां जो मंत्रियों के प्रयोग के लिए हैं जिनको वे चला नहीं सकते उनके नातेदार, रिश्तेदार और भाई चकनाचूर करें और सरकारी अधिकारी कोई कार्यवाही न करें ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इस प्रकार की सारी हालात हैं। मैंने पिछली बार सदन में एक सवाल खड़ा किया था, सुखाड़ियाजी ने उत्तर दिया था विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय, लेकिन वह इस सारे सवाल को खा गए। कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस समय श्री जसराज संसदीय सचिव के बारे में प्रश्न उठाया था, यह सदन के सोचने का सवाल है और आपके विचारने का सवाल है। सुखाड़ियाजी ने जवाब नहीं दिया और जिसका जवाब सरकार नहीं दे इसका मतलब सरकार उसको स्वीकार करती है। उस समय उनको कुछ नहीं कहना है. इसलिए रोजाना नए मामले रखे जाते हैं, सुखाड़ियाजी इसका उत्तर नहीं देंगे और सरकार उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि बात बिल्कुल साफ है। सेशन्स जज का फैसला है, हाईकोर्ट की मोहर है, सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर श्री जसराज संसदीय सचिव को २००) रिश्वत के मामले में १८ महीने की सजा हो जाती है दो काऊंट्स पर। उसके बाद कन्विक्शन हुआ सेशन्स जज, अजमेर द्वारा, हाईकोर्ट कन्विक्शन मेन्टैन करता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वह जवाब नहीं दे सकती और सरकार की तरफ से जवाब की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है, सजा हुई है, रिश्वत ली है २००), मुकदमा चला है और उसके बाद कन्विक्शन हुआ है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): आन ए पाईन्ट आफ आर्डर सर। जिस जसराज का जिक्र कर रहे हैं उनको तो विरोधी पार्टी ने ही डिप्टी स्पीकर के लिये चुना था।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यह कोई पाईन्ट आफ आर्डर थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वाद विवाद जारी रहे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : १५ साल हो गये। पाईन्ट आफ आर्डर का पता नहीं इसीलिये तो मिनिस्टर नहीं बनाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछली बार आपने सुना नहीं था। श्री विजयसिंह रावत ने खड़े होकर कहा था कि हमने तो अपने करम ठोक लिये हैं। आप भी अपने करम पकड़कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ठीक लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि संविधान की धारा १९१-१९२ के अन्तर्गत जिस सदस्य के सम्बन्ध में आरोप लगाया गया है और जो डिसक्वालिफाई है, वह सदन में नहीं बैठ सकता, यह सदन में नहीं रह सकता। उसके लिये एक ही इलाज है और वह इलाज है अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा १९२ के अन्तर्गत यह मामला सारा राज्यपाल महोदय को भेजा जाय। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने तथ्यों की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट्स डिस्पुट में नहीं है- Representation of Peoples Act उस एक्ट में यह लिखा है कि जो व्यक्ति दो साल से अधिक सजा पा चुका हो, उसको डिसक्वालिफाई कर दिया जाय इसलिये अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : उनको सजा कब हुई थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् १९६४ में,.हाईकोर्ट में सन् १९६५ में........

श्री अध्यक्ष : No interruption.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मैं भी जानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डिसक्वालिफाई के मामले को आप यहां बैठकर नहीं कर सकते हैं सारा मामला कानून की पेचीदगी से भरा हुआ है वह आसानी से नहीं किया जा सकता है। रेवेन्यू का केस है नहीं जो फैसला हो जाय। कानून से उलझा हुआ मामला है। आज आवश्यकता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, इस बारे में फैसला किया जाय। धारा १९२ के अन्तर्गत इस सारे मामले का हाई कोर्ट से फैसला हो गया, सैशन जज का फैसला हो गया और धारा ८, ९ में डिसक्वालिफाई है या नहीं, इसको राज्यपाल महोदय तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते हैं- यह संविधान की व्यवस्था है। अब अध्यक्ष महोदय, आप एक बात और जानना चाहेंगे कि इस हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ एक बात और है और वह बात यह है कि इसमें दो व्यवस्था है। रिप्रजन्टेशन आफ पिपुल्स एक्ट में जैसा १९६६ में संशोधित हुआ और जिस प्रकार की उसकी धारा है। उसमें अध्यक्ष महोदय, केवल व्यक्ति को सजा हो जाय वह केस तो आयेगा १८(८) में लेकिन अध्यक्ष महोदय, धारा ८ के अलावा धारा ९ और है उसमें किसी प्रकार की सजा के बारे में प्रावधान नहीं है, उसमें लिखा है—

'Person, who having held an office under the Government of India or the Government of any State, has been dismissed for corruption or disloyalty to the Union or the State shall be disqualified for a period of ten years from the date of such dismissal."

हाईकोर्ट में फैसला १९६५ में हुआ। अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के फैसले से पहले कनविक्शन हुआ था और वह अपील में गया था उस समय से यह डिसमिसल में है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। हाईकोर्ट में जीत गया। गवर्नमेंट ने डिसमिसल के आर्डर विथ-ड्रा कर लिये, उसके बाद कनविक्शन हुआ और कनविक्शन के बाद मुझे जानकारी नहीं है किन्तु श्री जसराज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी ,ग्राज तक गवर्नमेंट सर्विस में ससपेन्शन में है। तहसील का रेकार्ड ग्राप देख लें। जहां तक मुझे जानकारी मिली है १९६६ में इनके ग्रार्डर हुये हैं तब तो धारा ६ से कवर हो जायेंगे। ५ साल तक डिसक्वालिफाई रहे। १९६६ से ससपेन्शन में चल रहे हैं। मैं तो इतना निवेदन कर दूं कि श्री जसराज ने ग्रजमेर सिविल कोर्ट में दावा किया। हाईकोर्ट में जीत गया। हाईकोर्ट से रिमान्ड हो गया। इस बीच में उनको तनख्वाह मिलती रही है।

सीनियर सिविल जज, अजमेर में इन्होंने दरख्वास्त दी 'फार्म प्रापरिस' (जो कोर्ट फीस नहीं दे सके कि मैं निर्धन हूं, गरीब हूं) कि बिना कोर्ट फीस के दावा लिया जाय। ग्रध्यक्ष महोदय, सैशन जज से सजा हो गई ग्रौर सजा हो गई तो दावा खारिज करा लिया गया। ग्रध्यक्ष महोदय, ससपेन्शन चलता ग्रा रहा है। ग्रभी मुझे सूचना मिली है कि १९६६ में डिसमिस किया गया। जैसा माननीय भैरोंसिंहजी कहते हैं नहीं किया गया। हो सकता है नहीं किया हो लेकिन श्री जसराज आज तक गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं ग्रौर ग्रन्डर ससपेन्शन हैं। दावा किया ग्रौर वह दावा खारिज करवाया। ग्राप चाहेंगे तो सारे कागजात पेश कर दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ग्रापके सामने एक संकट होगा कि मुझे कौनसा ग्रधिकार है जिसके ग्राधार पर राज्यपाल महोदय को धारा १९२ के अन्तर्गत भेजा जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९५३ में सुप्रीमकोर्ट में एक सवाल खड़ा हुआ। एक माननीय सदस्य चुने गये और चुने जाने के बाद उसको डिस-क्वालिफाई कर दिया। यह पेज ११४४ पर है। मद्रास ग्रसेम्बली ने उस समय वह मामला संविधान की धारा १९२ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को भेजा कि यह डिसक्वालिफाई का प्रश्न है, इसको तय किया जाय। यह मामला हाईकोर्ट में हो गया, सुप्रीमकोर्ट में हो गया। ग्रध्यक्ष महोदय, इस हाऊस को यह ग्रधिकार है या नहीं ऐसे फैसले को गवर्नर को धारा १९२ के अन्तर्गत रेफर करें। इसलिये ग्रध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सारे मामले को ग्राप अपनी तरफ से पूरे फैक्ट्स के साथ गवर्नर महोदय को भेज दें।

श्री भैरोंसिंह : पाईन्ट ग्राफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के सम्बन्ध में यह कहा है कि वह सजायाफ्ता हैं ग्रौर राज्य सरकार की सर्विस में हैं। मेरी जानकारी भी यही है कि अभी तक राज्य सरकार की सर्विस में है और कोई भी सर्विस का ग्रादमी इस सदन में नहीं बैठ सकता। इसलिये मैं रूल्स के ग्रन्तर्गत यह निवेदन करता हूं कि श्री जसराज को हाऊस से निकाला जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : कौनसा रूल है। ग्रार्डर प्लीज। रूल्स कौनसा है ग्राप बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : थ्री नाट थ्री।

श्री अध्यक्ष : ग्रजनवियों का......

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है माननीय

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

पालियामेन्टरी सेक्रटरी के बारे में यह कहा जाता है उसके लिए एक अलग प्रोविजन करवा सकते हैं। अलग से प्रश्न रखना चाहिये इसका राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेन्डमेंट) बिल के साथ रखना इर-रिलेवेंट हो जाता है, इसको आप अलाऊ नहीं करके जो कानूनी चारा-जोई है और जो माननीय सदस्य करना चाहते हैं, करें।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा यह होता कि आप इस बात को कहते कि जो आरोप लगाये गये हैं वह गलत है या सही है।

श्री अध्यक्ष : वह कैसे सही या गलत कह सकती है ?

श्री भैरोंसिंह : अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस बात को माना है कि वह ससपेन्ड है और आज भी नौकरी से डिसमिसल के आर्डर नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शीघ्र समाप्त करें। आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पोइन्ट आफ आर्डर का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैं उसको डिस अलाउ करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर ?

श्री अध्यक्ष : वे स्ट्रेन्जर की तारीफ में आते नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रक्खेंहैं उनके बारे में निर्णय लिया जा सकता है, या आगे रेफर किया जा सकता है। वे इलेक्टेड हैं अभी तक।

श्री भैरोंसिंह : वे इलेक्टेड हैं यह सही है लेकिन सदन के अन्दर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बैठ सकता।

कई माननीय सदस्य : उन्होंने शपथ ली है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अभी तक मेच्योर नहीं हुआ। वे ड्युली इलेक्टेड हैं इस हाउस के सदस्य हैं। संविधान के अन्तर्गत जाकर मैं इस सारे प्रश्न पर निर्णय दूं इस स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री मदनसिंह : राज्य कर्मचारी की जगह कोई डाकू आ जाता तो क्या वह यहां बैठ सकता था ?

श्री अध्यक्ष : डाकू आ जाता तो कोई माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पुराने डाकू तो कई चुनकर भी आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने आपत्ति उठायी उन बारेमें मैं ज्यादा कुछनहीं कहना चाहता समय के अभाव के कारण।

श्री अध्यक्ष : चालीस पैंतालीस मिनट तो हो गये?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक एक मंत्री के लिये दस मिनिट का समय भी मिले तो पांच छः घंटे हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार इसे आज ही पास करना है।

श्री रामकिशन : आज तो नहीं हो सकता इसके लिये और समय देना होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस सम्बन्ध में जो जानकारी है वह मैंने सदन के सामने रखी है। जिन फैसलों का हवाला दिया है उसके अनुसार इस प्रकार की पोजीशन है कमिश्नर एक्साइज एण्ड टैक्सशन ने जो आर्डर दिया है उसके अन्तर्गत डिसमिसल के आर्डर को रिवाइज किया गया है। फिर दावा पेश हुआ फिर कन्वीक्शन फिर डिसमिसल "It is also surprising to note that as usual Shri Jasraj continues to be an employee of the Rajasthan Government under suspension as after his conviction by the Sessions Court and acceptance of appeal by the High Court and after the sanction of Special Secretary to prosecute, he was placed under suspension, and no order dismissing him from service has been passed." यह जानकारी मुझे है। इसी जानकारी के आधार पर जो तथ्य मेरे नोटिस मे आये उनको मैंने सदन के सामने रखे। इसलिये मेरे लिये इससे अधिक जानकारी देना संभव भी नहीं हो सकता। अगर माननीय सदस्या को अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो वे टेक्सेशन के मंत्रीजी से पूछ सकती हैं वे बता देंगे उनका डिसमिसल है या ससपेन्शन है। आप माथुर साहब से पूछ सकती हैं। मेरे पास जितनी जानकारी थी वह मैंने दे दी। इन सारी हालातों में मामले तो और बहुत सारे हैं। बाकी तो मनोहरसिंहजी मेहता बतायेंगे किस प्रकार सदस्यों को बाहर लेजाकर शराब पिलायी गयी सर्किट हाउस में रखा गया। मेरे पास वो कागजात हैं जो मैं उनको दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार के अध्यादेश के माध्यम से राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया है यह अध्यादेश संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है, परम्पराओं के प्रतिकूल है यह लोकतंत्र के सामान्य सिद्धान्तों पर कलंक है। इन सारे सवालों पर गंभीरता से विचार करके इस अध्यादेश को अस्वीकार करें। इस अध्यादेश में जिनको शामिल किया गया है वे सभी व्यक्ति इसी तरह के हो यह मैं नहीं कह सकता कुछ योग्य भी हैं अच्छे भी हो सकते हैं। मैंने तो डेगची के एक चावल का नमूना रखा है इससे आप सुखाड़ियाजी के ३५ साथियों को पहचान सकते हैं। यह विधेयक राज्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों के सम्बन्ध में है। मंत्रियों का सम्बन्ध इससे नहीं है। मैंने संसदीय सचिव के सम्बन्ध में थोड़े बहुत तथ्य रखे हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ मेरे इस संकल्प को कि अध्यादेश को जो राज्यपाल महोदय ने जारी किया है उसको अस्वीकार किया जाकर मेरा संकल्प स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : अब मैं दस मिनिट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री रामकिशन : यह तो भाषण सूक्ष्म था अब तो लम्बे भाषण होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यदि यह अध्यादेश अस्वीकार हो जाता है तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हू कि इस अध्यादेश को अस्वीकृत किया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं यह जो अध्यादेश जारी किया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं हमें इस बारे में विचार करना है कि क्या इस प्रान्त में इस प्रकार की आवश्यक परिस्थितियां थी जिसके कारण राज्यपाल महोदय को इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना चाहिये था। आज भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत का संविधान प्रजातंत्र में आस्था रखता है हमारा विश्वास प्रजातंत्र में है तो क्या इस प्रकार का अध्यादेश लाकर उस संविधान की अवहेलना नहीं की गई है ? अगर अवहेलना की जाती है तो मैं यह कहूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो मेरे इस संकल्प को मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं हमारे इस राज्य में सन् ५२ से लेकर आज तक प्रशासन के कार्य को चलाने के लिये मंत्रियों और उप मंत्रियों की नियुक्ति होती रही है। उनको किस प्रकार की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये, उप मंत्रियों के लिये किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये वे सारी कानून से नियमित होती जा रही हैं। लेकिन ६७ में एक सवाल सामने आया इस नयी विधानसभा के निर्माण के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं इसका बजट अधिवेशन हुआ। हमने आगे होने वाले खर्चे को और आय को अनुमानित करके उसको पास किया। उस समय किसी के भी दिमाग में जो राज्य व्यवस्था चलाते हैं अपने आपको दिग्गज मानते हैं जो अपने आपको बुद्धिमान समझते हैं उनके दिमाग में ये सारी समस्यायें नहीं आयीं।

(२.५६ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

इन मंत्रियों के सामने यह समस्या नहीं आयी कि राजस्थान के प्रशासन को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाना है। बिखरी हुई ताकतों को इकट्ठा करके किस प्रकार लोगों को आश्वासन दिये। जिन लोगों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिलाने की चेष्टा की है किस प्रकार। उनके सामने केवल एक ही उद्देश्य था कि अपनी शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया जाय और इस राज्य में अपनी हकूमत को कायम किया जाय। मैं बहुत नम्रता से सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कानून के पीछे इस प्रकार की भावना हो, यह नहीं देखा गया है कि जनता के फायदे में है या नहीं जनता के हित में यह है या नहीं, तो कोई भी निष्पक्ष आदमी यह कहने को तैयार नहीं होगा कि यह कानून जनता के हित के लिये बनाया गया है।

सभापति महोदय, जैसे व्यक्ति के विकास के लिये कुछ आवश्यक बातें होती

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हैं, देश के विकास के लिये भी वैसे ही कुछ बातें आवश्यक होती हैं। व्यक्ति का आर्थिक विकास होना चाहिये, उसका शारीरिक विकास होना चाहिये, उसका बौद्धिक विकास होना चाहिये और इन सबसे बढ़कर उसका आध्यात्मिक विकास होना चाहिये। जब व्यक्ति का इस चारों प्रकार से विकास होगा तो निश्चय ही उस देश के अन्दर विकास होगा और उस राष्ट्र का विकास होगा। तो इसी तरह देश का भी विकास इन चारों प्रकार से होना चाहिये। अब इस कानून के बारे में अगर हम विवेचन करें तो यह जो आर्डिनेन्स बनाया गया है तो हम देखें कि क्या इससे देश का कोई बौद्धिक विकास होने वाला है, इसमें देश के बौद्धिक विकास की कोई बात नहीं। यदि यह कानून जनता के बौद्धिक विकास के लिये कुछ नहीं करता तो यह सही कानून नहीं हुआ।

अब आर्थिक विकास के हिसाब से देखें कि क्या इस कानून के बारे में कोई यह दावा कर सकता है कि इस कानून के बनने से देश का आर्थिक विकास होने की सम्भावना है। आपके सामने यह बताया गया है कि इस कानून से देश का आर्थिक विकास तो दूर रहा, आर्थिक ह्रास होगा देश का हमारे देश की जो वित्तीय स्थिति रही है, मेरा आप सब का यही अनुभव रहा है कि प्रतिवर्ष बजट के अन्दर जनता पर नये टैक्स लगाये जाते हैं। कोई साल ऐसा नहीं जिसमें राज्य सरकार ने यह कहा हो कि हमारे पास काफी पैसा है और अब अधिक कर लगाने की आवश्यकता नहीं, हमने पैसे का काफी सदुपयोग किया है योजनाओं में और विकास में और अब कोई नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं। पर इसके विपरीत हर साल यही प्रश्न आता है कि सरकार के पास आर्थिक अभाव है और जनता पर टैक्स लगते हैं। तो, सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारी राज्य सरकार यह कहती है कि हमारे पास अर्थाभाव है और आर्थिक दृष्टिकोण से योजनाओं में पैसा लगाने के लिये हमको जनता पर टैक्स लगाने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ यह आर्डिनेन्स ले आते है जो इस भावना के सर्वथा प्रतिकूल है और गरीब जनता से टैक्स द्वारा वसूल किये गये पैसे को नष्ट करने का एक तरीका है। इस आर्डिनेन्स के द्वारा, सभापति महोदया वे पोस्टस् क्रीएट की गई हैं जिनकी सन् १६५२ से लाकर निरन्तर आजतक कभी जरूरत नहीं पड़ी। सन् १६५२ से लेकर शासन व्यवस्था मंत्रियों और उस मंत्रियों द्वारा चलाई जाती रही है। तो अब सन् १६६७ में जाकर ऐसी कौनसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो राज्य में इन नवीन पदों की, राज्य मंत्रियों और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों की, जरूरत पड़ी ? आप इनके फंक्शन्स को देखें, इनके कार्य को देखें और देखने के पश्चात् विवेचन करें कि प्रशासन में उनका योगदान कितना रहेगा, प्रशासन में इनके अधिकार क्या रहेंगे ? संविधान के अन्दर ये विधान सभा के लिये कितना उत्तरदायित्व रखते हैं और इनका प्रश्नोत्तर काल में या और किसी काल में क्या उत्तरदायित्व करार दिया जायगा।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

यदि संविधान के प्रतिकूल ये सारी बातें होती हैं तो राज्य सरकार द्वारा यह उत्तर दिया जा सकता है कि प्रशासन इतना क्लिष्ट हो गया है, इतनी उसमें काम्पलीकेशन्स आ गई हैं कि जितने वर्तमान में मंत्री विद्यमान हैं उनसे सही रूप में प्रशासन नहीं चलाया जा सकता और इसलिए इन नवीन पदों का निर्माण करना आवश्यक हो गया।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करदूं कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था की है कि प्रत्येक सदस्य १० मिनट तक ही बोलें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सभापति महोदया मैं इस इशू को बड़ी गम्भीरता से देखता हूं, पर मैं जितना सूक्ष्म से कह सकता हूं उतना सूक्ष्म से कहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, दस मिनट तो हो चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अभी दस मिनट नहीं हुए मुझे। मैं आपके सामने तीन महत्वपूर्ण विकास की बातें रखना चाहता हूं, आर्थिक विकास बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास। जहां तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता था कि आर्थिक विकास का इस आर्डिनेन्स में कोई प्रावधान नहीं। इसके पश्चात मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस विधान सभा के सामने इनका जब कोई उत्तरदायित्व ही नहीं होता है तो राज्यपाल महोदय ने यह आर्डीनेन्स निकाल कर कहां तक संविधान का पालन किया हैं? जब बजट सेशन चला था तो उस समय क्यों नहीं इन पोस्टस को क्रीएट किया गया? उस समय यह पद क्रीएट नहीं किये गये उसके पीछे भी कारण है और वह था लोगों को प्रलोभन दे रखा था, और मुझे स्पष्ट कहना पड़ रहा है कि एक आदमी दो का भी समर्थन प्राप्त करे तो उनको इन पदों पर लेने का प्रलोभन था। १८४ के विधान सभा में ४० के करीब मंत्री, उप मंत्री और पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीज यह संविधान का कैसा पालन है? मैं आपके सामने संविधान का यह प्रावधान रखना चाहता हूं कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के विधान सभा के सामने क्या फरायज होंगे और उसके प्रतिकूल कोई बात होती हैं तो वह कहां तक उचित है। संविधान की धारा १६३ के अन्दर है, "There shall be a Council of Ministers with the Chier Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his funetions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion." अभी जब इस इशू पर इस सदन के समक्ष चर्चा चल रही थी तो यह प्रश्न चल गया कि इस धारा से गवर्नर को एड और एडवाइज करने के लिये मंत्रियों की जरूरत है। अब इसका क्लाज (२) पढ़िये :

"(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion." इसके साथ ही यदि आर्टीकिल १६४ को और पढ़ा जाये तो दोनों को देखने से यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है ...

श्री समती सभानेत्री : माननीय सदस्य, समय की ओर ध्यान रखें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अभी तो समय है, माननीय सभापति महोदया, मैंने अपना भाषण ३ बजे शुरू किया था।

श्री समती सभानेत्री : तीन बजे तो, माननीय सदस्य, मैं आसन पर आ गई थी। उसके पहले आपने अपना भाषण शुरू कर दिया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप जब इन दोनों प्रावधानों को दृष्टिकोण में रखते हैं, तो आप कृपया यह तो बता दीजिये कि आपके मिनिस्टर आफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स की क्या ड्युटीज हैं इस संविधान के अन्दर यह प्रश्न स्वयं सन्देहास्पद प्रश्न रहता है। सौभाग्य की बात है कि आज सदन में बैठने वाले दो व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनसे मैं परिचित हूं और जो पहले से बराबर मन्त्री रहते चले आ रहे हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर यह बता दीजिये कि अब की बार कौनसी कठिनाई आपको अपने काम में महसूस हो गई कि जिसके लिये आपको पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी या स्टेट मिनिस्टर की जरूरत पड़ गई। क्या आप उस समय काबिल ज्यादा थे इसलिये जरूरत नहीं थी, और अब क्या मैं यह मान कर चलूं कि उस समय की आपकी काबलियत कहीं काफूर हो गई इसलिये मदद की जरूरत पड़ गई। अगर ऐसा है तो दो बातें मैं पूछता हूं। अगर आप उस वक्त काबिल थे और अब नाकाबिल हो गये हैं तो आप अपना पद छोड़ दीजिये ताकि सरकारी खर्चा बच सके। आप पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी या स्टेट मिनिस्टर जो आप से ज्यादा काबिलियत वाले आ गये हैं, उनको सौंप दीजिये अपना काम। फिर आप भले ही इनको अपोइन्ट करिये। आपकी मरजी की बात है। सवाल इतना है कि राज्य सरकार एक काम के लिये डबल डबल आदमी रखकर पब्लिक एक्सचेकर के रुपये का दुरुपयोग क्यों कर रही है। इसे नष्ट क्यों किया जाता है। हमें तो प्रसन्नता होगी कि आप काम चलाने की योग्यता वालों को रख लीजिये, जो काबिल नहीं रह गये हैं उनको निकाल दीजिये। हिसाब बराबर बैठ जायेगा। दो और दो चार करिये। पांच मत करिये या छ करने की कोशिश मत करिये।

पर खेद है कि इस बात को नहीं मानते मनमानी करते जा रहे हैं। इस हालत में मैं आप की इस सरकार को क्या संज्ञा दूं। क्या अलीबाबा चालीस चोर कहूं। आप ने अलीबाबा और चालीस चोर का किस्सा पढ़ा ? लोग कहते हैं यह। मैं नहीं कहता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री राम किशन : सभापति महोदय, इसका एक दिन खुलासा हो जाना चाहिये।

(श्री रामकिशन)

यह किस्सा क्या है अलीबाबा और चालीस चोर का।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप तो जानते होंगे। आपकी नोलेज में होगा।

श्री रामकिशन : सचमुच हमारी नोलेज में नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सभा-नेत्रीजी यह अलीबाबा और चालीस चोर का किस्सा.....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आपका समय हो चुका है। आपको कहना हो तो मूल बातें कह दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं, सभापति महोदया, सूक्ष्म में निवेदन करना चाहता हूं यह किस्सा तो मूल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीबाबा और चालीस चोर के किस्से को आप मजाक में टालने की कोशिश मत करें।

यह इतना इम्पोर्टेन्ट है कि वह अली-बाबा तो बच गया पर वे बिचारे चालीस चोर बुरी तरह से मारे गये। इसी तरह इनका अलीबाबा तो तेज तर्रार है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसका परिणाम यह होगा कि वह अलीबाबा तो एक तरफ बैठ जावेगा और ये चालीस चोर गरदन कटा लेंगे। अन्त में ..

(घन्टी)

मैं दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं मूलतः और सिद्धान्ततः इसका जो कानूनी पहलू है उस पर आपको गम्भीरता से निश्चयात्मक रूप से विचार करना चाहिये।

यह आर्डिनेन्स जब बना तो इसके अन्तर्गत आपने नई पोस्टें स्टेट मिनिस्टर और पार्लियामिन्ट्री सेक्रेटरी की कायम कीं लेकिन उस आर्डि नेन्स में ही यह लिखा है कि उनको अमेनिटीज और फेसिलिटीज दिये जाने हेतु अलग से नियमों का निर्माण किया जावेगा।

तो नियम इस आर्डिनेन्स बनने के काफी अरसे बाद करीब चार पांच महीने बाद बने। इन पोस्टों की तहर्रर पांच महीने पहले कर दी। यह निर्विवाद सत्य है और इसमें किसी प्रकार की दो रायें नहीं हो सकतीं। ये आर्डर्स राईटिंग में हैं। सही बात है। गलत नहीं कहा जा सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रिट्रोसपे-क्टिव इफेक्ट से हो सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप तो वकील हैं। आपको क्या बताऊं। नियम रिट्रोस्पे-क्टिव होंगे क्या ? एक छोटी सी बात निवेदन कर दूं। अगर आपकी राज्य सरकार का कोई मामूली अफसर दस बीस रुपयों को इधर से उधर कर दे तो उसे आप सस्पेन्ड कर देंगे बर्खास्त कर सकते हैं और बकाया की वसूली के लिये पी० डी० आर० में भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहां आपके

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इन अलीबाबा ने चालीस चोरों पर लाखों रुपया राज्य सरकार का खर्चा करा दिया। वह अलीबाबा की तनखा से या पार्टी से या केबिनेट से वसूल करने को तैयार हैं क्या ?

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनियमित रूप से यह दिया गया रुपया राज्य सरकार के कोष से खर्च किया गया रुपया इसका उत्तरदायित्व आप किस पर डालना चाहते हैं। अगर और बातों के लिये यह केबिनेट कलक्टिवली रेस्पोन्सिबल हो सकती है, तो इसके लिये क्यों नहीं हो सकती। आपकी आत्मा तो इससे प्रभावित होगी ? आप तो उन व्यक्तियों में से है जो समझकर चलते हैं कि कानून की अवहेलना हमारी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिये। जब यह सारी अवहेलना सामने आती है तो यह क्यों भूल जाते हैं कि कलक्टिव और जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी आपकी भी इसमें है। क्या यही प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि यह रुपया आपकी तनखाओं में से क्यों नहीं वसूल किया जावे। पर दुर्भाग्य की बात है कि राज्य कर्मचारी से भिन्न बर्ताव आप अपने साथ चाहते हैं।

रहा सवाल विश्वास का। विश्वास इस सदन में हो सकता है। पर बहुमत के आधार पर आज यह विश्वास चलता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि विश्वास प्राप्त करने के लिये भी उसी बहुमत का सहारा लिया जाता है, जिसको बनाने में यह सरकार का रुपया भ्रष्ट तरीके से नष्ट किया गया है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं।

तो मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपकी अन्तरात्मा इतनी प्रबल नहीं है। क्या आप निष्पक्षता से विचार करने को तैयार नहीं हैं कि हम किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों पर जहां तक देश का सवाल है राष्ट्र का सवाल है पब्लिक एक्सचेकर का सवाल है बैठकर कलक्टिवली जोइन्टली ईमानदारी से इस पर विचार करें। और अगर इस दृष्टि से हम सब विचार करें तो निश्चयात्मक रूप से हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि यह आर्डिनेन्स सद्भावना के साथ नहीं लाया गया है। इसके पीछे देश के विकास का महत्व नहीं है, देश के विकास का दृष्टिकोण नहीं है, आर्थिक विकास और शारीरिक विकास का महत्व भी नहीं है और इन तीनों से परे आध्यात्मिक विकास का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

और अन्त में जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि यह कानूनी दृष्टि से प्रतिकूल है और मैं उधर से और इधर के सभी सदस्यों से निवेदन और अपेक्षा करूंगा कि आप अपने हृदय पर हांथ रख कर मेरे संकल्प के पक्ष में अपना मत दीजियेगा और इस कानून को निरस्त कराने में सहायता दीजियेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयसिंह रावत।

श्री विजयसिंह रावत : (नसीराबाद): माननीय सभानेत्रीजी, जो अध्यादेश ६८ राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा मन्त्रियों के बारे में जारी किया गया है इस विषय में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ तथ्य सदन में रक्खे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं।

श्रीविजयसिंह रावत)

सभापति महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही । आज राजस्थान के ऊपर लगभग चार करोड़ रुपया तो कर्जे के ब्याज के रूप में देने का भार पड़ा हुआ है और हर बजट के समय में यह राज्य सरकार नये टैक्स लगाकर अपना काम चलाने की बड़ी मुश्किल से कोशिश करती है ।

इन सब हालतों को सामने रखकर अगर हम विचार करें कि यह लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाली सरकार इस राजस्थान की जनता के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करके कदम उठा रही है ।

मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं । मेरे ख्याल से इस सदन में सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि अध्यादेश २३ अक्टूबर ६७ को जारी किया गया और इसको जारी करने के समय जैसा कि कई सदस्यों ने बताया कोई भी नियम इस बारे में नहीं बनाये गये । इस ४ महीने के पीरियड में स्टेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज जो इस राज्य के खजाने का पैसा उठाकर इस खजाने को लूटा है वह तो कोई भूल नहीं सकता है और उसके लिए कोई भी खड़ा होकर यह नहीं कह सकता है कि इन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक गम्भीर प्रश्न यह है कि जब संविधान के अन्दर यह है और सबार्डीनेट लेजिस्लेशन के अन्दर जैसा कि सभापति महोदया आप स्वयं हैं……

श्री मूलचन्द डागा : आप नहीं हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : जब तक किसी चीज के नियम बनते हैं और नियम बनने के पहले कोई भी सरकारी अधिकारी या मन्त्री किसी चीज की फेसेलिटी अवेल करता है तो वह एक तरह से अवैधानिक है और इल्लीगल है और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है उसके साथ ही साथ एक बात और ऐड करना चाहता हूं जो कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है । सभापति महोदया, यह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बने अब यह नहीं कह सकता हूं कि इनको राष्ट्रीय फ्लेग लगाने का अधिकार है या नहीं लेकिन मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट इस चीज को गम्भीरता से सोचने के लिए तैयार है कि ४ महीने तक इन पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज ने राष्ट्रीय फ्लेग को लगाकर इसका दुरुपयोग किया है इसके लिए केबीनेट क्या फैसला करने वाली है जबकि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के अन्दर यहीं लोग नहीं आते । अध्यादेश जब जारी किया था तब इनको क्या क्या फेसेलिटीज देनी चाहिये और क्या क्या मान्यताएं देनी चाहिए उसका इसके अन्दर कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय फ्लेग इस हिन्दुस्तान के चलते फिरते आदमी लगा सकते हैं क्या ? क्या ऐसा आदमी लगा सकता है जिसको लगाने का अधिकार नहीं है ? क्या राष्ट्रीय फ्लेग की मान्यता इस रूप में कर दी है कि जिस रूप में चोरी चोरी करके चौराहे पर

(श्री विजयसिंह रावत)

खाये और चलता जाए ? मन्त्री महोदय शायद कुछ जवाब दे रहे हैं……

श्री परसराम मदेरणा : आर्डिनेन्स निकालने के बाद और प्रामलगेट होने के बाद वह तनख्वाह के हकदार थे और दूसरी फेसेलिटीज जैसे ट्रेवलिंग की है उसके लिए प्रावीजन है लेकिन फ्लेग के अन्दर और दूसरी चीजों के लिए आप कह रहे हैं कौन लगा सकता है, कैसा आदमी लगा सकता है आर्डिनेन्स निकालने के बाद they were included in the Council of Minister.

श्री विजयसिंह रावत : I have only made a query whethen they are authorised to hoist the national flage or not. Whether your Parliamentary Secretaries are authorised ?

श्री परसराम मदेरणा : They are entitled to it.

श्री रामकिशन : रावत साहब जरा हिन्दी में बोलो !

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, मुझे अभी भी शक है जैसा मन्त्री महोदय ने जवाब देने का प्रयास किया, मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन मन्त्री जी इस बात को फिर से चैक-अप करें क्योंकि मैं मिलिट्री में रहकर आया हूं। मुझे ट्रेनिंग मिली है और ट्रेनिंग लेने के बाद में इसको निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और आपके डिप्टी मिनिस्टर्स इस फ्लेग को यूज़ करते हैं वह किस हालत में यूज़ करें, कब इसका यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए । मन्त्री महोदय मैं तो आपको इतना कह सकता हूं कि किसी पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी की महबूबा उस गाड़ी में जाए और फ्लेग लगा कर जाए....

श्री मूलचन्द डागा : यह कैसे मालूम ?

श्री विजयसिंह रावत : At that time I was so hot, that I wanted to shoot that bastard.

श्री परसराम मदेरणा : Are you democrat ? What do you talk ?

श्री विजयसिंह रावत : I beg your pardom ? मैं डेमोक्रेट हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह बटालियन नहीं है मिलीट्री की। यह विधानसभा है आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : मन्त्री महोदय आपको नाराज नहीं होना चाहिये। यह राज्य भी गोलियां चलकर ही बना है । आप तो आदमी हैं इसलिए आप सहन करने की क्षमता रखिए। आप भी राष्ट्रीय फ्लेग लगाते हैं और आप लगातार मन्त्री बनते आये हैं। आपको नियम मालूम हैं कि किस समय फ्लेग यूज़ करना चाहिए। सन राइज और सन सैट का पीरियड होता है और कैसे कैसे उसको प्रयोग में लाना है। क्या गवर्नमेंट इसकी गारन्टी ले सकती है कि डिप्टी मिनिस्टर बने और उनको कपड़े पहनने का होश नहीं और यह नहीं मालूम कि किस समय फ्लेग लगाना चाहिए,

(श्री विजयसिंह रावत)

कहां लगाना चाहिये । यह नहीं कि घी मन्डी में जाये...

श्री परसराम मदेरणा : ब्रिटिशर्स भी गांधी जी के बारे में कहते थे कि उनको भी होश नहीं था कपड़े पहनने का।

श्री विजयसिंह रावत : सारे नेशन को उन्होंने तो फ्रीडम दिला दी । क्या इनको होश है कि यह नेशनल फ्लेग है ? यह राष्ट्र का प्रतीक है क्या इतना इनको मालुम है ? मैं कहना चाहता हूं कि आपको ध्यान आकर्षण के अन्दर बताऊंगा कि आपके पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज़ और डिप्टी मिनिस्टर्स गाड़ियों को सब्जी मंडी में लेकर जायें और रात को ६ बजे फ्लेग लग रहा है यह अलाऊ है क्या ?....

श्री परसराम मदेरणा : कार के ऊपर नेशनल फ्लेग रात को भी फ्लाई कर सकता है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के आदेश आ चुके हैं कि गाड़ी के ऊपर रात को फ्लेग लगाया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साग लेने जाये तब ।

श्री विजय सिंह रावत : कमाल है ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या इससे बहुत बड़े आदमी साबित होना चाहते हैं ?

श्री विजय सिंह रावत : में इस अध्यादेश के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह अध्यादेश जो जारी किया है अध्यादेश के अन्दर जिन जिन लोगों के लिए यह जारी किया है उन लोगों के ऊपर इस राजस्थान की २। करोड़ जनता का और राजस्थान के अन्दर बिके हुए लोग और १८२ सदस्यों ने जिसके अन्दर वह लोग भी हैं इनका इनके ऊपर आरोप है और वह आरोप यह है कि आम जनता की धारणा है और धारणा ही नहीं मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह सही है कि इस ओर से बैठकर उस ओर जाने के अन्दर इन लोगों ने रुपया लिया है। यह बिके हुए हैं और इसके कारण आज मिनिस्टर्स आफ कौंसिल के अन्दर नियुक्ति इनकी करना चाहते हैं मेरे ख्याल में भारत में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसके अन्दर बिके हुए आदमियों को इसके अन्दर लेते हैं और यह अध्यादेश जारी करते हैं। मैं आज इनको एप्रीशियेट करता अगर मदेरणा साहब कहते और डागा साहब जैसे आपकी कांग्रेस में ईमानदार आदमी हैं, अच्छे निष्ठावान हैं और उनको आप लेते और इन बिके हुए लोगों को नहीं लेते इन पंगू, लूले, लंगड़े को नहीं लेते...

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदया यह जो भाषा काम में ला रहे हैं यह आपत्तिजनक है।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने सन् ५२ से लेकर आपकी प्रोसीडिंग्स पढ़ डाली हैं । मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। तो, सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि आज जिन जिन को पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज के लिए और डिप्टी मिनिस्टर्स के लिए नियुक्त किया है उन लोगों के अन्दर में

(श्री विजयसिंह रावत)

अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके केरेक्टर में राजस्थान की दो करोड़ जनता डाउट करती है। उनके केरेक्टर के बारे में कई प्रकार की विभिन्न कहानियां हैं। उन कहानियों और डाउट्स को सामने रखकर यह सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। मैं यह कहूंगा कि अगर हम लोग जगता के प्रतिनिधि होकर आये हैं या जनता का विश्वास प्राप्त करके आये हैं, जनता के हित के लिए यहां आये हैं और हम लोग किसी पार्टी पोलिटिक्स में न पड़कर, पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि इमान, आनेस्टी, सिन्सियेरिटी और नेशनल लायल्टी के नाते सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि ऐसे अध्यादेश को जब तक कि इन पार्लियामेंट्री सेक्रेट्रीज और डिप्टी मिनिस्टर्स को जिनके चरित्रों पर लांछन लगा हुआ है, जिनके चरित्रों पर डाउट किया जाता है, इन लोगों को निकालकर अन्य लोगों को इमानदार लोग कांग्रेस के अन्दर भी हैं या सत्तारूढ़-पार्टी में भी हैं, उनको नियुक्त किया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : मुझे तो दिखाई ही नहीं पड़ता है कि कांग्रेस में कोई इमानदार है....

एक कांग्रेस पक्षीय सदस्य : यह कब निर्णय हो गया ?

श्री मदनसिंह दांता : यह निर्णय हो गया है कोई इमानदार नहीं है कांग्रेस में।

श्री विजयसिंह रावत : मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीजे के बारे में २२ फरवरी को जो गजट नोटिफिकेशन किया है उसके अन्दर इनको कुछ फैसिलिटीज के बारे में संकेत दिया है। उसके आधार पर मैंने यह जोड़ लगाया है तो एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के लिए इस राजस्थान की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से आप आप साढ़े चारे हजार रुपया प्रतिमास खर्च किया जाता है। इसके अन्दर मैंने मैडीकल फैसिलिटी और जो बगीचें के मैंन्टीनेन्स के लिए खर्च होता है उसको केल्क्यूलेट नही किया है तो साढ़े चार हजार रुपया केवल एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी पर पर मन्थ इस राज्य सरकार के खजाने से खर्च किया जाता है जिसके लिए इन गरीबों से टैक्स उगाया जाता है। मैडिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। जैसा कि डूंगरपुर बांसवाड़े से आने वाले भाई हीराभाई ने बतलाया कि लगान बसूल करने के लिए बकाया तकावी वसूल करने के लिए यह सरकार हमारी मां और बेटियों को बेइज्जत करवा सकती है, उनको मुर्गे बना सकती है, उनके साथ में वह वह चीजें कर सकती हैं जो इस संसार के किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए और डेमैक्रेटिक कन्ट्री में तो होना ही नहीं चाहिए, इस तरह से उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी पर वह साढ़े चार हजार रुपया खर्च कर रही है तो साढ़े चार हजार रुपय पर मन्थ खर्च करने के बाद क्या किया है या करते हैं इसका उसने हिसाब लगाया है?

श्री रोशनलाल : मुर्गियां बनाने की क्या आवश्यकता है वह तो अपने आप बनती है।

श्री विजयसिंह रावत : आज उसका हिसाब लगायें और सारे सदस्य ईमानदारी से सोचें ये पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज क्या साढ़े चार हजार का काम करते हैं ? मैं इसको मानकर चलने वाला हूं कि जो केबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं उन लोगों को जितना पैसा मिलता है शायद उसका पूरा काम नहीं करते हैं तो शायद ५० पर्सेन्ट तो काम करते ही होंगे, लेकिन बारातियों की तरह यह जो × × × × हैं कार लेकर सब्जी मंडी में घूमते हैं, घी मण्डी में घूमते हैं या दूसरे स्थानों पर जाते हैं...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें आप × × × × से किसी माननीय सदस्य के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : यह पार्लियामेन्ट्री लैंग्वेज है।

श्रीमती सभानेत्री : इन लफ्जों को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री विजयसिंह रावत : जो शब्द मैंने कहे गये हैं वे बिल्कुल पार्लियामेन्ट्री हैं और अनपार्लियामेन्ट्री नहीं हैं। डा० राममनोहर लोहिया ने इनको कई बार बोला हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं इनको एक्सपन्ज करती हूं।

श्री रामकिशन : एक्सपन्ज तो आप कर दें...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यों में यह परम्परा आती जा रही है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग न करें। यह उत्तम नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं इस परम्परा का समर्थक नही हूं, लेकिन × × × को कैसे असंसदीय कह सकते हैं। जिस संदर्भ में माननीय सदस्य ने कहा है वह किस तरह से असंसदीय है ? इन्होंने कहा है कि × × × × की मिसाल नहीं करना चाहिए। मनुष्य सब बराबर हैं, लेकिन वह असंसदीय है इस तरह का नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि बोलते समय वे अपने शब्दों पर संयम रखें।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे इस विधानसभा का ही अनुभव नहीं है। मैंने इंग्लैण्ड में देखा है, फ्रान्स में देखा है, आस्ट्रेलिया में देखा है, कैबिनेट के जो मंत्री हैं और आप लोग हैं इन्होंने सारे संसार का भ्रमण करके देखा नहीं देखा है। मैंने वहां देखा है। मैंने तीन लड़ाइयां लड़ी हैं और जो कुछ मैं कहता हूं वह संयम रखकर कहता हूं : I have control on my language. I know parliamentary language. I don't go out of parliamentary language.

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप बैठेंगे। यहां पर लन्दन की पार्लियामेन्ट की कार्यवाही नहीं चलेगी राजस्थान की कार्यवाही चलेगी।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने सारी पढ़ी हैं।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यविवरण से निकाले गये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, ग्राप बैठ जायं।

श्री विजयसिंह रावत : आगे में यह कहना चाहता था कि जो आपने ग्रध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करने के बाद में, जैसा कि बांसवाड़े का किस्सा कहा गया उसमें से साढ़े चार हजार रुपया जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पर खर्च करते हैं और उसके काम या आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, जो स्टेट मिनिस्टर्स के लिए साढ़े छः हजार मैंने कैल्क्यूलेट किया है जिसमें मेडीकल फैसिलिटीज ग्रलग हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि इस गवर्नमेंट में जब फुल केबिनेट मिनिस्टर हैं तो उस डिपार्टमेंट के ग्रन्दर स्टैट्स मिनिस्टर की क्या आवश्यकता पड़ गई ? क्यों नहीं आप जब तक राजस्थान गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति ग्रच्छी होती है तब तक इस बारात को बनाये रखने को एवायड करने की कोशिश करें और इस सदन में जितने भी सदस्य हैं १८२ या १८४ उसके अनुपात से मंत्री-मंडल बनाते हैं। उसके साथ-साथ यह क्यों नहीं सोचते कि कहीं पर गरीब जनता को पानी भी उपलब्ध नहीं होता है, जहां गरीब जनता को ग्रन्न टाइम पर उपलब्ध नहीं होता है. उसके लिए कठिनाई आती है ग्रौर बार बार केबिनेट मिनिस्टर्स केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, बेकारी फैली हुई है, उन सरकम्स्टान्सेज में ग्राज यह गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है कि कम से कम मिनिस्टर बनायें ग्रौर कन्सोलिडेट कर दें ताकि स्टेट की कम से कम ग्रार्थिक स्थिति सुधरे। जब धन-धान्य से परिपूर्ण हों तो हमारी तरफ से ७२ हजार महीने पर लगायें हमें कोई गिला नहीं होगा। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति ग्रा रही है ग्रौर किसी डाइरेक्शन में पूरी तरह से निर्भर होकर नहीं चल सकते हैं उस हालत में मैं यह कहना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि इस ग्रध्यादेश को अस्वीकार करें और अस्वीकार करके राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता को आश्वासन दें कि यहां पर ग्राये हुए जितने भी सदस्य हैं वे उनके विश्वासपात्र हैं और जनता के हित के लिए हैं न कि उनके अहित के लिए। इतना कहकर मैं यह कहूंगा कि यह अध्यादेश इस सदन में न रखा जाय और उसको अस्वीकार किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदया. इस अध्यादेश को हटाने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और इस अध्यादेश के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने विभिन्न समयों पर ग्रपनी दृष्टि से विचार व्यक्त किये हैं। आज जिस ग्रध्यादेश का सहारा लेकर कानून की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, मैं यह समझकर चलता हूं कि आज देश के अन्दर जो परिस्थिति चल रही है ग्रौर देश के अन्दर आज जो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त होता चला जा रहा है, मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की परम्परा राजस्थान की सरकार ने राज्यपाल महोदय के माध्यम से अध्यादेश के द्वारा जारी रखी तो कोई आश्चर्य नहीं कि राजस्थान के ग्रन्दर जो ग्रभी तक ग्रन्य प्रदेशों के मुकाबले में काफी शान्त है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इस लोकतन्त्री आस्था से राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति कहीं दूर न चले जायं। आज देश के अन्दर चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, प्रत्येक समुदाय आज इस लोकतान्त्रिक स्थिति से निराश होकर अराजकता की स्थिति पैदा करने को खड़ा हुआ है...
चाहे हम विधान सभा के अंदर देखें चाहे विधान सभा के बाहर देखें दोनों प्रकार का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। आज समाज इन लोकतंत्रीय परिस्थितियों से विवश हो गया है, फ्रस्टरेशन पैदा हो गया है और लोगों का विश्वास लोक तंत्र पर से उठता जा रहा हैं। इस प्रकार की मान्यताएं पैदा होती चली जा रही हैं मानो इस देश में लोक तंत्रीय परम्पराएं नहीं चल सकतीं और दूसरी तरह की परम्पराओं पर विचार करना होगा ऐसी स्थिति बनती जा रही है। देश में इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है और विदेशी ताकतें इस मौके का फायदा उठा रही है।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और स्टेट मिनिस्टर की व्यवस्था के लिये उनकी सेलेरी और सुविधाओं की व्यवस्था इस ओर्डिनेन्स के माध्यम से व्यवस्था की गई है इससे लोक तंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी नहीं, संविधान के प्रति आदर बढ़ नहीं जायगा बल्कि धीरे धीरे लोगों की विचारधारा इसके विपरित होती जायगी।

सभापति महोदया, आज राजस्थान के निर्माण का प्रश्न आता है और कोई सदस्य विकास की बात करते है तो सरकार की और से उत्तर मिलता है कि पैसे के अभाव के कारण यह काम नहीं कर सकते। राजस्थान केनाल को रोक दिया जा सकता है पैसे के अभाव में। राजस्थान में कुए नहीं खोदे जा सकते पैसे के अभाव में, सरवे नहीं कराया जा सकता पैसे के अभाव में, पैसा नहीं है इसलिये स्कूलें नहीं खोली जा सकतीं और पैसे के कारण ही अस्पताल नहीं खोले जा सकते और दूसरे अन्य आवश्यक कार्य भी नहीं किये जा सकते क्योंकि पैसे का अभाव है। सारी परिस्थितियों में एक ही उत्तर आता है कि पैसे का अभाव है। पैसे के ही अभाव के कारण राजस्थान के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेन्शन नहीं दी जाती। मित्त व्ययता के नाम पर हमारों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और कई सरकारी कर्मचारियों को समय से पूर्व पेन्शन दे दी गई। गावों के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिये थीं वे पैसे के अभाव के कारण नहीं दी गई और परम आवश्यक चीज राजस्थान का विकास है उसकी पूर्ति इसलिये नहीं की गई कि पैसे का अभाव है। जब कि सारे कामों के लिये पैसे का अभाव है फिर भी इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाते हैं। मैं समझता हूं किसी आधार पर इस तर्क को नहीं रख सकते कि ओडिनेन्स लाना आवश्यक हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि जो पैसा इस पर खर्च होगा उससे दूसरी योजनाएं तैयार की सकती थीं। मूल प्रश्न यह है कि आज राजस्थान में जिस गति से विकास होना चाहिये था वह इसलिये नहीं हो सका कि पैसे की कमी है। क्या हम राजस्थान के लोगों को इस बात का

Page No. 110

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विश्वास दिला सकते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी है ? जिस राजस्थान की विधान सभा में कुल सदस्य संख्या १८४ है और उसमें से भी २ स्थान रिक्त हैं उसी राजस्थान में १८२ सदस्यों में से ३६ सदस्य मिनिस्टर है और एक एक मिनिस्टर पर जैसा कि आप कहते हैं ५-५ हजार रुपये माहवार खर्चा आता है, मैं तो इसको भी मानने को तैयार नहीं हूं कि एक एक मिनिस्टर पर पांच पांच हजार रुपया ही खर्च आता है । मिनिस्टर के सेक्रेटेरियट को मिलाकर किसी भी हालत में एक एक पर खर्चा १४–१५ हजार रुपये से कम नहीं आता जहां एक एक मिनिस्टर पर १४–१५ हजार रुपया खर्च उस विधान सभा में ३५ मिनिस्टरों के लिये ऑर्डिनेन्स लावें तो मैं समझता हूं कि आप स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं । आज राजस्थान की जनता सोचेगी कि मिनिस्टर अपने आराम के साधन बनानें को तो तैयार हैं लेकिन राजस्थान की जनता की सुख सुविधा की ओर नहीं सोच रहे हैं । इस ऑर्डिनेन्स और इसके अन्तर्गत जो रूल्स बनेंगे उनको देखने से ऐसा लगता है कि तोड़ फोड़ करके लोगों को अपनी ओर ले गये है केवल उनको बनाये रखने की ओर ध्यान रख कर सरकार चली है ।

सभापति महोदया, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति सरकार में चलती जा रही है और ऑर्डिनेन्स के माध्यम से व्यवस्था करने की प्रवृत्ति चलती जा रही है उससे हम राजस्थान की जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं पैदा कर सकेंगे बल्कि इससे तो निराशा ही पैदा होगी । राजस्थान में रहने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने शौर्य और त्याग की प्रेरणा दी थी उसी राजस्थान की सरकार आज प्रेरणा दे रही है लोगों को खरीदने की । इस सरकार ने देश में सबसे पहले दल बदलुओं को खरीदने का प्रयत्न किया और दल बदलुओं की खरीद कर ही सरकार बनाई । राजस्थान से जो शौर्य और त्याग की प्रेरणा पहले ली जाती थी उसी राजस्थान की सरकार ने दल बदलुओं को खरीदने की प्रेरणा दी । मैं समझता हूं इस प्रकार से स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण नहीं कर पायेंगे । इससे तो फ्रस्टरेशन ही बढ़ रहा है ।

आज राजस्थान शांत हैं और शांत ही रहना चाहिये लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा और इस प्रकार के अध्यादेश लाकर अन्य राज्यों के समान ही अपने प्रदेश में भी स्थिति पैदा करें । मैं नहीं चाहता है कि इस प्रकार की स्थिति हो । आज दल बदलुओं के आधार पर सरकार यह मानकर चल रही है कि स्थायी मंत्रिमंडल रह जायेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अन्य प्रदेशों की ओर देखिये । अन्य प्रदेशों ने दल बदलुओं के आधार पर जो मंत्रिमंडलों का निर्माण किया था वे एक एक करके कितने दिन चल रहे हैं । इस प्रकार लोगों को खरीद कर सरकार कभी स्थायी नहीं रह सकती जो आपके सामने बैठे हैं उनकी शकलें देखिये इन शकलों पर कितनी मायूसी है.......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) है कहां मायूसी ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : दल बदलुओं को हिम्मत नहीं होती सामने आकर बैठने की ।

श्री कृष्ण कुमार गोयलः जो चेहरे चुपचाप बैठे हैं वे बता रहे हैं । आज आप देख रहे हैं कि जिन्होंने अपना धर्म बेचा, जिन्होंने ईमान बेचा, जिन्होंने अपने चुननेवालों को धोखा दिया उनको मंत्रि लिया जा सकता है सो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो संगठन की नींव का पत्थर है उनको कोई पूछता नहीं है । मैं किसी की वकालात नहीं करता लेकिन इस अहम प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह केवल इसलिए कि इस लोकतन्त्र के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति पवित्र संविधान के प्रति, लोगों की आस्था बढ़े । धीरे धीरे स्थिति क्या हो रही है । आज राज्यपाल सदन में विवाद का प्रश्न बन गया है । राज्यपाल के पद के लिये जिस प्रकार के विचार सदन के अंदर और सदन के बाहर लोगों के हैं उनको देखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्वस्थ परम्परा का निर्माण कर रहे है । क्या गंगा की धारा की तरह पवित्र संविधान के प्रति लोगों की आस्था पैदा कर रहे है ? आज राज्यपाल के पद को इस तरह का टूल बना दिया गया है । उनके द्वारा ओर्डिनेन्स निकलवाकर जिस प्रकार चाहें उस प्रकार की व्यवस्था करवा लेते हैं । इस प्रकार की हरकतों से क्या आप राजस्थान की जनता में राज्यपाल के प्रति आदर भाव पैदा कर सकते है । इसलिये सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अध्यादेश लाया गया है उसको निरस्त किया जाय ।

श्रीमती सभानेत्रीः प्रश्न यह है कि माननीय श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री विजयसिंह रावत और श्री कृष्णकुमार गोयल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवालः गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो संकल्प स्वीकार ही होगा ।

श्री रामकिशनः ऐसी तस्वीर पेश न करें कि कोई जवाब देने वाला ही नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदया...

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के सदन में आने पर)

श्री रामकिशन : जिन्होंने यह सब किया है वह आ गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन्होंने किया है उन्हीं को भुगतने दें ।

श्रीरामकिशन : जिन्होंने दोष किया है उन्हीं को भुगतने दें । सुखाड़िया जी आ गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोष किसी ने किया और दण्ड कोई और भुगते, सजा कोई और भुगते—यह क्या है । उन्हीं को जवाब देने दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, आर्डीनेन्स के सम्बन्ध में यहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जो बहस चल रही है उस बहस के दौरान अभी यह कहा जा रहा था कि जो राजस्थान के अन्दर मंत्रिमण्डल बना वह खरीदे हुए एम.एल.एज. के द्वारा और तरीकों को काम में लेकर के इस मंत्री मंडल का निर्माण किया गया था जब कि हमारा दल अल्प मत में आया था। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया और यह कहने का प्रयत्न किया कि हम भी यहां की सरकार के स्थायित्व के बारे में उनसे सबक लें। तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान के अन्दर जब चुनाव समाप्त हुआ तो मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूं कि चुनाव के परिणामों के वक्त केवल दो मत का फर्क था और उसके बाद जो लोग कांग्रेस पार्टी में शरीक हुए शुरू में, उन शरीक होने वाले व्यक्तियों में

(३.५० म०प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

वे ही व्यक्ति थे जिनका सम्बन्ध पहले भी कांग्रेस के साथ रहा। फिर जो तीन व्यक्ति मिलें उन तीन में से दो व्यक्ति जो थे वह इन्डिपेन्डेंट थे, एक तो वह जो फलौदी से चुन कर आये थे और दूसरे वह जो चोहटन से चुन कर आये थे। और इस प्रकार जब मंत्रीमण्डल बना उस वक्त भी कांग्रेस दल की संख्या ९२ की थी। यह बात स्पष्ट रूप से समझ कर चलना चाहिए और यह किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो इन्डिपेन्डेन्ट हमारे दल के अन्दर आये, उस समय हमारी जो संख्या थी, उतनी संख्या और किसी दल की नहीं थी, और उन इन्डिपेन्डेंट्स का किसी दल से सम्बन्ध नहीं था। उस समय सब दल भी शरीक होकर बहुमत में नहीं थे। इसके बाद में जो समरथ लाल हमारे दल के अन्दर आये तो उनके बारे में उन पार्टीज के सोचने की बात ज्यादा थी, उनके सोचने की जिम्मेदारी ज्यादा थी कि वह किस प्रकार से जीत कर आये थे; पार्टी वालों ने उनका क्या समर्थन किया और क्या नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट न मिले और वह उधर चला जाय और उसको और पार्टी टिकट दें और बाद में इस बात को कहें कि यह तो हमारे टिकट पर चुन कर आया है तो इसका क्या मतलब है। मैं, अध्यक्ष जी, कई बार कह चुका हूं कि मैं इस पक्ष में हूं कि देश में जो दल बदल की नीति या दल बदल का तरीका चल रहा है उसको सब पार्टियों के द्वारा बन्द किया जाना चाहिए...

कई माननीय सदस्य : पहले उनको निकालिये !

श्री विजय सिंह (मकराना) : जो आपके अन्दर घुस कर बैठ गये हैं उनको पहले निकालिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष जी, मुझे भी बोलने का हक है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री विजयसिंह मकराना : बड़ी बड़ी नीतियां बघारते हैं आप।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दल बदलने वाली नीति और तरीके को रोकने के लिए यह नीति निर्धारित की जाय कि चुनाव के पहले जिसने जिस पार्टी से टिकट मांगा है और उस पार्टी ने ना कहा है तो उसे दूसरी पार्टी से टिकट नहीं दिया जायगा।

श्री रामकिशन : हम तैयार हैं।

कई माननीय सदस्य : तैयार हैं। तैयार हैं। नहीं देंगे टिकट। तैयार हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तब जाकर इस दल नहीं बदलने के सिद्धान्त का पालन होगा। आप अपने स्वार्थ के लिए, चुनाव में फायदा उठाने के लिए दल बदले हुए आदमी पर अपनी मोहर छाप लगा कर अपना बडप्पन साबित करना चाहते हैं और फिर बात करना चाहते हैं अरे यह क्या हो गया, यह क्यों हो गया। यह क्यों हो गया। अध्यक्ष जी, राजस्थान ऐसी जगह है जहां चुनाव के मौके पर कई लोग कांग्रेस छोड़ कर चले गये, उन्होंने दूसरी पार्टी से टिकट लिया और कुछ किया। तो इतने लोगों के चले जाने के बाद, इतने लोगों के द्वारा दल बदल होने के बाद और चुनाव में लाखों रुपया खर्च होने के बाद में भी १९६७ में, १९६२ के चुनाव के अन्दर जितना जनमत कांग्रेस को मिला था, उससे एक प्रतिशत ज्यादा ही मिला।

श्री जय नारायण सालोदिया : जनता ने सब देखा है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका विश्वास कांग्रेस के साथ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६६ में माइनोरिटी में हो गये थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब व्यक्तियों को खरीदने के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया -- इस इतिहास में मत जाइये...

श्री रामकिशन : वह भी कह दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लोगों पर किस तरह से दबाव डाला गया, किस तरह से बन्द करके, लालच देकर क्या-क्या नहीं किया गया, (शोरगुल) यह कांग्रेस का दल ही था जो कि उस समय चट्टान की तरह खड़ा रहा (करतल ध्वनि-शोरगुल) और उस ताकत के ऊपर ही यह कांग्रेस की पार्टी शासन के अन्दर यहां बैठी हुई है और पांच साल तक तो आप ख्वाब मत देखिये कि आप शासन को ले सकेंगे (करतल ध्वनि-शोरगुल) आपके लोगों के सिद्धांत जो हैं, उनको हम जानते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : आपने कहा कि बन्द कर दिया गया। किसको बन्द किया गया, यह आप बता सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सुनिये, सुनिये। आप लोगों के सिद्धांतों को हम जानते हैं...

श्री विजयसिंह मकराना : इस धोली टोपी को मत शर्माइये !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप लोगों के सिद्धान्त को हम जानते हैं...

श्री विजयसिंह मकराना : क्या समझता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब कोई व्यक्ति इधर हो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और नालायक और न जाने क्या-क्या बातें करेंगे। लेकिन जब उधर जाकर वह व्यक्ति बैठ जाय तो उसको दल का नेता तक बना सकते है। यह कुल मिला कर आपका सिद्धान्त है।

जसराज जी के लिए आप जो लेक्चर दे रहे हैं, उसके लिए मैं अर्ज करूं कि उस वक्त के जनसंघ के प्रेसीडेंट सतीशचन्द्र जी स्वयं खड़े होकर उनका नाम डिप्टी स्पीकर, जो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के पद से कहीं ऊंचा है, के पद के लिए प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको चुनाव में खड़ा कर सकते हैं, चुनाव लड़ा सकते हैं- यह सारा कुछ कर सकते हैं लेकिन आपके दल से जब यह सोच कर कि इधर रहने से हरिजनों का भला नहीं हो सकता है, हरिजनों का फायदा नहीं हो सकता है, इधर आ गये और जब उनको पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री बनाया गया तो आप इस तरह की बात करने लग गये। तो हमने सोचा था कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई नहीं लगती है। उस वक्त गलती हुई, सच बात है लेकिन उसके बाद में आपने ही सोचा होगा कि पड़ा लिखा है, होशियार है, एक बार कोई गलती भूल से हो जाय तो बाद में सुधर भी सकती है। इसलिए ही आपने चुनाव में खड़ा किया। आपने यह सोचा होगा तब ही डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उनको खड़ा हो जाने के लिए कहा। तो हमने भी अब यह सोचा कि उनमें सुधार हो गया है इसलिए हमने उनको पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री बनाया...

श्री श्रवणलाल : अब क्या समझते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आखिर यह ठीक बात है, अध्यक्ष महोदय, कि उस तरफ से जो भी दलील ठीक बैठ जाय, वैसी दलील दे देते हैं और इसलिए ही इस प्रकार की बात कही जाती है। आज यह ठीक बात है कि कुछ मन्त्री, कुछ उपमन्त्री, कुछ राज्यमन्त्री और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री की संख्या बढ़ी है लेकिन संख्या बढ़नी चाहिए काम-काज के लिहाज से भी, और यह भी कि जो आज पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री है, डिप्टी मिनिस्टर हैं...

श्री देवीदत्त गाड़िया : काम-काज की बात कह कर झूठ क्यों बोलते है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह काम करने में ट्रेन्ड हों ताकि आगे जाकर वह ज्यादा जिम्मेदारी को सम्भाल सकें। यह हम चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस को तो अभी बहुत राज्य करना है इसलिए यह लोग ट्रेन्ड होंगे तो आगे ज्यादा जिम्मेदारी को सम्भाल सकेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस आर्डीनेन्स को सदन पारित करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माथुर साहब, तालियां बजाने में माहिर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर) आप क्या वोट ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सब्स-टटिव मोशन है मुझे रिप्लाई का राइट है । I have a right of reply इसीलिए मैं बोलूंगा । I have a right of reply अध्यक्ष महोदय...

श्री जयनारायण सालोदिया : सुखाड़िया जी के स्टैन्डर्ड से बोलिये, जैसे कि पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं । उनके स्टेन्डर्ड से ही बोलिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस स्टैन्डर्ड से में नहीं बोल सकता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम भी तालियां बजायेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : आपका आश्वासन है पहले से ही ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जैसे पब्लिक मीटिंग में भाषण हो रहा है ऐसे सुखाड़िया जी बोले ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने एक बहुत ही अहम मसले पर इतने हलके तरीके से अपने विचार रखे । अध्यक्ष जी...

एक माननीय सदस्य : आप ऊंचे विचार रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बाकी बातों की नहीं कह रहा हूं लेकिन एक जो अहम मसला मैंने श्री जसराज के बारे में उठाया था उसके बारे में केवल यह कह देना कि हमने उनको डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा था इसलिए वह आदमी अच्छा था या अच्छा हो गया और इस बात पर भरोसा करके उसको संसदीय सचिव बनाया है । अध्यक्ष महोदय, उनको शायद यह बात पता है या नहीं लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस समय श्री जसराज को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया था उस तारीख तक ही नहीं परन्तु उसके महीनों बाद तक यह जानकारी मुझे तो कम से कम नहीं थी । इनको मालूम हो गया हो वह दूसरी बात है...

श्री हरिदेव जोशी : क्या कहने हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : किसी को जानकारी नहीं थी ।

श्री विजयसिंह मकराना : उन्होंने सबको धोखा दिया है ।

श्री रोशनलाल : जब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए खड़ा किया था उस वक्त जानकारी नहीं थी ।

श्री रामकिशन : हो गई एक बात !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और जानकारी के अभाव में, जानकारी न होने पर ऐसा किया । तो एक भूल तो माफ हो सकती है लेकिन मैं सोचता हूं कि जानते हुए, और जानकारी में आने के बाद भी कोइ आदमी जानबूझ कर अनजान बनना चाहे तो इसका कोई इलाज नहीं हैं । अध्यक्ष

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय, यह तो कांग्रेस पार्टी का खोखलापन है कि इस प्रकार की जानकारी उन्होंने नही रखी क्योंकि इस प्रकार का एतराज उन्होंने रिर्टनिग ग्राफिसर के सामने नहीं रखा था। यह कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस संगठन का खोखलापन है कि यह पार्टी अपने खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के संबंध में ऐसा एतराज नहीं कर पाई...

श्री हरिदेव जोशी : एतराज हुआ था। एतराज हुआ था लेकिन रूल आउट हो गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खैर हुआ होगा। लेकिन इसका मतलब यह है...

श्री रोशनलाल : एतराज किया था लेकिन आपने उसका समर्थन नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानकारी में था, भले ही सुखाड़िया जी ने कहा कि यह बात उनकी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार जसराज...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कभी नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको जानकारी नहीं थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे जानकारी नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कह देने, कि में आपकी जानकारी में नहीं था, का मतलब यह नहीं है कि आपकी पार्टी को जानकारी नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी : पार्टी को जानकारी थी।

(४ म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्टी को थी, तब तो आप को भी रही होगी। तब तो आप यह नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं थी इसलिए नहीं किया।,

श्री हरिदेव जोशी : जसराज को जानकारी थी इसलिए आप की भी जानकारी में था। कोई लोजिक तो होना ही चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप को जानकारी नहीं थी ? मैं कह रहा हूं, सुखाड़िया जी को जानकारी नहीं थी, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन अब जानकारी हो गई है तो अब क्या कार्यवाही करेंगे ? कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई बदमाश है, उसके बारे में किसी स्टेज पर मालूम होजाये तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य : शरीफ बनेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज मालूम पड़ गया तो मैंने पहले जेसा निवेदन किया इस हाउस में कि सुखाड़िया जी से यह उम्मीद करना बेकार है कि सारे मामले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की जानकारी होने पर उसे आप बर्खास्त करेंगे, संसदीय सचिव के पद से उसको हटायेंगे, उसकी रोटी रोजी पर लात मारेंगे और इस प्रकार अपने हुक्म के गुलामों में कमी करेंगे। यह उम्मीद करना बेकार है। सुखाड़िया जी की नीति हमेशा से ऐसी ही रही है कि इनसे यह उम्मीद करना बेकार है। वह तो हमेशा यह करते हैं, उनकी नीति ऐसी है कि मन्त्रियों पर सदन में आरोप करते रहे, वह गोलियां खाते रहें और वह बोलते रहें, उनके बोलने पर तालियां बजती रहे। वह भाषण करते रहें। उनके भाषण अखबारों में छपते रहें। इस बारे में सुखाड़िया जी की नीति ऐसी रही है जैसे वह शंहशाह हों और आप लोगों पर हुक्म चलाते रहें कि हुक्म है शाह कलंदर का बैठा दूम हिलाया करे। वह शाह कलंदर की तरह हैं, उनके तो पट्ठे रहें किसी तरह से। यह सारा का सारा सवाल है। यह कांग्रेस के बाकी के सदस्य हैं, उनका विचार करने का सवाल है। यह जितने लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, इनको इस सारे मामले में ज्यादा सोचने का सवाल है। (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत के खड़े होने पर) आप बैठिए...

श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य ने हुक्म का गुलाम कह कर सदन के सदस्यों की तौहीन की है। इस बात के लिए मैं आप से निवेदन करूंगी कि वे सदन से इस बात के लिए क्षमा याचना करें...

श्री जयनारायण सालोदिया : हुक्म के गुलाम नहीं कहा।

श्री मदनसिंह दांता : आप को नहीं कहा। मन्त्रियों को कहा। उन्होंने इन बातों का बुरा नहीं माना।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसमें क्या अन्पार्लियामेंटरी है ? आप को क्यों दिक्कत है ? मन्त्रियों के लिए कहा है। उनको शिकायत नहीं। क्योंकि यह वास्तविकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आरम्भ रखें...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने आप से निवेदन किया है और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, यहां पर बाकी की सारी बातें जो उन्होंने रखी है बहुमत के बारे में कांग्रेस सरकार के बारे में। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गर्वपूर्ण कहना कि कांग्रेस का राज्य हमेशा रहेगा, उन्हे शोभा नहीं देता। हमेशा राज्य किसी का नहीं रहा।

श्री हरदेव जोशी : पांच साल के लिए कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमेशा राज्य न रावण का रहा, न सिकन्दर का रहा, न चगेंज खां का रहा। अगर सुखाड़िया जी रावण, सिकन्दर और चगेंज खां के माई-बाप हों और उनका राज्य हमेशा रहे तो बात दूसरी है। लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया उससे ऐसा लगता है कि रावण की भी ऐसी गर्वोक्ति नहीं रही होगी जैसी कि मोहनलाल सुखाड़िया की आज है और वह भी लोकतान्त्रिक समय में।

श्री हरिदेव जोशी : यह कह कर अपने दिल में तसल्ली कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना राज्य बना सकते हैं, अपना राज्य बना लिया है। हर-दल अपनी सरकार बनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई यह कहे कि किसी का राज्य रहा है तो वह हमारा रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी का भी राज्य हमेशा नहीं रहने वाला है; पांच साल के बाद जनता का राज्य रहने वाला है, आज भी राज्य जनता का है। असल में यह जनता की धरोहर है राज्य। इसलिए यह दम्भपूर्ण बात यहां कहना शोभा नहीं देता कि हमारा राज्य हमेशा ही रहेगा। आपने अपनी सरकार बनायी हैं, किन तौर तरीकों से बनायी हैं, यह राजस्थान की जनता जानती है। यह हिन्दुस्तान की जनता जानती है। किसी का राज्य नहीं रहा। आज कांग्रेस सरकारें भी जाती दिख रही है। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस सरकार जहां चुनाओं के बाद आयी वहां उसकी सरकार बनी रही है। वहां भी सरकारें जाती दिख रही है। इससे मालूम होता है कि देश में क्या हालत है। कई राज्यों से कांग्रेस की सरकारें गयीं। जहां विरोधी दलों की सरकार आयी, वहां की सरकार गयी। पंजब से कांग्रेस सरकार गयी। हरियाणा से कांग्रेस गयी। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सरकार गयी। बंगाल से गयी। बिहार से गयी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार गयी....

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान में रही। यह भी कहते जाइये साथ-साथ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में रही। मैं हिन्दुस्तान का नक्शा बता रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने कोशिश खूब कर ली, फिर भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। आपने कोशिश खूब कर ली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पिछले बीस सालों से हिन्दुस्तान में राज्य कर रही है तो उतनी ही अब राज्यों में गिर रही है। पिछले आम चुनाव, चौथे आम चुनाव के बाद एक साथ सब जगह में चली जाएगी, यह तो नहीं है लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस का जाने का सिलसिला प्रारम्भ हो गया है, कांग्रेस का लिक्वीडेशन अब हो रहा है, कांग्रेस लिक्वीडेशन हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने दलबदली की नीति का विरोध किया है। मैं अखबारों में उनके भाषण पढ़ता रहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दलबदली की नीति को बढ़ावा देने वाली, दलबदल की नीति को जन्म देने वाली हिन्दुस्तान में कोई पार्टी है तो १९५२ में कांग्रेस द्वारा राजस्थान में दलबदल की नीति के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनाई गयी। उसके बाद में १९६२ के अन्दर भी दलबदल की नीति के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनाई गई। उसके बाय में १९६७ के अन्दर भारी भर-कम दलबदल की नीति के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनाई है। सुखाड़िया साहब, आप दलबदल की नीति के जनक हैं, आप दलबदल की नीति के जन नेता हैं, आप दलबदल के आधार पर.. ..

श्री जयनारायण सालोदिया : दलबदल के साक्षात् रूप हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दलबदल की नीति कांग्रेस के द्वारा बनी है इसलिए हिन्दुस्तान के राजनैतिक क्षेत्र में दलबदल की नीति को बढ़ावा देकर आपने राजनैतिक विचार धारा को भ्रष्ट किया है, दलबदल की नीति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उससे वह कतई बच नहीं सकती....

श्री मथुरादास माथुर : कतई नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलबदल की नीति का सारे दलों ने विरोध किया है लेकिन यह-नीति कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है। यह सही है कि पूरे हिन्दुस्तान में कांग्रेस के पांव उखड़े हैं और राजस्थान में, जैसा आप का कहना है, पांव जमाये हैं और राजस्थान में दलबदल की नीति से लाभ उठाया है। लेकिन आपने जो यह शुरूआत की थी उसका नतीजा कांग्रेस संगठन को यह उठाना पड़ा है कि करीब तीन सौ नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है और १९६७ के बाद में दलबदल की नीति के आधार पर कांग्रेस को सौदे में घाटा रहा है, और लोकतन्त्र के लिए एक खतरा बन गया है। इसलिए अब कह रहे हैं कि दलबदल लोकतन्त्र के लिए एक खतरा है।

दलबदल आप १९५२ से करते आये हैं, उसके बाद में १९६७ में दलबदल आपने किया। जब कि १९५२ से आपने दलबदल किया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि (श्री जयकृष्ण शर्मा के खड़े होने पर) यह सही है कि जयकृष्ण जी, मैंने आपके भाषणों को सुना है और अखबारों में जो आप के भाषण छपे हैं उनको मैंने पढ़ा है, जिनमें आपने शोभाराम जी की बुराई की हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी कटिंग दे दूंगा.....

श्री हरिदेव जोशी : अब शोभाराम जी और जयकिशन जी की बात कहने लग गये। वैसे आज सतीशचन्द्र जी और दूसरे लोगों का भी यह हाल है। अब आप यह कह कर लाभ उठाने की कोशिश मत करिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस संकल्प के माध्यम से जो मुद्दे जिस तरीके से मैंने उठाये हैं, उसमें जो मामले उठाये हैं, उनमें से उदाहरण के लिए मैं एक के लिए कह रहा था कि आपने आर्डिनेन्स जारी किया १९६७ में और उसके नियम बनाये फरवरी, १९६८ में तो पांच महीने तक आपके नियम नहीं थे, तो नियम के अभाव में सरकारी मोटरें या सरकारी बंगले जो इनको दिये हैं वह कैसे दिये? इसका सुखाड़िया जी आपने जवाब नहीं दिया है। सरकार के मन्त्रियों के जिन लोगों ने मोटर में एक्सीडेंट किये, और जिसका केस रजिस्टर हुआ है, संसदीय सचिव के भाई ने मोटर का एक्सीडेंट किया, मंत्रियों की नयी मोटरों का जिन्होंने एक्सीडेण्ट किया उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया। इसका आप हाउस में जवाब दें। इसके अलावा सदन में जो अधिकारों से दुरुपयोग के मामले रखे गये, उनके बारे में आपका कोई जवाब नहीं है तो ऐसा लगता है कि सुखाड़िया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जी के मंत्रीमंडल में जितने सारे मंत्री हैं, यह भ्रष्डाचारियों की जमात है, सुखाड़िया जी उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। उनका बचाव कर रहे हैं। और जो भी मामले इस सदन में उठाये जाते हैं। उनका जवाब नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य और मामलों पर गम्भीरता से विचार करके जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, मिनिस्टर्स की सैलरीज़ के आर्डिनेंस के सम्बन्ध में और पालियमेंट्री सेक्रेटरी, और स्टेट मिनिस्टर्स का मैंने एक उदाहरण रखा है, और जो इन शब्दों के साथ मैंने संकल्प पेश किया है उसका सदन में माननीय सदस्य समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह सम्मति है कि संकल्प स्वीकार...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा भी संकल्प है।

श्री अध्यक्ष : आपका इसमें शामिल हो गया। अब इस पर बहुत हो गया।

श्री हरिदेव जोशी : और उधर से बोलने वाले नहीं हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : अभी सतीशचन्द्र जी ने...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : अपने भाषण में जो भ्रष्टाचारियों की जमात हम लोगों के लिए कहा, यह हमारी मानहानि है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन शब्दों को एक्सपंज किया जाये।

श्री रामकिशन : किसी ने नहीं सुना, आपने जरूर सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। मैं प्रोसीडिंग्स से देख लूंगा और दरअसल उसमें आया है...

कई माननीय सदस्य : आया है। उसमें आया है।

श्री अध्यक्ष : अगर आया है....

श्री रामकिशन : माननीय सदस्यों के लिए नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : अगर आया है तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्सपंज कर दें लेकिन बात तो सही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सुखाड़िया जी का भाषण मैंने बड़े प्रेम से सुना और प्रेम से सुनने के बाद मेरे हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्योंकि सदन के नेता होने के कारण उनको सदन के नेता के दृष्टिकोण से भाषण देना चाहिए था। लेकिन उनका वह दृष्टिकोण बदला हुआ था और वह एक दल के नेता के दृष्टिकोण से भाषण कर रहे थे। सदन के एक अनुभवी नेता होने के नाते हम उनसे अपेक्षा करके चलते

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

थे कि जो विचारधारा हम कानूनी मसलों को लेकर उनके सामने रखते हैं, उनको वह बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे....

श्री अध्यक्ष : प्रेम और श्रेय की बात बाहर कर लेना।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने गलती की उसके लिये तो आपने कह दिया हमारी जानकारी में यह बात नहीं थी अगर हम लोगों ने गलती की उसको बार बार दोहराया। प्रशासन में आपको इतना अनुभव है, क्या अपेक्षा करके चलें मोहनलाल सुखाड़िया जैसे अनुभवी से जो केवल अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये, अपने मन्त्री मण्डल को बनाये रखने के लिये गलतियों पर गलतियां करते जायं....

श्री अध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें, काफी कह दिया गया है, इस बारे में।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री विजयसिंह रावत और श्री कृष्णकुमार गोयल ने प्रस्तुत किया है कि :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २३ अक्टूबर, १९६७ को प्रख्यापित राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ (अध्यादेश संख्या ३ सन १९६७) को अस्वीकार करता है।

इसे अस्वीकार किया जाय :

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६८ पर विचार

श्री मोहनलाल सुखाड़िया प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप हैं क्या मोहनलाल सुखाड़िया, आपको नहीं बनने देंगे, जिन्दगी भर नहीं बनने देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर अब समय कम से कम लिया जाय, यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक, १९६८ को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो विवाद हुआ है, मैं उस विवाद के सारे पक्षों पर कोई विशेष बात नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि कहना उनके सामने चाहिये जो सुनने को तैयार हों, समझने को तैयार हों पर जो एक मन

(श्री रामकिशन)

बना कर बैठ गये हों, गलत करें या सही करें, हमारा निर्णय ही सही है, तो उनके सामने अपनी बात कहना अपनी वाणी का दुरुपयोग करना है।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये यह जगह आपके बैठने योग्य नहीं है।

श्री रामकिशन : पर जिनको सुनाना चाहिये, उनको सुनाना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

जो मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया, उसकी मुझे तो आशा ही थी। जो दल बदलू की प्रक्रिया चली है, वे ज्यादा बूढ़े नहीं हैं, उनकी याददाश्त कम नहीं हुई होगी कि यह प्रक्रिया कहां से चली। वे स्वयं कहते हैं कि दल बदलू पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं, अन्य दल तैयार हो जाय तो कांग्रेस भी तैयार है, हमारी तरफ से ६२ में कहा गया था इसके सम्बन्ध में लेकिन चौहान साहब यह कह कर मीटिंग में से चले गये कि हम इस पर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकते। पर अब कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा चल रहा है इसलिए अब इस बात पर जोर दे रहे हैं। अन्य दल तो फिर भी इसके लिए तैयार हैं। पर यह सारी दल बदलने की प्रक्रिया कहां से किससे शुरू हुई। अभी सतीशजी ने कहा कि सुखाड़िया जी ने इसे चालू किया, सुखाड़ियाजी को उन्होंने इसका जनक कहा पर मैं कहता हूँ कि सुखाड़ियाजी इसके जनक तो क्या चाचा भी नहीं, पुत्र भी नहीं, इसके सबसे बड़े जनक थे जवाहरलालजी, जो आस्थावान लोग थे उनको उन्होंने तोड़ा, पतित किया...

श्री अध्यक्ष : आर्डर...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, क्या आर्डर, किस बारे में आर्डर ?

श्री अध्यक्ष : जो दिवंगत हैं, उनके सम्बन्ध में न कहा जाय।

श्री रामकिशन : मैं जिन लोगों के बारे में कह रहा हूं, समझने की कोशिश करें। जनसंघ का कोई सदस्य कांग्रेस में जा सकता है, सोसलिस्ट पार्टी का सदस्य कांग्रेस में जा सकता है पर जिसने दल बदला, उसको प्लानिंग कमिशन का चेअरमैन बना दिया, और किसी बड़े पद पर बैठा दिया। अशोक मेहता को दल बदलने पर प्लानिंग कमिशन का अध्यक्ष बना दिया द। ।दव को तोड़ा ५२ में फिर केरल में पत्तम थानू पिल्लई को तोड़ा, फिर अकाली दल के श्री हुक्मसिंह को तोडा, फिर मौलीचन्द्र शर्मा पर हाथ डाला। सिद्धान्त के अनुसार तोड़ते तो कोई बात नहीं थी पर जब किसी को कुछ पद का लोभ देकर तोड़ा जाता है तो वह निन्दनीय है। यह राजस्थान की बीमारी नहीं, सारे हिन्दुस्तान की बीमारी है। तो उन्होंने जो सुझाव दिया है उसका स्वागत है, प्रेस वालों के समक्ष भी मुख्य मन्त्री ने कहा था, अखबार में दिया था कि दल बदलने का वे बुरा समझते हैं पर साथ ही उन्होंने कहा कि एक दल बदलू का प्रार्थनापत्र मेरी जेब में है। मुझे हंसी आई कि यह राज्य के मुख्य मन्त्री हैं या मसखरे हैं। वाणी से नैतिकता

(श्री रामकिशन)

और कर्तव्य से अनैतिकता और दम्भता का इससे बढकर और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता।

आपने सुझाव दिया है पर हमने ६३ में ही सुझाव दिया था कि जो दल बदलू हैं, उनको टिकिट नहीं मिलना चाहिये पर चौहान साहब उठ कर चले गये थे। अब जब घाटे का सौदा रहा तो दुबारा दोहरा रहे हैं कि लोकतन्त्र दल बदलाव के कारण संकट में आ गया है। आगे के लिए बात करने का कह रहे हैं पर आप यह दिमाग में रखें कि किसकी गलतियां प्रारम्भ हुई हैं। राजस्थान में लोगों को खरीदा गया, आपने कहा कि विरोधियों ने भी कोशिश की, पर मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जनतन्त्र में लोग इस प्रकार खरीदे जायं।

श्री हरिदेव जोशी : आप भी विरोधियों में हिस्सेदार थे।

श्री रामकिशन : हम नहीं थे, आपको जानकारी नहीं है तो बोला नहीं कीजिये। हम नहीं थे माथुर साहब को जानकारी है।

श्री हरिदेव जोशी : उनको जानकारी है, हम भी जानते हैं कि आप भी एक ही थैली में थे, उसी गढ़ में थे, उसी जगह थे।

श्री रामकिशन : आप समझने को तैयार नहीं हैं, समझेंगे भी नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दल बदल की समस्या पर जिस तरह से भी विचार करें, हम तैयार हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त सरकारें चली नहीं हैं, युद्ध के समय के सिवा।....

श्री अध्यक्ष : अब विधेयक पर आ जाइये।

श्री रामकिशन : मुख्य मन्त्रीजी ने शुरूआत कर दी वहां से।

श्री खेतसिंह : मुझे आप इतना सा बता दो पण्डितजी कि जो हमारी तरफ से उठकर आपकीतरफ जाते हैं, वे तो हाउस में ही नहीं आते हैं और आपस में जो हमारी तरफ आते हैं वे बराबर हाउस में आते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशन : वह बेचारे शर्मदार हैं, इसलिए मुंह छुपाते हैं, इतना पाप करने के बाद सदन में नहीं आते।

माननीय अध्यक्षजी, मुझे और बातें कहनी हैं।

सतीशजी ने मुद्दा उठाया कि मन्त्री मन्डल छोटा बने, उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश मंडल की परम्पराओं का उल्लेख किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ब्रिटिश मंडल की परम्पराओं की और इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, हमारे प्रशासन सुधार आयोग के प्रधान श्री मुरारजी देसाई थे, उन्होंने कहा कि मन्त्री मन्डल छोटे हों, मन्त्री मंडल में यात्रियों की संख्या ८ या १० से ज्यादा नहीं हो, ब्रिटिश मंडल की परम्पराओं की बात हम

(श्री रामकिशन)

क्यों करें, हमारे प्रशासन सुधार के आयोग के प्रधान हैं, उन्होंने यह सुझाव दिया है। आज आपने अपने कर्त्तव्यों से हर एक विधायक को मन्त्री पद का लोभी बना दिया है आप हर सदस्य को सम्भालें कि यह तो कोई लाभ का पद नहीं, यह तो कांटों का ताज है, जिसमें लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। पर आपने तो मन्त्री पद का लोभ हर एक के दिल में पैदा कर दिया। आज मन्त्रियों को वेतन दिया जाता है, इतने मन्त्री बढ़ा दिये और सभी समझते हैं कि हम मन्त्री हो गये पर वास्तव में राजस्थान में ५ या ६ ही मन्त्री हैं, बाकी नाम मात्र के मन्त्री हैं, कार पर झन्डा दे दिया और उन्होंने समझ लिया कि हम मन्त्री हो गये। बी० एन० जोशी समझते हैं कि में मन्त्री हो गया पर उनको माथुर साहब के साथ लगा दिया, माथुर साहब आपको रद्दी की टोकरी में डालने लायक कागजों के टुकड़े भेज देते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। भीमसेनजी को जोशीजी के साथ लगा दिया, नौजवान हैं और कह दिया कि आगे के लिए तुम्हारे लिये रास्ता खुल सकता है। हालांकि वे पुराने आदमी हैं। मैं तो कहता हूं कि आज राजस्थान में न ४० का राज है, न ३५ का राज्य है और न ३० का राज्य है, सीर्फ ५ या ६ लोगों के हाथ में राज्य है, जो सवर्ण हैं, ऊंची जाती के हैं, दरिद्र और दलितों को दबाने के लिए उनको बनाया गया है। मुख्यमंत्री भी अभी कह रहे थे कि हमने हरिजनों को उटाया है, हरिजन भी लिया है और एक आदिवासी भी लिया है लेकिन उनको दिया क्या है ? एक को म्यूनिस्पैलिटी और दूसरे को आयुर्वेद। जो पुलिस है, वित्त है, उद्योग है वह तो रहेंगे सवर्णों के पास। और महिला को क्या दिया ? फैमिली प्लानिंग। महिला को फैमिली प्लानिंग इसलिए दिया कि वह स्त्रियों को तकलीफों को ज्कादा समझती हैं लेकिन जो दलित हैं उनको अधिकार देने चाहिये। हरिजनों की बात हम तभी समझते जब समाज कल्याण मुख्यमंत्री लेते और सुमित्राजी गृहमंत्री और भीखाभाई मुख्यमंत्री बनते तब तो समझते कि दलितों को उठाना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने बिहार में मुख्यमंत्री योग्य बनने था कारापुरी ठाकुर क्योंकि वह नाई था दलित था। दूसरे नम्बर पर था रामानंद तिवाड़ी। राजस्थान में १० मंत्रीमंडल बने लेकिन गृह या वित्त तो मथुरादास जी के पास ही रहेगा.......

श्री मथुरादास माथुर : कायस्थ शूद्र होते हैं, मैं शूद्र हूँ।

श्री रामकिशन : कायस्थ शूद्र नहीं होते। अगर मुख्यमंत्री श्री परसराम मदेरना कोया शोभाराम को बनाते तो मैं समझता। लेकिन यहां तो षड़यंत्र है। आप हरिजनों और महिला सदस्यों की स्थिति पर विचार करें।

जहां तक वेतन और भत्ते का सवाल है, मैं उसका विरोधी नहीं। जो राज्य सेवा में है उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए लेकिन आपने इसका उपयोग क्या किया ? इनके पास क्या काम है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरे जिले का एक नौजवान आधा मंत्री आपने बनाया। उनका मुझसे मिलना जुलना होता है। मैं धौलपुर गया था, लोगों ने शिकायत की कि चोरियां होती हैं, डाके डाले जाते हैं। मैंने कहा कि कहां तुम्हारा मंत्री

(श्री रामकिशन)

है,तो उन्होंने कहा कि वह कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी क्या चलती है। तो अगर आपको इन लोगों को कुछ बनाना है तो थोड़ो बहुत तो इनकी चलने दो। ठेका दे दिया है कि अलवर और भरतपुर में जो ट्रांसफर होंगे वह जयकिशन और मजिलिस खां के मारफत होंगे। तो इनके भविष्य को मत बिगाड़ो। नतीजा क्या होता है कि आप तो वदनाम होगे लेकिन इन नौजवानों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो, इनकी योग्यता को निखरने दो, इनको भलाई को उभरने दो। आपने जो ३०–४० मंत्री उपमंत्री बनाए, बुरा किया, लेकिन थोड़ा बहुत अधिकार तो इनको दो और इनको बराबरी के स्तर पर आने दो।

ये मंत्री कई तो राजनैतिक आधार पर बने और कुछ योग्यता के आधार पर। राजनीति का सिद्धांत था जो गांधीजी कहते थे, मैं गांधीजी का नामन हीं लूंगा क्योंकि आपको तो उनसे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन मंत्रियों के सारे सिद्धांत हैं, राजनैतिक हैसियत क्या है, इसमें डिस्पयूट नहीं है कि आपने इस प्रकार के बनाए हैं। मुझे एक बात याद आ गई, एक राज्य मंत्री बने, मेरे पुराने मित्र हैं मेरी पार्टी में रहे हैं. वह इसलिए नहीं बना कि वे योग्य थे, वह इसलिए बना कि एक आदमी का चरित्र भ्रष्ट कर दिया, उन्होंने एक आदमी को राजगढ़ से तोड़ लिया तो आपने उसको पारितोषिक दिया। वह मेरी पार्टी में रहा है, मेरी उनसे सहानुभूति है, मैं उसका उत्थान देखना चाहता हूं पतन नहीं लेकिन एक बात का खयाल आता है कि आखिर इस झंझट से राजस्थान निकलेगा या नहीं।

आपने इसमें मंत्रियों की चिकित्सा के लिए विदेश यात्राओं के लिए लिखा है। मंत्री विदेश में जाएं मुझे कोई विरोध नहीं लेकिन यदि मंत्री यदि विदेशों में इलाज कराने जायेंगे तो भारत के अस्पताल कभी दुरुस्त नहीं होंगे। गांधीजी कहते थे कि मेहतर और राष्ट्रपति के लड़के एक ही स्कूल में पढ़ेंगे क्योंकि राष्ट्रपति का लड़का स्कूल में जायगा तो स्कूल की हालत सुधरेगी। मैं सिद्धांत की दृष्टि से एक बात कहता हूं कि मंत्री और राष्ट्र के जो प्रमुख लोग हैं वे चिकित्सा के लिए विदेशों में न जायें। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं डाक्टर लोहिया की मृत्यु की कि कैसे हुई। वह जर्मनी जाने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं यदि यूरोप जाऊंगा तो साधारण लोगों पर क्या असर पड़ेगा ? आपने इसमें विदेश जाने की सुविधा ली है लेकिन भारत के अस्हताल तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक मंत्री मोत ओर जीवन को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। आपको कहना चाहिये कि हमारा इलाज तो यहीं होगा। वैसे आप में तो कई ईश्वरवादी, आदर्शवादी, गीतावादी हैं, एक तो भौतिकवादी हैं। आप क्यों डरते हैं, जीवन मरण का क्रम चलता ही रहता लेकिन देश में बुरी परम्परा स्थापित मत करो।

मंत्रियों के बारे में सतीशजी ने कहा कि एक ने कार का दुरुपयोग किया है, मैं व्यक्तिगत मामलों में कम से कम जाता हूं। परसों मैं धोलपुर गया, एक उपमंत्री हैं ट्रांसपोर्ट के नए और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वे ग्वालियर में नुमाईश देखने गये सरकारी गाड़ी जल गई। मैं ग्वालियर के आसपास गया तो लोगों ने कहा कि आपके एक दो मंत्री आए थे, उनकी गाड़ी जल गई। उप-

(श्री रामकिशन)

मंत्री ने कहा कि मुझे तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ले गए। मैं द्वेष की भावना से नहीं कहता, अगर आप इसको द्वेष समझते हैं तो इसका इलाज नहीं। मैं जिला परिषद का प्रमुख हूं। जब ये लोग अपनी पुरानी बीबी को सरकारी गाड़ी में ग्वालियर दिखाने गये तो मेरी तो अधेड़ पत्नी है उसको तो मैं मोरेना तक ले जा सकता हूं। तो आखिर आपके तरीके क्या हैं।

मुख्यमंत्री ने करप्शन का जवाब नहीं दिया, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की बात आई तो जोशी जी ने कह दिया कि जवाब देने की जरूरत नहीं है। करप्शन की सीमा नहीं है, फिसलने की सीमा नहीं। एक ग्वालियर गया, दूसरा केरल जायगा तीसरा कहीं और जायगा। आपकी कारें सिनेमाओं के बाहर खड़ी रहती हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप दौरे आए दिन करते रहते हैं क्या उपयोग है? मेरे जिले में कोई मंत्री नहीं कोई उपमंत्री। एक दो जने हर दिन भरतपुर में पहुंचते हैं, कलक्टर से पूछा कि आफिस मे क्यो नहीं बैठते तो कहते हैं कि मंत्रीजी जाते हैं। आप लोग कलेक्टर का जुलूस बनाकर क्यों घूमते रहते हो। नुकसान क्या होता है। एक दिन में दो दो हजार आदमियों की तारीखें भरती हैं। सरकारी मशीनरी को साथ लेकर क्यों घूमते हो? इससे लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम होती है। एक दिन एक मंत्री पहुंच गया। कलक्टर, एस०डी०ओ० सब गायब। इमरजेन्सी में जिला परिषद का आवश्यक काम पड़ गया मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में। दूसरे दिन जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि मंत्री आ गया था। सुखाड़िया जी कह रहे थे कि काम बढ़ गया है इसलिए ४० मंत्री रखे हैं, काम दिया है, कहने की आदत पड़ गई है। दो दो फाइलें इनको भेजते हैं। मैंने अपने जिले के एक मंत्री को फोन किया रात को, उन्होंने कहा काम क्या है, ८ बजे सो जाते हैं। इनको वेतन कितना दिया जाता है। भले इनको २-२ हजार का वेतन दें लेकिन प्रशासन का सुधार हो, आपकी नीतियों में सुधार हो। दो चार समझदार नौजवान भी हैं लेकिन उनकी चलती क्या है? यहां तो तीन चार मुखिया हैं और पांचवां पंडाई है वे तय करते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सचमुच मंत्री मण्डल शिवजी की बरात जैसा लगता है। विचार के हिसाब से एक मंत्री कहता है स्टेट ट्रेडिंग कर दिया जाय दूसरा कहता है नहीं किया जाय। एक मंत्री कहते हैं सीलिंग कर रहे हैं, दूसरे कहते हैं नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की जनता रोती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। शिवजी जब बरात लेकर आये तो सबसे पहले यह होता है कि लड़की के मां-बाप रोते हैं किन्तु इसमें मैनका ने रोना शुरू कर दिया, दुल्हा को देखकर नहीं बल्कि बरातियों को देखकर उसने बरातियों का वर्णन किया है। जब हिमराज की पत्नी रो सकती है, धीरज खो सकती है तो हम तो बिल्कुल धीरज खोये हुये हैं। हमें तो रोना आता है। मैं विनम्रता पूर्वक समझता हूं लेकिन ये समझते ही नहीं है। राजस्थान के आर्थिक स्रोतों को ये लोग नहीं समझते हैं। एक मन्त्री पर डाईरेक्ट और इन-डाईरैक्ट १४ हजार का खर्चा आता है, दूसरे कहते हैं तीन हजार का आता है लेकिन मैं समझता

(श्री रामकिशन)

हूं कि इन पर साल भर में तीन-साढ़े तीन लाख का खर्चा आता है। एक करोड़ रुपया अगर ये राजस्थान नहर में लगा देते तो राजस्थान नहर का काम बहुत कुछ पूरा हो जाता और इससे बहुत सी जमीन की सिंचाई हो जाती। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। सदन के जो समझदार, विवेकशील और आत्मीय वाले सदस्य हैं वे भी इसको स्वीकार करेंगे। सुखाड़िया साहब कह गये कि मेरा तो राज्य कायम रहेगा। मैं कहता हूं कि जब बड़े बड़े राजाओं का राज नहीं रहा। कंस, रावण, फ्रेन्कों, हिटलर, स्टालिन, जार आदि की वाणी तो हम सुन चुके हैं। रावण ने भी अन्त में कह दिया था कि मेघनाथ मारा गया। ये ७ मेघनाथ तो हिन्दुस्तान में भी मारे गये मैं कहता हूं कांग्रेस की आज दिल्ली नहीं है। यू०पी०, बिहार, केरल, बंगाल-ये सब मेघनाथ मारे गये तो जब सारे मेघनाथ मारे गये तो रावण ने कहा मेरा अन्त निकट आ रहा है। अब मुझे भी मौत घेर रही है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है सुखाड़िया साहब ४० के बजाय ४५ की संख्या बना ले लेकिन इतिहास का अध्ययन करें, नये ढंग से इतिहास लिखा जा रहा है। आप तो कहते हैं कि कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन समय अपने आप बतायेगा आप आज केवल दंभ भर रहे हैं अभी माननीय सतीशचन्द्र जी ने श्री जसराज को हटाने के बारे में कहा, मैं कहता हूं कि इसमें ज्यादा लोग खिलाफ है, उनके प्रति गंभीर आरोप है। माननीय मुख्य मन्त्री जो कह देना चाहिये कि कोई बात नहीं ७००-७५० रुपये मैं दे दूंगा लेकिन पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के पद से हट जाना चाहिये। सुखाड़ियाजी इतना जरूर जानते हैं कि ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य गैर कांग्रेसी सरकारें तो क्या कांग्रेसी सरकार भी नहीं कर सकती हैं। वे आज इतनी बड़ी हिम्मत के साथ कह गये क्योंकि आप तो उनका समर्थन करेंगे ही, आपका धर्म भी है।

श्री हरिदेव जोशी : आप भी तो प्रमुख बने हुये हैं........

श्री रामकिशन : मैं नहीं बना हूं। मुझे तो कांग्रेस की फूट ने बनाया है। आप कर लें हरिजनों को तैयार, मेरे दल में तो कोई हरिजन है ही नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : आपका दल तो ऐसा ही है जिसमें हरिजनों को कोई स्थान नहीं है। आपको तो कहने का अधिकार भी नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मुद्दे उठाये हैं। एक तो कार के एक्सीडेन्ट का। आप सदन में कहेंगे कि राज्य सरकार की कारें तफरी के लिये न ली जाय। मंत्रियों और उप मंत्रियों व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों से जनता इस प्रकार की आशा नहीं करती है। मैं तो आज यह कहूँगा कि इस बिल को आज पेश नहीं किया जाय और इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित

(श्रीगिरधारी लाल)

किया जाय । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह दो स्टेजेजे से नहीं हो सकता है। थर्ड रीडिंग बाकी है। आज नहीं हो सकता है। कल कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसको विचारार्थ समाप्त कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो सदन को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि कल मेरा जो आर० ए० सी० का प्रस्ताव है उसको पेश नहीं करूंगा। छोटे छोटे से बिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : छोटे छोटे बिल हैं। विरोधी दल की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विरोधी पक्ष का तो मिलेगा ही।

श्री अध्यक्ष : शुरू रखिये श्री गिरधारी लाल जी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें खासतौर से दो मुद्दे बड़े विचारणीय हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि मिनिस्टर्स खतम हो जाने के बाद भी.....

श्री अध्यक्ष : खतम कहां हो जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ये कर्कश भाषा में बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो तथ्य की बात है उसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि ७ महीने के बजाय दो दिन में इसको पास कर देना उचित नहीं है। अपने यहां पर इस प्रकार की प्रेक्टिस है कि जो उप मन्त्री है, मन्त्री हैं या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं या विधान सभा के सदस्य हैं जो भी चुनाव जीतकर आता है, उसको उस स्थान पर रखा जाता है। पहले वह विधान सभा का सदस्य चुना जाता है फिर वह मन्त्री, उप मन्त्री, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी पोस्ट वह हैल्ड करता है उस प्रकार की फैसीलिटि अवैल कर सकता है। विधान सभा के सदस्य और लोक सभा के सदस्य जो जनमत द्वारा चुनकर आते हैं, अगर वे जनता के द्वारा ठुकराये जाते हैं तो उस प्रकार की फैसीलिटि को अवेल नहीं करना चाहिये। लोकतन्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है। जो जनमत से ठुकरा दिया जाय उसको वहां नहीं बैठना चाहिये और वह फिर फैसीलिटि अवेल करें, यह बिल्कुल उचित नहीं है। अगर इस सम्बन्ध में जनता की राय ले ली जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

टी० ए०, डी० ए० और मेडीकल ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में एक क्लाज रखा है, उसमें इस प्रकार प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी मंत्री, उप मन्त्री बीमार हो जाय तो वह फौरेन कन्ट्रीज में जाकर इलाज करवा सकता है। मैं यह तो नहीं कहता कि हिन्दुस्तान में इलाज नहीं हो सकता है और फौरेन कन्ट्रीज में गये बिना उसकी उचित व्यवस्था नहीं हो सकती, यह भी नहीं मानता लेकिन उसको ऐसी फैसीलिटि दी जाय, यह उचित नहीं है। हमने देखा है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

राजस्थान में एक दो ऐसी घटनायें हुई है। एक आई.ए.एस. के अधिकारी के सम्बन्ध में हुई है जिनके एक छोटी सी बिमारी हो गई और वे फारेन कन्ट्री में गये। साथ में अपने बीबी और बच्चों को भी ले गये। उन्होंने पूरा टी० ए० व डी० ए० का पैसा लिया यह कत्तई उचित नहीं है । क्या हमारे हिन्दुस्तान में मेडीकल फैसीलिटि की पूरी व्यवस्था नहीं है ? इसको भी मैं नहीं मान सकता हूं। जो इंगलैंड व दूसरे देशों में जाकर अपना इलाज करवाये। मैं समझता हूं आफिसर्स के लिये यह कतई उचित नहीं है। इससे राज्य की जनता पर ज्यादा से ज्यादा वजन पड़ेगा। जिस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं, उसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को समान फैसीलिटी मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार की मेडिकल फैसीलिटीज से जिसमें मत्री लोग बाहर जाकर इलाज करायेंगे तो हमारे दवाखाने इस प्रकार के हो जायेंगे कि जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। चाहिये तो यह कि आज जिस प्रकार की सुविधायें मंत्रियों, राज्य सरकार के अधिकारियों को मिलती है उसी प्रकार की सुविधायें आम जनता को भी मिले। इन लोगों का इलाज यदि यहीं के दवाखानों में होगा तो उन दवाखानों की हालत भी सुधरेगी और उसका लाभ आम जनता को भी मिल सकेगा, यहां के दवाखानों में सुधार हो सकेगा. इस प्रकार का प्रावधान कि वे बाहर विदेश में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं मेरे ख्याल से यह उचित प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में जनता से जानकारी ले ली जाय तो ज्यादा उचित होगा।

तीसरी जो खास बात है वह यह कही गई है दल बदलुओं के बारे में। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसकी बहुत जोरों से चर्चा हुई हमारे पंडित रामकिशन जी की तरफ से। मैं उन पंडितजी से पूछना चाहता हूँ दल बदलुओं का जो प्रदर्शन हुआ उसमें आपने प्रोत्साहन दिया उन लोगों को जिनका आपके साथ सिद्धान्तों का किसी प्रकार भी मेल नहीं खाता। हमने तो आपसे कहा था कि आप समाजवाद में विश्वास रखते हैं आप राजा रानियों की गोद में क्यों बैठकर गलती करते हो...

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप कितने राजा रानियों को लेकर बैठे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है लेकिन जो आपने रास्ता अख्तियार किया था वह आपके अनुकूल नहीं था....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमने किसी भी दल बदलू को प्रोत्साहन नहीं दिया विरोधी पार्टी के नेता ने दिया है....

श्री विजयसिंह (मकराना) : सुखाड़िया की पार्टी में कितने राजा नवाब हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक कांग्रेस सदस्य थे जिनको प्रलोभन देकर दल बदलुओं की शुरूआत की यह बड़े शर्म की बात है। जबकि हम कहते हैं दल बदलुओं की परम्परा समाप्त होनी चाहिये। इस देश में राजनैतिक स्थिरता लाने के लिये यह अहम प्रश्न है दल बदलुओं के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। इस चीज को समाप्त किया जाना चाहिये। शुरूआत करते यह हैं और जब इनको नुक्सान होता है तो तरह तरह की बातें करते हैं। आज जिस प्रकार की सारे देश की स्थिति है आप देख रहे हैं जगह जगह जो भानुमति के कुनबे थे वे ढह गये। एक साथ आपने देखा पांच सात प्रान्तों में संविद का शासन था वह खत्म हो गया। आप देखते हैं कि आज संविद की क्या स्थिति है। बंगाल की उनके शासन काल में क्या स्थिति हो गई, यू. पी. बिहार में क्या स्थिति हो गई। अब जो एक दो राज्यों में यह कायम है उनको भी आप देखेंगे उनकी क्या स्थिति होने वाली है वह भी आपके सामने आने वाली है। आज कम्युनिस्ट और सामन्तवादी जिनके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं एक साथ कार्य नहीं कर सकते। दूसरा जनसंघ और स्वतंत्रपार्टी है हरेक पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, उनसे शासन का काम ठीक से नहीं हो सकता। न इनमें आपस में समन्वय है उनसे हम क्या आशा करें कि वे देश को स्थायी शासन दे सकेंगी इसमें बड़ा अन्देशा है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भानमति का कुनबा है यह कभी स्थायी शासन नहीं दे सकता इसने देश की राजनीति को बरबाद किया है। इससे देश को खतरा पैदा हुआ। वेस्ट बंगाल को देखिये वहां पर किस प्रकार कम्युनिस्टों ने अपने शासन का दुरूपयोग किया और अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। मध्यप्रदेश और यू०पी० में किस प्रकार जनसंघ ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट तौर से मालूम हो जायगा कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं पार्टियां हैं वे कभी राज्य में स्थायी शासन नहीं दे सकतीं। जनता सुख-सुविधायें नहीं दे सकती, जनता जो गुमराह करने का जरूर प्रयास करती है उनसे जनता की भलाई का काम नहीं हो सकता।

हमारे राजस्थान में भी किस प्रकार लोगों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया यहां पर बिड़ला जैसी करोड़पति पार्टियां आकर बैठ गईं....

एक माननीय सदस्य : साहू जैन भी थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लाखों रुपया इधर उधर होने लगा। हमारे कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने के लिये लाखों रुपयों का प्रलोभन दिया गया यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सदस्य इतने मजबूत थे कि उनको किसी प्रकार भी सफलता नहीं मिली। एक कांग्रेसी सदस्य जो प्रलोभन में फंस गया जिनका उस पार्टी से कोई लगाव नहीं था वह चला गया और किसी को भी अपनी तरफ मिलाने में वे सफल नहीं हो सके यह कांग्रेस के लिये प्रशंसनीय बात है। कांग्रेस सदस्यों को प्रलोभन नहीं डिगा सका यह कांग्रेस संस्था की महानता है।

श्री विजयसिंह रावत : पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर सर....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस देश में कांग्रेस संस्था ही है जो देश को स्थायी शासन दे सकती है...

श्री विजयसिंह रावत : पोइन्ट ऑफ ग्रार्डर, व्यवस्था का सवाल है....

(जोर जोर से श्री रावत व्यवस्था का सवाल उठाते रहे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ही है जो देश को स्वस्थ प्रशासन दे सकती है....

(ग्रश्रव्य)

श्री विजयसिंह रावत : व्यवस्था का सवाल है मेरा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ग्रध्यक्ष महोदय, जिस ग्रध्यादेश के लिये जनमत जानने हेतु मेरा प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में निवेदन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य यह कहते हैं कांग्रेस में जो सदस्य आये हैं वे प्रलोभन लेकर ग्राये हैं उनकी इस बात को मैं खंडन करता हूं। प्रलोभन तो विरोधी दल द्वारा दिये गये लेकिन कांग्रेस के लोगों के पास जो चरित्र है वैसा दूसरे दल के पास नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा व्यवस्था का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आपका क्या व्यवस्था का सवाल है।

श्री विजयसिंह रावत : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये जो इजाजत दी गई है वह केवल जनमत जानने हेतु उनका प्रस्ताव है उसी के बारे में उनको बोलने की ग्राज्ञा मिली। इसके सम्बन्ध में न बोलकर माननीय सदस्य कहते कि विरोधी दल द्वारा प्रलोभन दिये गये मैं इसका जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं। हमारे दल के लोगों का जिस प्रकार का चरित्र रहा है वैसा कांग्रेस दल में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, आर्डर। माननीय सदस्य जितनी भी बार पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर उठाते हैं उनका कोई ग्राधार नहीं होता, इसलिये मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ग्रापके इस तरह से पोइन्ट ग्रॉफ आर्डर उठाने से कहीं मेरी यह मान्यता न बन जाय कि ग्रापके द्वारा उठाये गये व्यवस्था के सवाल में कोई तथ्य नहीं होता। ग्राप मेरी मान्यता इस प्रकार की नहीं बनने देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये माननीय सदस्य तो ऐसे ही हैं इनकी तो यों ही प्रश्न खड़ा कर देने की आदत है।

श्री विजयसिंह रावत : मेरी और भी आदत है वह भी ध्यान में रहे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा था कि भानमति के कुनबे ने ही दल बदलुओं को प्रोत्साहन दिया है उन्होंने ही चारों तरफ विग्रह फैलाया है। मैं तो यह चाहता हूँ कि यह पार्टी लेवल पर जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कहा इस बारे में रोक होनी चाहिये। जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उनको टिकट कोई दूसरी पार्टी भी नहीं दे। हमारी पार्टी ने जो भी संख्या ९१.९२ जीताकर लाये हैं वे मजबूती के साथ यहां पर आये। लेकिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको दूसरी पार्टी टिकट दे देती है और वे लोग कांग्रेस वर्कर के नाते उस क्षेत्र में काम करने के कारण जीतकर चले आते हैं, क्योंकि जनता को पता है कि इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के लिये कितना काम किया वह जीतकर आ जाता है तो वह कांग्रेसी है। अपोजीशन के लोग ऐसे व्यक्तियों को फुसलाकर अपनी पार्टी का टिकट दे देते हैं और इस तरह से उस व्यक्ति द्वारा किये हुए कार्य का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के लोगों को लेकर जो पार्टी आती है उसमें उस पार्टी का सिद्धान्त नहीं बल्कि उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में की गई सेवा का फल है। अध्यक्ष द्वारा लाल बत्ती बता दी गई है इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि इस बिल पर जनमत जानने के लिये इसको प्रसारित किया जाय।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मन्त्री वेतन संशोधन के ऊपर मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। मेरा जनमत का सुझाव इसलिये है कि मन्त्रि-मण्डल के बहुत से सदस्य मन्त्रि मण्डल बनने से पहले जयपुर की जनता के सामने एक एक आकर खड़े होकर इस बात का वादा कर गये थे कि वे कांग्रेस के विरोध में विरोधी सरकार बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार जयपुर की चौपड़ पर खड़े होकर शपथ खाई थी उनमें से करीब १७ या २१ उधर बैठे हैं और बहुत से लोग मन्त्रि मंडल में भी शामिल किये गये हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है उन लोगों से कि वे भी इस बात को पसन्द करें कि यह बिल भी जनता का मत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने भी यह स्वीकार किया है कि वे स्वयं भी दल बदलू आदमियों को ठीक नहीं समझते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके ये विचार हैं तो ऐसे दल बदलू लोगों को मन्त्रि मंडल में लेकर क्या आपने इस दल बदल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय, दल बदल समस्या हिन्दुस्तान में बहुत सी दूसरी स्टेटों में भी हुई है। राजस्थान एक्सेप्शन नहीं है। पर एक बात में एक्सेप्शन है। मध्यप्रदेश, बंगाल या दूसरी स्टेटों में ग्रुप्स के ग्रुप्स किसी नीति से राज करने वाली पार्टी से नाराज होकर बदले हैं। जब कि राजस्थान में सब व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर गये हैं किसी पालिसी पर नाराज होकर नहीं निकले।

यहां तो इन्डिविजुअल होर्स ट्रेडिंग हुआ है। जनता की यह भी धारणा है कि एक एक आदमी का बारगेन हुआ है। जिन्होंने जनता के बीच खड़े होकर शपथ खाई थी वे भी बाद में प्रलोभनों में आकर दल बदल गये हैं। इसलिये यहां की परि-

(श्री जुझारसिंह)

स्थितियां औरों से भिन्न हैं। एक आदमी आज गया तो एक कल गया इस तरह से राजस्थान में गये हैं। ग्रुप्स में नहीं गये। इसके पीछे एक बहुत बुरी परम्परा डाल दी गई है और इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए इसको जनता के सामने भेजा जाना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, आज लोग बागों में एक आशंका घर कर गई है कि यह लोकतन्त्र कैसे चलेगा, इसके पीछे एक भावना लोगों को यह भी काम कर रही है कि जैसे आदमी मन्त्रि मंडल में आज जा रहे हैं उनमें कोई कैपेबिलिटी, योग्यता, शिक्षण आदि नहीं है। यह नहीं है तो न सही। पर दूसरी तरह की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। इन सब योग्यताओं को एक्सक्लूड किया जा सकता है जनतन्त्र में। पर जो जनता के प्रतिनिधि बनकर मन्त्रि मण्डल में जाते हैं उनमें कम से कम एक क्वालिफिकेशन तो होनी लाजिमी है। उनकी इन्टेग्रिटी ईमानदारी के बारे में लोगों को शक न हो। पर आज जिस प्रकार का इलीमेन्ट मन्त्रि मंडल में है उनकी इन्टेग्रिटी और कैरेक्टर है वह भी डाउटफुल है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सदन में तीन बातों की इजाजत के लिये पेश किया है। एक तो मिनिस्टर आफ स्टेट, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की तनख्वाह के बारे में। दूसरा, जो मन्त्री हैं उनके मन्त्रि मण्डल से हटने के बाद दो महीने बाद तक मकान और दूसरी रियायतें जारी रखने के बारे में।

यह जनता के धन का दुरुपयोग है। आज देश की यह हालत है कि हमारे पास टेक्निकल इन्जीनियरों को खपाने और काम देने के लिये पैसे की कमी है। जिन्होंने पढ़ाई में बड़ी मेहनत की उनको एम्पलोयमेंट नहीं है हिन्दुस्तान में और राजस्थान में २६ हजार इन्जीनियर अनएम्प्लोयड हैं। पोलिटेक्निक और दूसरे इन्जीनियर के विद्यार्थियों को जगह नहीं है फिर एक बात और है आर्थिक कठिनाई के कारण अभी पिछले साल राजस्थान सरकार ने अपने ६ हजार कर्मचारियों को ५५ साल के लिये रिटायर एज मुकर्रर करके रिटायर कर दिया। उनकी भी पेन्शनें अभी तै नहीं हो पाई हैं न उनको दूसरी सहूलियतें दी हैं। ऐसी स्थिति में जनता यह जानना चाहती है कि जब राजस्थान में एक तरफ तो आपकी फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी है, टेक्निकल लोगों को आप स्थान दे नहीं पा रहे हैं, अपने आदमियों को आपने ५५ साल में रिटायर कर दिया है और जो आदमी आपके ग्रुप में शामिल हुए हैं उन्होंने जनता के साथ किये वादे को तोड़ा है, उनकी इन्टेग्रिटी और ईमानदारी में शक है तो सिर्फ इस आधार पर कि आपकी डूबती हुई सत्ता की नाव को उन लोगों ने जनता के साथ धोखा देकर बचाया है इसके लिये हरेक के लिये पांच पांच और छः-छः हजार रुपया महीना खर्च करने की आपको अनुमति दी जाय यह सरासर अन्याय होगा।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनता का जनमन जानने के लिये भेजा जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में अपने क्षेत्र से आने वाले दो मन्त्रियों के बारे में भी निवेदन करूंगा कि वहां पर

(श्री जुझारसिंह)

किस तरह से इस सरकारी धन का दुरुपयोग होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी जनमत जानने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उस पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम यह जनमत जानने का जो प्रश्न है वह तो आज समाप्त कर दिया जावे।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है या नहीं। पर समय तो आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट कल पर रख लें। कल और तो बहुत छोटे छोटे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी इतने हैं। रामानन्दजी अग्रवाल, प्रोफेसर केदार, जयनारायणजी सालोदिया, मनोहरसिंहजी, सहदेवजी, नाथूलाल करौल, केशरीसिंहजी इनमें से कोई ऐसे नहीं है जो अपना दावा छोड़ दे बोलने का।

और एक एक सदस्य बहुत प्रयास के बाद भी १५ मिनिट से कम लेने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आपका सहयोग चाहता हूं या तो इनमें जो उपस्थित हैं कह दें कि मैं नहीं बोलना चाहूँगा अथवा इस बिजनैस के भारीपन को देखते हुए मैं चाहता हूं कि कल यह हल्का हो। इसलिये आज इसे थोड़ा निपट लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कल जो विधेयक हैं एक तो है आर. ए. सी. के बारे में और दूसरा है एक्साइज के बारे में। वे ज्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो उनको आज ही पारित मान लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल सारा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मोर्चे पर होते हैं तब सूझता नहीं है। मैं आपकी अनुमति से सदन का ५॥ बजे तक समय बढ़ाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी खतम तो नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : पर फिर भी कम से कम रामानन्द जी अग्रवाल तो अपना भाषण समाप्त कर दें और जुझारसिंहजी एक मिनिट में समाप्त कर ही रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो मन्त्रि मंडल के सदस्य हैं वह किस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं और उस बैकग्राउन्ड में जब कि यहां के टेक्नीकल आदमियों को और शिक्षित वर्ग को और जो दूसरे गवर्नमेन्ट के आफिसर्स हैं जो वर्षों से यहां काम कर रहे थे उनके लिए स्थान नहीं है उस बैकग्राउन्ड में कहां तक मंत्री मण्डल में ३५-३५ और ३७-३७ मन्त्रि बनाने आवश्यक होंगे और किस तरह से यह लोग धन का दुरुपयोग करते हैं इसके कुछ उदाहरण में आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री जुझारसिंह)

हमारे क्षेत्र से भी दो मंत्रियों को इस बात के ईनाम मिले हैं कि उन्होंने दूसरी पार्टी के टिकट पर से चुनाव लड़ा और जयपुर की १ लाख जनता के सामने यह दावा करके कि वह कांग्रेस के शासन को नहीं चाहते हैं उसको धोखा देकर जिन पार्टियों से चुनकर आये हैं उनको धोखा देकर केवल उन्होंने हार्स राइडिंग किया और अपनी पार्टी को बदला और उनको ईनाम मिला है कि वह मंत्री बने हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि अभी साल भर तो हो गया इनका मुंह सिवाय ओथ लेने के टाइम खुला था इन्होंने न जवाब दिया है और न जवाब देने वाले हैं आगे ५ सालों में और न उनमें बोलने की क्षमता है। क्योंकि इन्होंने दूसरी पार्टियों को धोखा दिया है और इनकी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि जब यह लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं अध्यक्ष महोदय आपको ताज्जुब होगा कि यहां से सरकारी मोटर लेकर एक मंत्री महोदय पहुंचे। किसी प्रधान के खिलाफ वोट आफ नो-कान्फीडेन्स था। वह सरकारी मोटर उस क्षेत्र में नहीं जा सकती थी इसलिए इन्होंने भवानी मण्डी में जो कि राजस्थान टैक्सटाइल मिल है उसके मैनेजर की जीप को सरकारी गाड़ी से एक्सचेन्ज किया और उस जीप में खुद गये और उस क्षेत्र में घूमते फिरे। इस तरह से राज्य सरकार की गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं और इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसी चुनाव के सिलसिले में १५ दिन तक आर० जे० ओ० ५५ जो कि सरकारी गाड़ी है उसमें खुद नहीं बैठकर उस क्षेत्र में करीब १२-१५ दिन तक घुमाया और उसमें सरपंच घूमे और उसमें १०-१५ दिन तक घूमते रहे....

(उप-मंत्री, श्री रामचरण बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री जयनारायण सालोदिया : बैठो। गिरोगे।

श्री रामचरण : अश्रव्य।

(विरोधी पक्ष से गद्दार-गद्दार की आवाजें)

(५ म० प०)

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय जिनको तहस आ रहा है, इनको सत्ता से और पावर से इतना लोभ है कि यह गांव के सरपंच हैं और इनको करीब ८ महीने हो गए लेकिन इनसे सरपंची का मोह नहीं छूटा। यहाँ से तो राज्य की गाड़ी लेकर जाते हैं और वहां पर सरपंची अटेन्ड करते हैं। तो इस तरह से इन लोगों के ऊपर जो ५–६ हजार रुपये सरकार की तरफ से खर्च किये जा रहे हैं इससे न तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ती है और न सरकार की बढ़ती है। जनतन्त्र में इस तरह के आदमियों को प्रतिष्ठा देना और सरकार में बैठाये रखना इससे तो जनतन्त्र को खतरा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी चीज नहीं है। बड़े बड़े प्रिन्सिपल के ऊपर दूसरी कन्ट्रीज़ के अन्दर इस तरह के वाकयात हुए हैं। फ्रान्स में रेवोल्यूशन हुआ। जनता का राज्य कायम करने के लिए बहुत-बहुत सेक्रीफाइजेज़ लोगों ने किये है। १७८९ में वहां क्रान्ति हुई। क्योंकि वहां अच्छी

(श्री जुझारसिंह)

टाइप के आदमी उन प्रिन्सिपल्स को रखने के लिए सामने नहीं आये तो नेपोलियन उनकी जगह पर बैठ गया। इसी तरह की घटना चीन में हुई है, रशिया में हुई है और दूसरे कन्ट्रीज् में भी हुई हैं। इसलिए हमें सोचना है कि हमारे प्रजातंत्र को यदि हम सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अच्छे काबिल और इन्टीग्रिटी के आदमियों को मन्त्रि मंडल में शामिल करें और इस तरह के आदमियों को रखने में प्रजातन्त्र को खतरा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो बिल है इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर केदार को भी आप समय दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज प्रस्तुत है और जिसके संबंध में मैंने प्रस्ताव किया है जनता के लिए प्रसारित करने का मैं समझता हूं कि केवल इस विधेयक से ही यह प्रश्न सम्बद्ध नहीं है कि मन्त्रि मंडल में कितने सदस्य हों, उनको क्या तन्ख्वाहें मिलें, उनको क्या सुविधायें प्राप्त हों, वह ज्यादा हैं या कम है-मैं इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को नहीं देखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधेयक जिसको मैंने जनमत जानने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इस दृष्टिकोण से किया है कि यह सदन और हमारे देश की जनता, प्रान्त की जनता गम्भीरता से इस बात पर विचार करे कि जो कांग्रेस इस देश में यदि उसको कोई क्रेडिट है, इस बात का दावा करती है कि इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणाली का शासन कायम करने की शुरूआद की, १९५० में एक संविधान बनाया और देश में लागू किया। अडल्ट फ्रेन्चाइज् के आधार पर लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का मौका दिया और उसके अनुसार प्रशासन चले इस प्रकार की जो कि कल्पना थी। हमारे देश में आजादी के आन्दोलन में जिस प्रकार का प्रजातन्त्र हम कायम करना चाहते थे उसकी शुरूआत हमारे देश में अंग्रेजों के चले जाने के बाद अपने तरीके से, अपने दर्शन के हिसाब से

(५.९ म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

कांग्रेस ने एक संविधान बनाकर के, आज सभापति महोदय ऐसा लगता है कि इन आम चुनावों के बाद जिस प्रकार से सरकार बनी, जिस प्रकार से बहुमत को कायम रखने की कोशिश है, जिस प्रकार से मन्त्रि मंडल बनाया गया उससे ऐसा लगता है कि वह तमाम आधार जिनके ऊपर हम अपने देश में प्रजातन्त्र को टिकाना चाहते हैं वह तमाम आधार एक सन्यासपन स्थिति में पहुंच गये। जिन लोगों ने इस देश के अन्दर हमारा मौजूदा संविधान बनाया खुद उन लोगों की इस संविधान

(श्री झुझारसिंह)

के प्रति आस्था समाप्त होती जा रही है। आज जब कि बहुमत में आये २० वर्ष तक शासन किया वह परीक्षा का समय नहीं था कि वास्तव में संविधान में उनकी आस्था है या नहीं है। संविधान में आस्था की परीक्षा का समय अब आया है। जब कि उसी संविधान के जरिये, वोट के जरिये, चुनाव के जरिये किन्हीं प्रान्तों में उनकी सरकार न बनकर और विरोधी दल बहुमत में आये उस हार को किस तरह से स्वीकार करें, इस संविधान में सरकार बलटने की व्यवस्था न अपने आप में निहित है, इस बात को हिन्दुस्तान की जनता पर कैसे साबित करें, मैं समझता हूं कि वह परीक्षा का समय आज हमारे देश के सामने आया है। वह पार्टी, वे नेता जो यह श्रेय लेते हैं, वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने इस देश को प्रजातन्त्र की प्रणाली दी, वे इस परीक्षा के समय आज हिल गये, उनकी आस्थाएं हिल गयीं, उनका उन आधारों पर भरोसा नहीं रहा। और, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीरता से हम विचार करें इस विधेयक पर, इसकी बुनियाद इसकी जरूरत इन्हीं कारणों से है कि इस संसदीय प्रणाली के उस निर्मल तरीके को छोड़कर एक गन्दे तरीके से बहुमत में न आने पर भी किसी प्रकार सत्ता कायम रहे यह रास्ता अपनाया गया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज के समय में दल बदलने की चर्चा हुई हमारे सामने। यह बात सही है साफ तौर से कि दल बदलने का दोष कांग्रेस जो सत्ताशाली पार्टी है उस पर तो मुख्य रूप से है ही, परन्तु विरोधी दलों को भी गम्भीरता से सोचना होगा कि क्या हुआ इस देश में ? प्रजातन्त्र को कायम करने के लिए इस रास्ते को अपनाना चाहते हैं जिसमें कि आम जनता की इच्छा जो व्यक्त करना चाहते हैं। उनका सही चित्रण इन विधान सभाओं में इन सरकारों के जरिये इसमें हो सके या कि हम केवल जिस हद तक वह हमारे फायदे, हमारे दल के फायदे तक उसका उपयोग हो सके उसी हद तक उसकी बात कहते हैं और उसके आगे हमें उसके अन्दर विश्वास नहीं रहा, वही तरीका हम अपनायें। सभापति महोदय, इस तरीके से मैं यह देखता हूं कि इन १९६८ के चुनाव के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट एक बहुत बड़े ट्रायल के ऊपर, एक बहुत बड़ी परीक्षा के ऊपर है। आज बहुत लोग यह ख्याल करने लगे हैं कि हमारे देश में यह सिस्टम फेल हो चुका इसलिए लोग निराश हुए कि लोगों के दिमाग में जो कल्पना थी एक नये भारत की ३० वर्षों के बाद भी वह कल्पना पूरी नहीं हुई। बहुत से इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका प्रजातन्त्र में कतई विश्वास नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन को या राजाओं के शासन को बदलना नहीं चाहते थे, वे आदमी यह कहते हैं कि देखो हम कहते थे, हमारी बात सही साबित हुई कि हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र के लायक नहीं है इसलिए यह जो भी परीक्षण था वह गलत साबित हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वास्तव में प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, परन्तु इन २० वर्षों के शासनकाल के बाद विशेषतौर से ६७ के चुनावों के बाद जो प्रतिक्रिया हुई है उससे उनको निराशा हुई है। कुछ लोग

(श्री जुझारसिंह)

यह समझते हैं कि कांग्रेस वोट के जरिये हार नहीं सकती। यदि वोट के जरिये हार गई तो फिर वापस एन-केन-प्रकारेण सत्ता में आ जायेगी। और मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देश में प्रजातन्त्रीय संसदीय प्रणाली डाली आज वही जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, खास-तौर से कांग्रेस के नेता लोग वे उन विश्वासों को जो हिन्दुस्तान की जनता के अन्दर बिठाना चाहते थे और जितना उन्होंने बिठाया है वे आज खुद ही अपने कर्तव्यों से उन विश्वासों से ढा रहे हैं, उनके अपने खुद के दल का और उनका खुद का यह विश्वास ढह रहा है, और बहुत सी बार प्राइवेट में चर्चा होती है तो वे कहते हैं कि हमारे देश में यह सिस्टम तो चलेगा नहीं, हमें किसी न किसी तरीके की डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी। कोई कहता है कि इस देश में सैनिक डिक्टेटरशिप कायम होना चाहिए, और इस तरीके से प्रजातन्त्रीय संसदीय प्रणाली में लोगों का विश्वास भी टूटने लगा है। इस बात की प्रेरणा इस प्रकार के कामों ने दी है।

कोई बड़ी बात नहीं है, सभापति महोदय, कि एक प्रान्त में एक पर्टीक्यूलर पार्टी है, कांग्रेस है वह हुकुमत कर रही है और उनका अल्पमत हो जाय और अल्पमत में आकर दूसरी गवर्नमेंट बन जाय तो वह पार्टी हार गई, कांग्रेस हार गई, लेकिन उनका उसूल नहीं गया। वे यह कहते हैं कि देखिये कि हमारे देश में हमने ऐसी शासन-प्रणाली कायम की है कि वोटों के जरिये हुकुमत बदल सकती है और कोई तरीके से शासन को बदलने की जरूरत नहीं है। देखिए हम बदल रहे हैं। हमने विधान बनाया है जिसमें हर पार्टी को अपनी हुकुमत बनाने का पूरा मौका मिला है, मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रजातन्त्र के लिए बहुत बड़ी मजबूत चीज होती, हमारे देश में प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी नायाब चीज होती, लेकिन आज, सभापति महोदय, जिस दिशा में हमारे कांग्रेस के नेता जा रहे हैं. जो दिशा उन्होंने पकड़ी है और वह केवल राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में अलग कांग्रेस नहीं है, हैदराबाद के अन्दर अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो रिजोल्यूशन पास किया—एक ही रिजोल्यूशन पास किया—कि किस प्रकार से ये जो गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनको अपदस्थ किया जाय, और इस धुन में लगे और यह काम करें। आपने यह प्रस्ताव पास किया है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि यह दिशा आज हमारे देश में प्रजातन्त्र को चैलेन्ज दे रही है। हमारे देश मे जो प्रजातन्त्र प्रणाली हमने कायम की है उसकी जड़ों को हम उखाड़ रहे हैं। प्रजातन्त्र केवल कुछ उसूलों, कुछ विधान में लिखे हुए आर्टीकल्स से ही कायम नहीं रहता है। उसकी कुछ परम्परायें भी हैं, उसकी कुछ इस तरह की खायात भी हैं कि उनके साथ चलना होता है तो हम दरअसल में प्रजातन्त्र को कायम रख सकते हैं। अथवा सभापति महोदय, अगर हम लोगों का या रूलिंग पार्टी का यह रवैया हो जाय कि उन खायात को, परम्पराओं को बालाए ताक रखकर किस तरीके से बहुमत बनाने की बात करें, किस तरीके से अपनी हुकुमत

(श्री जुझारसिंह)

बनाने की कात करें तो वह प्रजातन्त्र नाममात्र के लिए रह जायगा। अगर किसी देश के लोग हुकुमत बदलना चाहते हैं, अगर लोगों की यह इच्छा है कि हम वर्तमान शासन से सन्तुष्ट नहीं हैं इसको बदलेंगे, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ८८ से आप १०८ बना लें, यह इसका इलाज नहीं है। जनता की इच्छाओं को आप इस तरीके से नहीं रोक सकेंगे। आप ८८ से १५० बना लें तब भी आप उसको रोक नहीं सकेंगे। उससे लोगों में केवल एक ही भावना भरेगी कि ये इस तरीके से नहीं बदलेगी और इस तरीके से नहीं बदलेगी तो दूसरे तरीके अपनाएं और उस तरीके को अपनाकर विधान सभा में वोट के जरिये से नहीं तो दूसरे तरीके से हथियारबन्द लोग आगे आयेंगे और हथियारबन्द होकर लड़ाई लड़कर आपको सत्ता से हटायेंगे। इसकी जिम्मेवारी उन लोगों पर नहीं होगी जिनका कि यह विश्वास है, इसकी जिम्मेवारी उन लोगों पर होगी जो सामान्य तरीके से शासन पलटने की बात से इन्कार करते हैं, जनता को रोकते हैं सभापति महोदय, हमारे दल का भी यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तान की जनता के अन्दर प्रजातान्त्रिक परम्परायें काफी मजबूत हैं, और बावजूद इस बात के कि आज देश के अन्दर ऐसे तत्व हैं, आज देश के अन्दर कांग्रेस ने जो प्रजातन्त्र प्रणाली का नेतृत्व किया था आज उससे वह खुद इन्कार कर रही है और प्रजातन्त्र का गला घोंटना चाहती हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश की जनता की यह क्षमता है कि बावजूद इन तमाम नेताओं की कोशिश के हिन्दुस्तान की जनता प्रजातन्त्र का गला नहीं घुटने देगी ताकि प्रजातन्त्र का झण्डा ऊंचा रख सके और उन लोगों को जो प्रजातन्त्र का गला घोंटने की कोशिश करेंगे उनको तमाम को मार कर हटा देगी।

सभापति महोदय, बंगाल की जनता ने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है वहां पर जनता की हुकूमत थी। हमारा विधान कहता है कि आपको ६ महीनों में एसेम्बली बुलाने का मौका है। राजस्थान में पिछले २१ जुलाई को एसेम्बली एडजोर्न हुई थी और १८ जनवरी को पूरे ६ महीने बीतने से दो दिन पहले एसेम्बली को बुलाया। हम कई बार चाहते थे कि एसेम्बली को बुलाओ, हमने इस बारे में बातचीत भी की लेकिन आपने एसेम्बली को पहले नहीं बुलाया, आप चूक गये। आप पहले बहुमत साबित कर चुके थे बाद में नया सत्र बुलाने पर फिर साबित होता हमने आपकी ओथोरिटी को चैलेन्ज नहीं किया। लेकिन बंगाल ने क्या किया ? वहां पर आपके नेताओं ने क्या किया उसको दोहराना नहीं चाहता। राजस्थान में कमजोरी रही। हमारे साथी शान्ति की बात कह सकते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि यह कमजोरी रही। यदि राजस्थान की जनता पहले आन्दोलन करने को इच्छुक थी, राजस्थान की जनता की इच्छा थी कि जिनका बहुमत चुनाव में आया है उनको सरकार बनानी चाहिये और जो तोड़ फोड़ के आधार पर सरकार बनायेगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिये यदि जनता के समर्थन से लड़ाई लड़ी जाती तो जो आज स्थिति है उसकी नौबत नहीं आती। बंगाल के लोगों ने इस चैलेन्ज को स्वीकार करके जो १७ आदमियों की

(श्री जुझारसिंह)

मिनिस्ट्री बनी थी, जिसको थोपना चाहते थे उसको जनता ने आन्दोलन करके मंजूर करने से इन्कार कर दिया। सभापति महोदय, बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष ने प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिये एक तरह की परंपरा कायम की। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने विधान सभा पर जो आघात किया है मैं उसको गैर कानूनी मानता हूं और पी. सी. घोष की सरकार को कानूनी सरकार नहीं मानता। और तमाम उनकी सेना और तमाम उनकी पुलिस एक तरफ धरी की धरी रह गई और घोष सरकार को हटाना पड़ा और वहां पर राष्ट्रपति शासन कायम हुआ और वहां पर चुनाव होंगे। आज वहां के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव मत कराओ, हमारी तैयारी नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि जनता तैयार होनी चाहिये। बंगाल की जनता ने करके दिखाया कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहेंगे तो जनता इसके लिये इजाजत नहीं देगी, जनता में शक्ति है।

लेकिन इतिहास बताता है कि दुनिया में जिन शरमायेदारों और पूंजीपतियों ने विधान बनाये और जब चुनाव में हार गये तो उन्होंने इसको मानने से इन्कार कर दिया और विधान को फाड़ दिया और कहा कि यह हमको मंजूर नहीं है। सेना की ताकत से उन्होने डिक्टेटरशिप कायम की।

सभापति महोदय, खतरा तो आज देश में यही है। देश में अभी तो दल बदलुओं के कारण कुछ सरकारें हटायी गई हैं लेकिन यह तो शुरूआत है। आगे मामला बहुत बढ़ने वाला है। संदेह इस बात का है कि जब केन्द्र में दूसरों का बहुमत आ जायगा, कांग्रेस का असर नहीं रहेगा तब क्या कांग्रेस वास्तव में इसको मंजूर करेगी? आज तमाम पार्टियों के सामने यह सवाल है। कांग्रेस के नेताओं के सामने यह सवाल है। आज हिन्दुस्तान में केवल ४० परसेन्ट मतों के आधार पर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार कायम है। यह बात पिछले सन् ६७ के चुनावों से साबित है कि यदि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियें मिल कर चुनाव लड़तीं तो केन्द्र में ४० का बहुमत कांग्रेस का नहीं रहता, ६७ के चुनाव में ही कांग्रेस अल्पमत में हो जाती। आज हमारे और आपके सामने प्रश्न पैदा हो गया। बंगाल, बिहार, पंजाब और राजस्थान की घटनाओं से साबित हो गया। राजस्थान को ही लीजिये यदि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो यहां पर कांग्रेस की सरकार कायम नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल समाप्त हुआ, राष्ट्रपति शासन क्यों कायम हुआ? चरणसिंहजी ने स्तीफा देते समय साफ कहा था। केन्द्र में यदि कांग्रेस हार जायगी तो क्या दूसरे लोग जो बहुमत में होंगे वे शासन में आयेंगे? उनको राज्य करने देंगे? क्या वे आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? क्या उनके नेता मिलिटरी कमांडरों से सांठ गांठ करके यह नहीं कहेंगे कि यह चुनाव गलत हुआ है हम इसको नहीं मानते, नया चुनाव कराया जाय, इसको बदलना चाहिये। इस प्रकार की आवाज आज उठ रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, क्योंकि यह गंभीर सवाल है, राजनैतिक प्रश्न है इसलिये में

Page No. 141

(श्री जुझारसिंह)

चाहूंगा कि इस पर प्रकाश बहुत अच्छी तरह से डाला जाय। ऐसी परिस्थिति केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं पैदा हुई। दुनियां के इतिहास में जहां पूंजीपति पार्टियों ने अपना संविधान बनाया और जब वे बहुमत प्राप्त नहीं कर सके तो उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया डिक्टेटरशिप की ताकत सामने आई। स्पेन में ऐसा ही हुआ। आज हमारे देश में कांग्रेस इस दिशा की ओर जा रही है।

सभापति महोदय, मुझे खेद इस बात पर है कि विरोधी पार्टियां कहती हैं कि कांग्रेस को अपदस्थ करना चाहिये। हमने राजस्थान में आपस में मतभेद होते हुए भी स्वतंत्रपार्टी और जनसंघ के साथ मतभेद होते हुए भी एकता कायम की क्योंकि जनता चाहती थी बदलाव करना। क्योंकि जनता कांग्रेस के २० वर्ष के शासन से ऊब चुकी थी। हम यह जानते थे कि स्वतंत्रपार्टी और जनसंघ के साथ मिल कर हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकेंगे, हमारी उलझनें थीं लेकिन जनता की इच्छा के अनुसार हमने कहा कि सब बातों के आधार पर क्योंकि वे भी चाहते थे कि कांग्रेस शासन को बदला जाय...

श्री सभापति : क्या सदन की इच्छा है कि कार्यवाही आगे बढ़ाई जाय ?

श्री रामकिशन : अब इच्छा नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल : अभी तो मैं बोल रहा हूं। मेरे बोलने तक बढ़ाई जाय।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही साढ़े पांच बजे तक बढ़ाई गई थी और वह समय समाप्त हो रहा है इसलिये सदन की कार्यवाही १० मिनिट के लिये और बढ़ाई जा रही है।

श्री रामानंद अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या केवल दल बदलाव की नहीं है, केवल एक दो आदमी इधर उधर चले गये इसकी समस्या नहीं है। आज समस्या पूरे के पूरे दलों की आस्था बदलने की है। जो लोग सन् ६७ के चुनाव में कहते थे कि हमको कांग्रेस को अपदस्थ करना है आज स्वतंत्र पार्टी के लीडर मीनू मसानी साहब कहते हैं, घोषणा कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा नेशनल गवर्नमेन्ट कांग्रेस के साथ मिल कर बनाने को तैयार हैं। जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष मधोक साहब कहते हैं कि हमको नेशनल गवर्नमेन्ट कांग्रेस के साथ मिलकर बनानी चाहिये लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में नहीं बल्कि मुरारजी देसाई के नेतृत्व में नेशनल गवर्नमेन्ट बनाने को तैयार हैं। तो यहां नेशनल गवर्नमेन्ट बनाने का सवाल है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान है, उसको बदलना चाहती है। कुछ लोग हैं हिन्दुस्तान के किसान, मजदूर और आम लोगों की ताकत पर विरोध करते हैं वे ही आज अपने विचार बदल रहे हैं। यह क्या बात है इस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमने किस तरह से एकता का सूत्र कायम किया था स्वयं भूपेश गुप्त आये थे उनके कहने से हम शामिल हुए थे। जन आन्दोलन में हम शामिल हैं। राजस्थान से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शुरूआत हुई। बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार को हटाया गया और स्वतंत्र पार्टी विरोध न करे यह क्या बात है? यह कैसे कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं और नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं आप राजस्थान में कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग लेना चाहते हैं और हमसे मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति, पाइन्ट आफ आर्डर····

श्री रामानन्द अग्रवाल : केन्द्र में हम से मिलकर आप नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : देश की समस्याओं पर विचार हो रहा है या इस विधेयक पर अपना भाषण दे रहे हैं और बात कह रहे हैं बंगाल की, यू. पी. की।

श्री मदनसिंह दांता : जो चाइनीज समर्थक कम्युनिस्ट हैं हम उनके खिलाफ हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान के मंत्रिमण्डल पर विचार हो रहा है या देश की समस्याओं पर विचार हो रहा है।

श्री रामकिशन : सब पर हो रहा है।

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो गम्भीरता को आप इस रूप में लें।

हमारा यह कहना है कि राजस्थान में पैंतीस मन्त्रियों की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां पोजीशन बनाने के लिए मुख्य मन्त्रीजी कुछ भी कहें, लेकिन यह हम और आप सब ही जानते हैं कि दल में बहुमत बनाये रखने के लिए, कुछ लोग नाराज न हो जायं, इसलिए पैंतीस आदमियों का मन्त्रिमंडल बनाना पड़ा। इसका एक तरफ तो राजतंत्र के कोष पर बोझा पड़ता है और दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी फैल रही है–उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यह इस तरह की समस्या है। आपको अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए यह तरीके अपनाना जरूरी है लेकिन क्या इससे देश में प्रजातन्त्र कायम रहेगा? क्या यह बात केवल राजस्थान तक ही सीमित है? मैं समझता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि में सारे हिन्दुस्तान का प्रश्न है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यह प्रजातन्त्र का सवाल सारे देश के अन्दर एक क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ा हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज कांग्रेस दल, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इस देश के अन्दर परीक्षा काल में है। इस देश के अन्दर अगर किसी का परीक्षा काल है, तो हम जितनी पार्टी हैं, हमारी परीक्षा का सवाल नहीं है क्योंकि हम पावर में नहीं हैं, हम विरोध में हैं, हम जब पावर में आयेंगे तो हमारी परीक्षा लेने का आपको हक है और आप परीक्षा लें, लेकिन कांग्रेस दल आज परीक्षा काल में है। इसलिए प्रजातन्त्र के गले को घोंटने का काम, प्रजातन्त्र को खत्म करने का काम, अगर कोई कर रहा है, अगर कोई उसकी अगुवाई कर रहा है, कोई पहला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कदम उठा रहा है तो वह कांग्रेस कर रही है। मुझे खेद है, आज जनसंघ है और हमारी विरोधी पार्टी कहलाने वाली पार्टी है वह बजाय इसके कि सब मतभेदों को दूर करके कांग्रेस को हटाने की बात करें, अब कि रामानन्द द्वारा आपके भैरोंसिंहजी और लक्ष्मणसिंह जी की सरकार के समर्थन करने की बात हो सकती है तो इसके लिए तैयार उनको भी होना चाहिए। आज पश्चिमी बंगाल में, चाहे अजय मुखर्जी हों, दूसरे कम्युनिस्ट हों और दूसरे लोग हों उनकी सरकार अगर गिरे और स्वतन्त्र पार्टी खुशी मनाये तो यह विरोधी दलों की एकता कैसे चलेगी, यह कांग्रेस के शासन को बदलने का आपका प्रोग्राम कैसा है, विरोधी दलों की एकता का यह विचार कैसा है। इस बात के लिए आपको हिन्दुस्तान की जनता को आश्वस्त करना पड़ेगा, हिन्दुस्तान की जनता इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, हम साफ समझते हैं कि यह सवाल पार्टियों का नहीं है। इसमें एक तरफ तो पूंजीपति वर्ग है, आज जो पूंजीपति पार्टियां हैं-चाहे कांग्रेस हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो, चाहे जनसंघ-हो वह आज कम्युनिस्टों की बढ़ती हुई ताकत को देख रही हैं, देश में जो किसान और मजदूर हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी बढ़ती हुई ताकत को वह देख रही हैं, और इस प्रश्न पर अलग से बहस हो रही है। अभी परसों ही सीलिंग के प्रश्न पर बहस हो रही थी तो उस दिन एक अजीब नजारा देखा और अखबारों में उसकी रिपोर्टिंग देखी कि जो प्रश्न था कि मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीन पर सीलिंग नहीं लगाया जायगा, उस प्रश्न का कांग्रेस ने विरोध किया, कम्युनिस्ट दल ने विरोध किया, समाजवादी दल ने विरोध किया लेकिन जनसंघ ने और मन्त्रिमण्डल ने उसका समर्थन किया। जनसंघ और मन्त्रिमण्डल की आइडियोलोजी और विचारधारा नजदीक आ रही है-ऐसा इससे मालूम पड़ता है। आज देश व्यापी पैमाने पर, मैं समझता हूं, कोलोनाइजेशन आफ व्यूज हो रहा है। मैं समझता हूं, देश व्यापी पैमाने पर, जो केवल कांग्रेस विरोध का नारा है, वह नारा कुछ ऐसा है कि उसके बारे में लोग सोचने लगे हैं, सब पार्टियां सोचने लगी हैं। यह बात सही है कि संयुक्त दल साफ तौर से कहीं कामयाब नहीं हुआ। इसलिए इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिये इस रूप में। हम सोचते हैं, सभापति महोदय कि कांग्रेस के बाद में देश की स्थिति को जो बदल सकता है, जो देश को स्वस्थ शासन दे सकता है, देश की मौजूदा समस्याओं को, मंहगाई की समस्या को, बेकारी की समस्या को दूर कर फौरी राहत दे सकता है, कांग्रेस को सत्ता से हटा सकता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि देशव्यापी पैमाने पर जो वामपंथी शक्तियां हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, प्रजा समाजवादी पार्टी है, जो जनतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं उनकी प्रोग्राम के आधार पर एकता हो तो वह देश व्यापी पैमाने पर पार्टी हो सकती है। इस तरह की स्थिति आज देश के सामने है। आज आहिस्ता, आहिस्ता, कांग्रेस, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ अपने मौजूदा मतभेदों को हटाकर कम्युनिस्टों के डर से, मजदूर और किसान की एकता के डर से नजदीक आती जा रही हैं। इस तरह का एक बदलाव

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजनीति में हमारे देश के अन्दर हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस दल बदलने वाली बात से मुझे घबराहट नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर अगर किसी पार्टी ने परम्परायें कायम रखी हैं, किसी पार्टी ने इन्टेग्रिटी का सबूत दिया है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी है। बावजूद इतना विरोध करने के और तोड़ने की कोशिश करने के १६६७ में दो की मैजोरिटी से जहां गवर्नमेंट कायम हुई वहां कांग्रेस शासन को नहीं तोड़ सका और एक भी व्यक्ति को नहीं तोड़ सका। तो १६६७ के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी को यह फख्र हासिल है कि उस दल के एक भी व्यक्ति को प्रलोभनों से तोड़ नहीं सके, कोई व्यक्ति टूटा नहीं....

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इस वजह से नहीं है। और हम लोगों ने भी केवल इसलिए कुछ नहीं किया कि हमारी तादाद बढ़ जाय। इसकी बहुत पहले ही प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, हिसाब के मामले में एक को हमारी पार्टी से निकाल दिया गया। न किसी ने तोड़ा, न वह किसी में गया। वह पार्टी से पहले ही निकाल दिया गया।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दल बदलने की जो बात है, तो जो पूंजी में विश्वास करने वाले लोग हैं, पूंजी से खरीदने में विश्वास करने वाले लोग हैं वह यह तरीका इस्तेमाल करते हैं, वह जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं, इस मामले में कांग्रेस माहिर है ही। लेकिन जो दूसरी पूंजीपति पार्टियां हैं उनके नक्शे कदम पर पूरा ध्यान रखने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर देश में वास्तव में प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते हैं, और इस तरीके से कांग्रेस को बदलना है, तो कांग्रेस को तो जनता भी बदलना चाहती है, वह इसके लिए तैयार बैठी है लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह छोटे रास्ते से जनता को रास्ते पर ले जाने से डरते हैं। दांडेकर साहब यहां आये। कहने लगे कि हम सड़कों पर चलने में विश्वास नहीं करते, हम सड़कों पर आन्दोलन करने में विश्वास नहीं करते। हुकूमत में आने के लिए लक्ष्मण सिंह जी जेल जाने के लिए तैयार हो सकते हैं लेकिन वह किसानों का आन्दोलन नहीं कर सकते, उनका आन्दोलन करके वह आज जेल में जाना पसन्द नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि यहां की स्वतन्त्र पार्टी में और केन्द्र की स्वतन्त्र पार्टी में भी मतभेदमालूम पड़ते है। केन्द्र के नेता कहते हैं कि तुमने गलती की है। आन्दोलन-वान्दोलन के चक्कर में मत पड़ो। राजा रानियों का काम सड़कों पर घूमना नहीं है। मैं समझता हूं कि आज देश के सामने जो मुख्य सवाल है, वह प्रजातन्त्र का सवाल है कि प्रजातंत्र को कैसे देश में कायम रखें। लेकिन उसमें जो हम यहां पर बहाने बाजी करते हैं, चालबाजी कि इस तरह का विधान बना दिया जाय और इस तरह इसको बदल दिया जाय, तो मेरा निवेदन है कि आपका इसमें विश्वास नहीं है और थोथी बातें आप ऊपर से करना चाहते हैं। यह जो इस तरीके का तरीका अभी है, तो अभी क्या हुआ है, अभी तो शुरूआत है, अभी तो इब्तदाये इश्क है, आगे चल कर न जाने क्या होगा। अभी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हम देखते हैं कि पाकिस्तान उठा कर ले गये, असेम्बली में घुसते घुसते उठा कर ले गये। उठाना, गोली चलाना। यह सब चीजें आप करेंगे। सब हथकण्डे आप करने को तैयार हैं। आपको यह पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि हम आंख मींच कर नहीं चल रहे हैं। इस बाबत कि आप क्या क्या हथकण्डे अपनाने वाले हैं, यह बात हम बखूबी जानते हैं। इसलिए प्रजातंत्र के ढोंग की बात करते हैं और जो ढोंग के तरीके आप करना चाहते हैं उनके कारण हम आंख मींच कर आपका समर्थन करने को तैयार नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है इस पर जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का रखा है वह इस बुनियाद पर है कि जनता इस पर सोचे, सब लोग इस बात पर विचार करें कि वास्तव में प्रजातांत्रिक प्रणाली की कब्र खोदने वाला यह तरीका है। और इस रूप में कांग्रेस को मजबूत करें यह सब कह कर। तो हम तो कहने में विश्वास नहीं करते, हम दलील देने में विश्वास नहीं करते। न तो कहने में और न दलील देने में विश्वास है। इनका तो सीधा सा ढंग है कि किसी तरह से अपना बहुमत बन जाय और गवर्नमेंट बेशर्मी से पांच पहर आराम से...

श्री हरिदेव जोशी : पांच पहर नहीं, पांच साल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच साल आराम से गुजार दें। तो पांच साल का तो सुखाड़िया जी केवल ख्वाब है, पांच साल तो इन्दिरा गांधी भी नहीं टिकने वाली हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आपका ख्याल है। यह आपका ख्याल है। ख्याली पुलाव पकाते रहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और सुखाड़िया जी, जो ज्यादा जिद्द से बैठता है वह ऐसे ही हटता है, जैसे पी. सी. घोष साहब हटे। सड़कों पर निकाल कर फेंक दिया जायगा, और ऐसे हटेंगे अगर ज्यादा जिद्द से बैठेंगे....

श्री मथुरादास माथुर : वह कहां थे हमारे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह ज्यादा गुस्से में आयेंगे तो पकड़ पकड़ कर खींच कर ले जायेंगे।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रात : ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बज कर ४० मिनट पर बुधवार दिनांक २८–२–६८ के मध्याहन पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या २९६ की सूची देखिए)

चर्म उद्योग केन्द्र पोकरण के प्रवेश पाने वाले छात्रों की सूची (अ)

क्रमांक	छात्र का नाम मय पिता के	जाति
१.	श्री रवीवराराम पिता पेमाराम	मेघवाल
२.	,, मांगीलाल पिता सतुराम	मेघवाल
३.	,, किरताराम पिता भीखाराम	मेघवाल
४.	,, गोपाराम पिता शोभाराम	मेघवाल
५.	,, सुगनाराम पिता खेताराम	मेघवाल
६.	,, मगाराम पिता आईदानराम	मेघवाल
७.	,, छगनाराम पिता धनाराम	भील
८.	,, हेमाराम पिता तुलसाराम	भील
९.	,, वनाराम पिता भगाराम	भील
१०.	,, पदमाराम पिता धनाराम	भील
११.	,, लुम्बाराम पिता सुरखाराम	मेघवाल
१२.	,, भेराराम पिता हेतुराम	मेघवाल
१३.	,, राणाराम पिता नारायण	मोची

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ की सूचि देखिये)

पंचायत समिति फागी द्वारा ११-८-६७ से ३१-१२-६७ तक की अवधि में खरीदे गये सामान की सूची

क्र०सं०	सामान	सामान की खरीद के लिए क्या टेण्डर आमन्त्रित किये गये।	क्या पंचायत समिति या स्थायी समिति की व तकनिकी स्वीकृति ली गई।
१.	गेहूं (मेक्सीजन)	क्रय विक्रय सहकारी समिति से खरीदा गया अतः टेण्डर की आवश्यकता नहीं थी।	नहीं। जिला कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार खरीद की गई।
२.	स्टेशनरी	५०) रु० से अधिक की खरीद के लिए टेण्डर लिया गया।	नहीं।
३.	बेट्री	टेण्डर लिया गया।	नहीं।
४.	कुट्टी की मशीन	राजकीय कृषि वर्कशाप द्वारा अनुमोदित मशीन ही खरीदी गई अतः टेण्डर की आवश्यकता नहीं थी।	स्थायी समिति की स्वीकृति ली गई।
५.	पारितोषिक का सामान	टेण्डर। कोटेशन लिया गया।	स्थायी समिति की स्वीकृति ली गई।
६.	पशुओं के उपचार हेतु दवाइयां।	पशुपालन विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मों से खरीद की गई। अतः टेण्डर की आवश्यकता नहीं थी।	नहीं।

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ की सूची, देखिये)

पंचायत कंथून द्वारा १९६७ में बेची गई भूमि का विवरण

क्र. सं.	नाम भूमि लेने वाले का	भूमि जो बेची गई	धनराशि
१.	श्री याकूब भोमिन कचारा	२० × २५ फुट	८००)
२.	,, अब्दुल सत्तार कचारा	,, ,,	६००)
३.	,, कादर वल्द अब्दुल रहमान	,, ,,	५२५)
४.	,, इस्माइल वल्द अब्दुल रहमान कारपेन्टर	,, ,,	५२०)
५.	,, अब्दुल सत्तार वल्द अब्दुल करीम	,, ,,	५८०)
६.	,, कयूम वल्द कालू मुल्लानी	,, ,,	५२५)
७.	,, वशीर मोहम्मद कचारा सेठ	,, ,,	५२५)
८.	,, अब्दुल मजीद वल्द अजीमा	,, ,,	६२६)
९.	,, बशीर मोहम्मद वल्द इशाक ढलवा	,, ,,	५२०)
१०.	,, कासम वल्द अमीर ताजक	,, ,,	५०२)
११.	,, कासम वल्द अमीर नाजक	,, ,,	५०२)
१२.	,, अब्दुल मजीद वल्द सफूद्दीन	,, ,,	५०१)
१३.	,, इमामुद्दीन वल्द सफूद्दीन	,, ,,	५०५)
१४.	,, अहमद हुसेन वल्द मोहम्मद नागरा	,, ,,	५०५)
१५.	,, अहमद कचारा वल्द अब्दुल रहमान	,, ,,	८०५)
१६.	,, अब्दुल हमीद कचारा वल्द अब्दुल रहमान	,, ,,	५०५)
१७.	,, सतार कचारा वल्द याकूब कचारा	,, ,,	५०१)
१८.	,, नूर मोहम्मद वल्द अहमद हुसैन	,, ,,	५०१)
१९.	,, सुल्तान वल्द करीम तवर	,, ,,	५०१)
२०.	,, पीर मोहम्मद वल्द भगवान	,, ,,	६०१)
२१.	,, रहीम बख्स वल्द बजीर मोहम्मद शेख	,, ,,	५१०)
२२.	,, अब्दुल सलाम वल्द अमीर मोहम्मद	,, ,,	५०५)
२३.	,, शबराती वल्द अमीर मोहम्मद	,, ,,	५३०)
२४.	,, अब्दुल करीम सरबाड़ी वल्द वादुल्ला	,, ,,	५२५)
२५.	,, अब्दुल सलाम वल्द अमीर मोहम्मद	,, ,,	५०५)

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ३११ की सूची रखिये)

पंचायत समिति दूदू द्वारा सन् १६६० से १६६६ तक पंचायत उग्रास को दिए गए खाद बीज का विवरण

क्र० सं०	सरपंच का नाम	दिनांक खाद बीज देने का	नासा बीज खाद	तादाद	कीमत
१.	श्री लालसिह	२८–६–६०	बाजरा	१० सेर	४.७५ पै.
२.	,, गोविन्दराम कुमावत	२५–१०–६३	अमोनियम सल्फेट	२० बोरी	७००.००
३.	,, ,,	२८–६–६३	रणजीत मक्का	६ थैली	४८.१२ पै.
४.	,, ,,	१०–११–६४	गेहूं साधारण	६ क्विटल १२ किलो	५८३.६८ पै.
५.	,, ,,	१०–११–६४	जौ	१० क्विटल ३७ किलो २०० ग्राम	५४६.७४ पै

परिशिष्ट ५

समयाभाव के कारण न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर

ग्राम पुजारी की ढाणी की सहकारी समिति द्वारा चीनी का वितरण

३१३. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नवलगढ़ पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम पुजारी की ढाणी की एक सहकारी समिति राशन की चीनी के वितरण का कार्य करती है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

(२) क्या उक्त समिति के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा कई शिकायतें कलेक्टर झुंझुनू, एस. डी. ओ. नवलगढ़ एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति नवलगढ़ को की गई थी ? और इन शिकायतों के आधार पर लगभग दो वर्ष पूर्व किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

(३) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने उक्त सहकारी समिति को आगे से कोटा वितरण करने के लिए चीनी न देने की सिफारिश की थी ?

(४) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी के नोट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उक्त फाइल के कागजात गायब कर लिये गये जो अब तक नहीं मिले हैं ?

(५) क्या पुन: लगभग ५-६ माह पूर्व शिकायत होने पर उक्त सहकारी समिति की जांच हेतु एनफोर्समेंट आफिसर नवलगढ़ को भेजा गया ? यदि हां, तो एनफोर्समेंट आफिसर की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या अब भी वही सहकारी समिति चीनी वितरण का कार्य कर रही है ?

(७) क्या सरकार इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाली समिति का लाइसेंस रद्द करने का विचार रखती है ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

तहसील नोहर में जमीन सम्बन्धी मुकदमे

३१४. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को रावतसर में उपनिवेशन तहसील होने पर भी हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ जमीन सम्बन्धी मुकदमों के लिये जाना पड़ता है ?

(२) यदि हां, तो रावतसर तहसील के नीचे लगाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पंचायत व पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा प्रस्ताव पास किये जाकर इस तकलीफ को दूर करने की मांग की गई थी ?

(४) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्व तहसील, नोहर के कुछ गांवों के लोगों को हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ की तहसीलों में अपने कुछ काम के लिये जाना पड़ता है। क्योंकि उपनिवेशन का निर्माण सुविधा की दृष्टि से डिस्टिव्यूटरी वाईज किया गया है।

(२) चूंकि उपनिवेशन तहसीलों का निर्माण सुविधा की दृष्टि से डिस्टिरीव्यूटरी सिस्टमवाईज किया गया है। अस्तु: इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं हैं बल्कि परिवर्तन से कई व्यवहारिक कठिनाइयां आयेंगी।

(३) यह बात सही है कि सरकार के सामने इस समस्या को हल करने के बारे में मांग की गई थी पर परचलित व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(४) उपनिवेशन कार्य की समाप्ति के अवसर पर इस परविचार किया जा सकेगा।

ग्राम खाखरा के घास के बीड़

३१५. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मनोहर थाना रेंज, जिला झालावाड़ में खाखरा ग्राम में वन विभाग की लगभग ८० बीघा बीड़ घास है ?

(२) क्या उक्त ८० बीघा घास बीड़ ५०) रु. में मण्डल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम ठेके पर दी गई थी ?

(३) क्या ८० बीघा जमीन का ५०) रु० वाजिब था ?

(४) क्या राज्य सरकार की यह जानकारी में आया है कि उक्त ८० बीघा जमीन को मण्डल अध्यक्ष ने खाखरा के काश्तकारों को ५००) रु० में बेच दिया था और उन काश्तकारों ने ५००) रु० में उस जमीन को लेकर ८० बीघा जमीन को ही हांक कर तिल्ली बोदी थी ?

(५) क्या वन विभाग या तहसील द्वारा उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ?

(६) यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(७) क्या तहसीलदार ने उक्त तिल्ली को जप्त किया है ? और यदि किया है तो वह ८० बीघा की तिल्ली कितनी थी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। बीड़ ५१) रु० में ठेके पर श्री प्रकाशचन्द्र को दी गई थी। श्री प्रकाश चन्द्र के मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष होने की सूचना इस विभाग में नहीं है।

(३) जी हां, ५१) रु० वाजिब था।

(४) काश्तकारों को बेचने सम्बन्धी सूचना इस विभाग में नहीं है। अनाधिकृत रूप से तिल्ली की काश्त की सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई।

(५) जी हां।

(६) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा तहसील अकलेरा में केस १०-६-६७ को दिया गया जिस पर १५-६-६७ को फसल नष्ट कर भूमि से अपराधियों को बेदखल करने के लिये तहसीलदार ने उनके हलके के निरीक्षक को आदेश दिए। राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध चालान ७-११-६७ को एस० डी० एम० अकलेरा के न्यायालय में किया गया है जहां कार्यवाही चल रही है।

(७) इसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

तहसील शाहबाद के ग्रामों में बसाये गये लोगों की जमीन पर जंगलात विभाग द्वारा कब्जा

३१६. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील शाहबाद में कलेक्टर के आदेश दिनांक १०-७-६२ के अनुसार ग्राम बांसवाड़ा गूगल व रामपुर उपरेठी बीरान गांव दुबारा बसाये गये और लोगों को वहां जमीन दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ६६ में सम्बन्धित डी० एफ० ओ०, रेन्जर, पटवारी व सरपंच ने जाकर पुरानी काबिल काश्त जमीन पर निशान देही की ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त गांव वालों को दी गई जमीन पर अब जंगलात विभाग कब्जा कर रहा है और अब तक के जुर्माने जो हजारों की तादाद में है, जमा करने हेतु आदेश दिये जा रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि यह मामला दिनांक १-८-६७ को कलेक्टर कोटा के सामने भी प्रस्तुत किया गया था ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है।

———

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्र० सं० २९४ की सूची)

सिंचाई कार्यों पर योजनाकार व्यय व लक्ष्य व पूर्ति — रु० लाखों में, सिंचाई हजार एकड़ों में

क्र० सं०	आईटम	प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्धारित धनराशि	प्रथम पंचवर्षीय योजना खर्च	द्वितीय पंचवर्षीय योजना निर्धारित धनराशि	द्वितीय पंचवर्षीय योजना खर्च	तृतीय पंचवर्षीय योजना निर्धारित धनराशि	तृतीय पंचवर्षीय योजना खर्च	प्रथम योजना के अन्त में लक्ष्य	प्रथम योजना के अन्त में पूर्ति	द्वितीय योजना के अन्त में लक्ष्य	द्वितीय योजना के अन्त में पूर्ति	तृतीय योजना के अन्त में लक्ष्य	तृतीय योजना के अन्त में पूर्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१.	बहुउद्देशीय योजनायें	१५५५·६६	१३४०·६१	१४१३·००	१४६२.१७	७७२·००	१०२७·१८	अनुमान	१४७·०	३८०·०	३५४·४	७१०·०	६६८·०
२.	मेजर (वृहत) योजनायें	—	—	११·४१	१३१८·५२	३०११·०	३०३३·९७	नहीं	—	—	—	१२९·०	९३·०
३.	मिडियम (मध्यम) योजनायें	७५३·६०	५३६·६४	३००·००	४९८·५३	४३७·८३	७३१·३६	लगाया गया	५६·०	१८०·४	१५९·३	१९१·४	२४१·७
४,	लघु योजनायें	१७५·००	१०६·[illegible]२	२७६·३०	१६६·९६	३१७·००	३२७·८३	,,	५६·०	१६०·०	१४६·०	१५०·०	१३०·०
	योग	२०८३·२६	२४८४·१७	२०००·७१	३४४६·१८	४५३७·८३	५१२०·३४	,,	२५९·०	७२०·४	५५९·८	१२०२·४	११३२·७

शुद्धि पत्र

(मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 1968)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	7 व 10	म नवीय	माननीय
5	अन्तिम से 6	किया	लिया
16	15	"(श्री गंगाराम चधर)	(श्री गंगाराम चौधरी)
20	अन्तिम से 11	श्री रामन्नसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
23	,,	श्रो भैरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह
24	,, 8	श्री भैरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह
29	5	श्रो लादूराम सुलाणिया	श्री लादूराम सुलानियां
32	2	अड्ड	अड्डे
39	12	शु	शुरू
41	शीर्ष	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
49	अन्तिम से 12	नेक्सट्	नेक्सट
51	,, 8	हांलिस	हासिल
51	,, ,,	उसमें	उसने
	5	(श्री परसराम मदेरणा)	खाद्यमंत्री (श्री परसराम मदेरणा)
55		क्रिटिसिजम	क्रिटिसिज्म
55	5	नम्ब	नम्बर
55	11	व्यक्ति के भी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ	व्यक्ति के भी खिलाफ
55	18	मैं	में
55	अन्तिम से 6	पद्धति	पद्धत्ति

1	2	3	4
58	3	वेरिफाइ	वेरिफाई
61	शीर्ष	(श्री परसराम मदेरणा)	—
61	3	श्री सुवालाल	श्री सुवालाल चौधरी
62	अन्तिम से 6	श्री जु ंझारसिंह	श्री जुझारसिंह
66	6	काटन	काटने
66	11	यहाँ	यदि
66	19	यह भी सही सही है	यह भी सही है
66	अन्तिम से 4	स्थानों हांडियां	स्थानों पर हांडियां
67	13	नाजायत	नाजायज
68	13	२७-२८ अप्रेल डी. एफ. ओ.	२७-२८ अप्रेल को डी. एफ. ओ.
68	अन्तिम से 7	श्र नारायणसिंह मसूदा	श्री नारायणसिंह मसूदा
69	,, 9	सत्र	सत्र
73	,, 3, 14	सी सी एफ	सी. सी. एफ.
73	,, 10	डी एफ ओ	डी. एफ. ओ.
75	,, 12	जधाव	जवाव
76	7	श्री बृजा ुन्दर	श्री बृजसुन्दर
76	अन्तिम से 5	की	उसकी
77	,, 14	ख्याल यह	ख्याल में यह
77	,, 11	इवोक	रिवोक
79	10	श्री नारायर्णसिह मसूदा	श्री नारायणसिंह मसूदा
80	8	७१ आपने	७१ हजार आपने
80	9	इकमें	इसमें
80	11	जुमाने	जुर्माने
97	2	विकृता	विक्रेता
98	अन्तिम से 10	निर्धारत	निर्धारित
106	,, 4	महोयय	महोदय
108	5 व 6	गृहण	ग्रहण

1	2	3	4
109	13	पूछ	पूछे
118	शीर्षक	शामकीय	शासकीय
118	7	डारा	द्वारा
119	शीर्ष	(श्री शिवचरण माकुर)	(श्री शिवचरण माथुर)
119	12	दृष्किोण	दृष्टिकोण
156	अन्तिम से 6	अविकार	अधिकार
158	शीर्षक	चर्चा	चर्चा
158	अन्तिम से 10	जुरिडिक्शन	जुरिस्डिक्शन
159	13	नियुक्त	नियुक्त
161	13	आदयियों	आदमियों
163	अन्तिम से 5	कठिनाईयां	कठिनाइयां
168	,, 15	बलुट	बुलेट
169	,, 5	सर्केत	संकेत
171	शीषक	कर्य	कार्य
172	9	कान्स्टीटूशल	कान्स्टीट्युशनल
173	18	अध्यादेश देश में	अध्यादेश में
181	शीर्षक	काय	कार्य
182	2	वलाये	बालाये
182	2	ताख	ताक
186	12	रिप्रजन्टेशन	रिप्रजेन्टेशन
187	शीर्षक	कर्य	कार्य
189	अन्तिम से 5	अलाड	अलाउड
191	11	टैक्सशन	टैक्सेशन
193	13	जिसके	जिनके
198	9	184 के	184 की
198	10	पाल्यिामेंटरी	पार्लियामेन्टरी
201	अन्तिम से 13	महत्वपूर्ण है और और	महत्वपूर्ण है और
202	16	तहर्रुर	तर्करुरी

1	2	3	4
205	शीर्ष	श्री विजयसिंह रावत)	(श्री विजयसिंह रावत)
207	16	flage	flag
257	अन्तिम से 15	मत्री	मन्त्री
260	10	जनता सुख सुविधायें	जनता की सुख सुविधायें
268	अन्तिम से 14	श्रव्यक्ष	अध्यक्ष
273	शीर्ष	(श्री जुझारसिंह)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
275			
277			
279			
281			
281	15	राजश्थान	राजस्थान
282	21	इन्द्रिा	इन्द्रा
290	4	इन्द्रिा	इन्द्रा